पंचम माला, खंड 29, अंक 10, शुक्रवार, 3 अगस्त, 1973/12 श्रावण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIX, No. 10, Friday, August 3, 1973/Sravana 12, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : TwoRpuees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

18 LSS/73—1

विषय सूची/Contents

अंक 10, शुक्रवार, 3 अगस्त, 1973/12 श्रावण, 1895 (शक)

No. 10, Friday, August 3, 1973/Sravana 12, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
182	प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने के सरकारी प्रस्ताव का अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ द्वारा विरोध	All India Rubber Association's Opposition to Government's move to Export Natural Rubber . . .	1
183	जीवन बीमा निगम के जमा खातों में उचंत लेखा खातों में पड़ा अनिवेशित धन	Amount of Uninvested Money lying in suspense in the deposit Accounts of LIC	3
184	पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन और बेलूरमठ में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रस्ताव	Proposal to attract Foreign Tourists to Santiniketan and Bellur-Math in West Bengal	7
185	इंजीनियरिंग सामान के लिये लातीनी अमरीका में अच्छी मांग	Market for Engineering Goods in Latin America	8
186	राष्ट्रीय जीवन पर कराधान के प्रभाव की जांच करने के लिए आयोग	Commission to Enquire into Impact of Taxation on National Life . .	10
188	रुग्ण चाय बागानों का प्रबंध सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में 'टास्क फोर्स' द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना	Submission of Report by Task Force on take over of Sick Tea Gardens . .	11

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
181	31-5-73 को पालम हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान के प्रत्येक जीवित यात्री को चिकित्सा के लिए दी गई राशि	Amount paid to each surviving Passenger of Boeing Air Crash near Palam Airport on 31-5-73 for Medical Treatment.	16
187	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Industry . .	17
189	अमरीकी डालर के गिरते हुए मूल्य का भारत के निर्यात पर प्रभाव	Impact of downward float of US Dollar on India's Export	17
190	जापान को अधिक मात्रा में निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में जांच	Enquiry about Items whose Export to Japan can be increased . . .	17
191	सोवियत संघ से अखबारी कागज़ का आयात	Import of News print from USSR . .	18
192	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करना	Setting up of Pay Commission for Employees of Nationalised Banks . .	18
193	कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the prices of Cloth	19
194	मछली पकड़ने की नावों का आयात	Import of Fishing Trawlers . .	20
195	6 जून, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस के कैरेवल विमान का बाल-बाल बचना	Narrow Escape of Indian Airlines Caravelle Aircraft at Palam Airport on 6th June 1973	21
196	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये होटलों का निर्माण	Construction of New Hotels during Fifth Plan	22
197	ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण के बारे में बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही को स्थगित करना	Shelving of Recommendations of Banking Commission in regard to creation of a Rural Banking Framework . .	22
198	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Advance by State Bank of India	22
199	विदेशों में स्थित संयुक्त उपक्रमों को 1971-72 में निर्यात की गई मशीनरी, कच्चे माल आदि से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Export of Machinery, Raw Material etc. to Joint Ventures Abroad during 1971-72. .	23
200	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1801	जमा किये गये अनाज का पता लगाने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही	Stringent measures to unearth Hoarded Foodgrains and to stop black marketing of essential commodities . . .	24
1802	भारतीय रुई निगम के माध्यम से आयात की गई रुई की गांठों का बम्बई की गोदियों में पड़ा रहना	Cotton bales imported by Cotton Corporation of India lying at Bombay docks	25
1803	"डनलप्स", "फायरस्टोन", "गुडईयर" तथा "सीयेट" द्वारा धन का स्वदेश भेजा जाना	Remittances by Dunlops, Firestone, Goodyear and CEAT . . .	25
1804	केरल के काजू कारखानों को कच्चे काजू की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of raw cashew nuts to cashew factories in Kerala . . .	26
1805	विभिन्न हवाई अड्डों के विमानों के चढ़ने और उतरने वाले पथों पर पुनः फर्श बनाने का प्रस्ताव	Proposal to re-carpet the Runways of various Airports	26
1806	गत चार महीनों के दौरान किये गये व्यापार करार	Trade agreements finalised during the last four months	27
1807	पालम हवाई अड्डे पर आग बुझाने, मरीजों को अस्पताल ले जाने तथा दुर्घटना में सहायता प्रदान करने वाली गाड़ियों की संख्या	Number of Fire Brigades, Ambulances and Emergency Vans at Palam Airport .	28
1808	आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax .	28
1809	मेहता प्रिंटिंग प्रैस, उज्जैन और दैनिक अवंतिका द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Mehta Printing Press, Ujjain and Dainik Avantika	28
1810	देश की रेयॅन मिलों में हुई दुर्घटनाओं के लिये दिया गया मुआवजा	Compensation paid for accidents in Rayon Mills in the countiy . .	29
1811	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों और समाज के दुर्बल वर्गों को ब्याज की रियायती-दर योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण	Loan disbuised by Public Sectoı Bank to Small Faımers and Weaker sections of Society under Differential Rates of Interest Scheme	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1812	ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K.	30
1813	काहिरा में काम कर रहे चाय बोर्ड के कर्मचारी	Staff of Tea Board serving in Cairo	30
1814	दिल्ली में सस्ते होटल और शयन-शालाओं का निर्माण	Construction of Cheap Hotels and Dormitories in Delhi	31
1815	पूर्व यूरोपीय देशों से आयातित उर्वरकों के मूल्य के बारे में विवाद	Dispute over price of Fertilizers imported from East European Countries . .	31
1816	भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सहारा में सूर्य ग्रहण का अध्ययन	Study of Solar Eclipse in Sahara by Indian Scientists	32
1817	मैंगनीज़ निर्यात नीति का बदला जाना	Reversal of Manganese Export Policy	32
1818	खनिज और धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों द्वारा वेतन आदि के पुनरीक्षण के बारे में ज्ञापन	Memo for Revision of Pay etc. by Employees of MMTC	32
1819	उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक रुग्ण मिल को सरकारी नियंत्रण में लेना	Take over of a sick mill in Ujjain, M.P. .	33
1820	बड़े व्यापार गृहों के आय कर और धन कर संबंधी मामलों पर पुनः कार्यवाही आरंभ करना	Reopening of Income Tax and Wealth-tax cases of Big Business Houses .	33
1821	भारत में पूंजी निवेश संबंधी स्थिति के बारे में जापान की शंका	Apprehensions of Japan about investment climate in India . . .	34
1822	चाय के निर्यात व्यापार का सरकारी-करण	Takeover of Tea Export	34
1823	पुस्तकों के आयात का सरकारी-करण करने का प्रस्ताव	Proposal to takeover Import of books .	35
1824	होमियोपैथिक औषधियों का आयात बंद करने के कारण इनका उपलब्ध न होना	Non-availability of Homeopathic Medicines due to Stoppage of Import of such Medicines	35
1825	कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग	Experiments for Artificial Rain . .	36
1826	वस्तुओं पर खुदरा-मूल्यों के लेबल लगाने संबंधी विधान	Legislation Regarding pasting of Retail price tags on Commodities . .	37
1827	बंगलादेश से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Bangladesh	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1828	भारतीय फिल्मों की किसी अन्य देश के जरिये पाकिस्तान को तस्करी	Smuggling of Indian Films into Pakistan through Third Country . . .	37
1829	अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव	Inflationary pressure on Economy . .	37
1830	चाय के संपूर्ण विक्रय-प्रबंध की जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति	Setting up of a Committee to look into the entire selling arrangement of Tea .	38
1831	मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये 'पैकेज प्लान'	Package plan to check Rise in prices .	39
1832	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्मिक नीति की जांच के लिये समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to Examine Personnel Policy of Public Sector Enterprises	39
1833	वर्ष 1973-74 को उद्योगों में वृद्धि करने के लिए कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material for the Expansion of Industries during 1973-74 . .	40
1834	नेपाल को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Nepal . .	40
1835	विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा औद्योगिक ऋण देना	Sanction of Industrial loan by World Bank and International Development Association	41
1836	इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियर, प्रबंधक और स्टोर नियंत्रक के विरुद्ध मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के निष्कर्ष	Findings of CBI into the cases involving Engineer, Manager and Controller of Stores of Indian Airlines . . .	41
1837	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन	Modification in the Organisational Structure of MMTC	42
1838	बंगलादेश और भारत के बीच व्यापार का पुनर्विलोकन	Review of Trade between Bangladesh and India	42
1839	बिना तराशे हीरों का आयात	Import of Uncut Diamonds . .	44
1840	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to secure price increase on Iron Ore Exported to Japan by MMTC .	44
1841	नियंत्रित कपड़े की अधिक मूल्यों पर बिक्री	Sale of Controlled Cloth at High Prices .	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1842	कपड़े के मूल्यों को स्थिर करने का प्रस्ताव	Proposal to peg the prices of cloth	45
1843	हाशिश तेल की तस्करी में लगा गिरोह	Gang engaged in smuggling of Hashish Oil	46
1844	समाजवादी देशों के साथ व्यापार नीति में परिवर्तन	Revision of Trade Policy with Socialist Countries	46
1845	इंडो-सोवियत काटन कन्वर्शन डील के अन्तर्गत सूती कपड़े की सप्लाई	Supply of Cotton Textiles under the Indo-Soviet Cotton Conversion deal . .	46
1846	भारतीय वस्तुओं के लिये सिंगापुर से नये क्रयादेश	Fresh Order for Indian Goods from Singapore	47
1847	"आर०बी०आई० स्टडी टू एलीमीनेट फ्राड्स आन बैंक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News under the captlon "R.B.I. Study to Eliminate Frauds on Banks" .	48
1848	भारत से चमड़े के निर्यात के बारे में ब्रिटिश चमड़ा विशेषज्ञ की रिपोर्ट	Report of British Leather Expert on Leather Exports from India. . .	49
1849	पालम हवाई अड्डे के धावन पथ (रनवे) पर पुनः फर्श बनाने का निर्णय	Decision to resurface the runway of Palam Airport	49
1850	थाई सरकार द्वारा दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय ध्वज वाले विमानों को उतरने के अधिकारों में वृद्धि करने का अनुरोध	Request from Thai Government to increase the Landing Rights of International Flag Carriers of the Two countries	50
1851	अरब सागर में मानसून विषयक भारत-रूस संयुक्त अध्ययन	Indo-Soviet Joint Study of Monsoons in the Arabian Sea	50
1852	बैंकिंग के लिये शिलांग में क्षेत्रीय समिति की बैठक में चर्चा के विषय	Subjects discussed at Regional Committee Meeting for Banking at Shillong. .	50
1853	भारत तथा योरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संयुक्त आयोग की स्थापना।	Establishment of Joint Commission by India and EEC	51
1854	धागा उपलब्ध न होने का बीड़ी उद्योग पर प्रभाव	Effect of non-availability of Yarn on Bidi Industry	51
1855	"एशिया-72 राईटर्स रन फ्रोम पिलर टू पोस्ट" नामक शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item captioned "Asia 72 writers run from Pillar to Post" . . .	52
1856	धन कर और उपहार-कर की बकाया राशि	Arrears of Wealth tax and Gift-tax .	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1857	पश्चिम बंगाल में आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in West Bengal .	53
1858	इंडियन एयरलाइंस को यूरोपीय एयर बस की बिक्री के लिये पेशकश	Offer for sale of European Air bus to Indian Airlines	56
1859	भारतीय रुपये पर पश्चिम जर्मनी के मार्क के पुनर्मूल्यन का प्रभाव	Impact of Re-valuation of West German mark on Indian Rupee . . .	56
1860	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवैलपमेंट एसोसियेशन) से ऋण	Loan from International Development Association	57
1861	अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा पेंशन में वृद्धि करने के लिये अभ्यावेदन देना	Representation made by Retired IAS and other Central Services Officers for increase in their pensions . . .	57
1862	जीवन बीमा निगम द्वारा ब्याज दर का बढ़ाया जाना	Enhancement of interest Rate by LIC .	58
1863	"पायलट्स लिस्ट फ्लाज़ इन आपरेशनज" शीर्षक से समाचार	News item captioned "Pilots list Flaws in Operations"	58
1864	संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over ot Sick tea Plantations. .	59
1865	आय-कर की चोरी के लिये सजा	Punishment for Evasion of Income-tax .	59
1866	जमा राशि—ऋण, अग्रिम राशि आदि वर्तमान विधानों के पुनर्विलोकन के बारे में डा० राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report of Dr. Rajamannar Committee re: reviewing of present legislations re-deposits, loans, advances etc.	60
1867	वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से शुद्ध लाभ	Net Profit from Nationalised Banks in 1972 as compared to 1971 . . .	60
1868	एवरो विमान के बारे में धवन अध्ययन दल के निदेश-पद	Terms of reference of Dhawan Study Team on Avro Aircraft . . .	60
1869	अरंडी के तेल का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात	Export of Castor Oil through STC.	61
1870	चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु चाय उद्योग को उत्पाद-शुल्क में राहत पहुंचाना	Extension of Excise relief for Tea industry for boosting its export . . .	61
1871	'नाइलोन यार्न' का आयात	Import of Nylon Yarn . .	61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1872	रूई की मिलों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाया जाना ("काटन मिल्स अर्न फैबुलस प्रोफिट्स") शीर्षक से प्रकाशित समाचार की प्रतिक्रिया	Reaction of Government to News report entitled cotton Mills earn fabulous profits	61
1873	राज्य व्यापार निगम की औषध निर्माता कम्पनियों के साथ सहयोग व्यवस्था	Collaboration arrangement by STC with pharmaceutical companies . . .	62
1874	बिड़ला बंधुओं द्वारा धन-कर का अपवंचन	Evasion of Wealth Tax by Birlas . .	63
1875	व्यक्तियों अथवा फर्मों से 10 लाख से अधिक बकाया आयकर की उगाही के लिये की गई कार्यवाही	Steps to recover arrears of Income tax above Rs. 10 lakh outstanding against firms and individuals.	63
1877	भारत द्वारा विदेशों को ऋण और वित्तीय सहायता देना	Grant of loan and financial assistance to foreign countries by India . . .	64
1878	राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत मूलक पक्षियों तथा पशुओं का निर्यात	Export of birds and animals of Indian Origin by STC	65
1879	तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन करने संबंधी योजना	Scheme to constitute Tobacco Development Board	65
1881	पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पुनर्विलोकन	Review of Minimum support price of Jute.	65
1882	चालू वर्ष के दौरान प्लास्टिक सामग्री और प्लास्टिक का आयात	Import of plastic Material and plastics during the current year . . .	66
1883	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों में सुधार करने संबंधी मामलों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन	Constitution of a Committee to go into the Question of Improvement in the pay scales of Officers of Nationalised Banks	66
1884	बंगला देश के साथ हुए चालू व्यापार समझौते से पैदा होने वाली दिक्कतें	Difficulties arising out of the current trade Agreement with Bangladesh . .	67
1885	"आर०बी०आई० ब्लेम गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Government to the news item captioned RBI Blames Government .	68
1886	टी०यू० 154 विमान संबंधी भारत विमानन दल की रिपोर्ट	Report of Indian Aviation Team on TU—154 Aircraft	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1887	बहराइच जिले में कार्य कर रहे 'लीड बैंक'	'Lead Banks' Functioning in District of Bahraich	69
1888	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों पर व्यय	Expenditure on Delegations sent Abroad.	69
1889	मध्यम और बढ़िया किस्म के कपड़े के मूल्यों में प्रस्तावित कमी	Proposed price cut on Medium and Fine Variety Cloth	70
1891	भारतीय रिजर्व बैंक में समयोपरि कार्य में वृद्धि	Increase in Overtime Work in Reserve Bank of India	70
1892	ब्याज की दरों में भिन्नता की योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि	Amount of Loan Disbursed by Banks under the Scheme of Differential Rates of Interest	71
1893	रायगढ़ महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 300वीं वर्षगांठ के समारोह में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का योगदान	Participation of Ministry of Tourism and Civil Aviation in 300th Coronation Anniversary Celebrations of Chhatrapati Shivaji at Raigad in Maharashtra .	71
1895	वित्तीय संस्थाओं द्वारा मारुति लि० को दिया गया ऋण	Loans advanced by Financial Institutions to Maruti Ltd.	72
1897	त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by Branches of Nationalised Banks in Tripura . . .	72
1899	स्वीडन से सहायता के लिए करार	Agreement for Aid from Sweden .	73
1900	ताड़ के तेल की खरीद के बारे में भारत और मलेशिया के बीच करार	Agreement between India and Malayasia for purchase of Palm Oil . . .	74
1901	हवाई अड्डों पर विमान से उतरने पर विदेशियों को कार्ड जारी किये जाने का निर्णय	Decision to Issue Cards to Foreigners on landing at Airports . . .	74
1902	गत दो वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों और चर्बी की मात्रा	Quantity of Edible Oils and Tallow Imported by STC during the last Two Years	74
1903	हैदराबाद स्थित केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल के पुनर्गठन का प्रस्ताव	Proposal to Reorganise Central Flying Training School at Hyderabad . .	75

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1904	युगांडा एशियाई नागरिकों के साथ कथित धोखाधड़ी के लिये 'वर्ल्डवे ट्रैवल एजेंसी' के प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी	Arrest of Managing Director of World-way Travel Agency for Allegedly Cheating Uganda-Asians	76
1905	नियोजन संबंधी विवरणों में सरकारी बैंकों द्वारा हिसाब-किताब में हेर-फेर किया जाना	Indulging of Public Sector Banks in Accounting Jugglery in Returns on Investment	76
1906	अन्य देशों में भारतीय हथकरघा कपड़े की लोकप्रियता	Popularity of Indian Handloom Cloth in other countries	76
1907	आयात पद्धति का अध्ययन और-दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आवश्यकताएं	Study of Import Patterns and Requirements of South East Asian Countries .	78
1908	सूती धागे पर नियंत्रण में ढील	Relaxation in control on Cotton Yarn .	79
1909	एशियाई देशों द्वारा पटसन के लिय संयुक्त विक्रय संवर्धन अभियान चलाना	Joint Marketing Promotion Drive for Jute by Asian Countries	80
1910	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये मैसूर तथा अन्य राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance Sought by Mysore and other States for Relief Works in Drought Affected Areas	80
1911	सरकार द्वारा चलाये गये मितव्ययता अभियान का केन्द्रीय सरकार के विभागों पर प्रभाव	Central Govt. Departments affected as a Result of Economy Drive Launched by Government	81
1912	सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की मात्रा	Volume of Canalised Imports through Government Agencies . . .	81
1913	समुद्रपार उड़ानों वाली भारतीय विमान कंपनियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Indian Air Companies Engaged in Overseas Flight	82
1914	जीवन बीमा निगम द्वारा सैनिक कर्मचारी के बारे में युद्ध जोखिम उठाने से इंकार करना	Refusal of LIC to take War Risk of Military Personnel	82
1915	भारतीय पटसन निगम के माध्यम से मिलों को पटसन की सप्लाई	Canalising Jute Supplied to Mills through Jute Corporation of India . . .	83
1916	सूत वितरण के सरकारीकरण के बाद मजदूरों को लाभ	Benefits to Workers After Nationalisation of Distribution of Yarn . . .	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1917	निश्चित आय वर्ग में सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयां	Economic Hardships Faced by Government/Non Government Employees in Fixed Income Group	84
1918	विभिन्न राज्यों में हथकरघों और विद्युतकरघों को सूत की सप्लाई	Yarn Supplies to Handloom and Powerloom in various States . . .	84
1919	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों का करों का भुगतान करने का दायित्व	Liability of Officers of Air India and Indian Airlines to Pay Taxes . .	84
1920	नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना	Branches of Nationalised Banks Opened in Urban and Rural Areas . .	85
1921	रुई उत्पादक देशों मिश्र और सूडान के साथ व्यापार संबंधों में भुगतान संकट	Payment Crisis in Trade Relations with Cotton producing Countries of Egypt and Sudan	85
1922	मारुति लिमिटेड के बड़े अंशधारियों के विरुद्ध करापवंचन अथवा करों के अदा न किये जाने के अनिर्णित मामले	Cases of Evasion or Non-Payment of Taxes pending against major Shareholders of Maruti Ltd. . . .	86
1923	चीथड़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाना	Lifting of Ban on Import of Rags .	86
1924	राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति लिमिटेड शेयरधारियों को दिये गये ऋण	Loan given by Nationalised Banks and Financial Institutions to share Holders of Maruti Limited	87
1925	इंडियन एयरलाइंस की बरास्ता बर्मा अंडमान को उड़ानें	Indian Airlines Flights to Andaman via Burma	89
1926	भारत से हांगकांग को बसों का निर्यात	Export of Buses from India to Hongkong	89
1927	सौराष्ट्र में तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers in Saurashtra . .	90
1928	गुजरात में तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check smuggling in Gujarat .	90
1929	सार्वजनिक तथा गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन	Foreign Exchange Earnings by Public and Private Sector Industries . .	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1930	राज्य व्यापार निगम द्वारा लघु उद्योगों के लिये आयातित कच्चा माल	Raw materials imported by STC for Small Scale Industries	91
1931	मजूरी-पुनरीक्षण के बारे में सभी मंत्रालयों को गोपनीय पत्र का भेजा जाना	Circulation of a Secret Communication among all Ministries regarding Wage Revisions	92
1932	"हांग कांग में भी राज्य व्यापार निगम की अनियमिततायें" संबंधी शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned regarding "STC Mess in Hong Kong Too"	92
1933	विभिन्न हवाई अड्डों पर रेडियो तकनीशियनों तथा तकनीकी सहायकों के काम की शर्तें	Working Conditions of Radio Technicians and Technical Assistants at various Airports	92
1935	भावनगर में बैंक आफ बड़ौदा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Bank of Baroda in Bhavnagar	93
1936	विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस की विमान-सेवाओं में बाधा	Air Services of Indian Airlines hit by Shortage of Planes	93
1937	सामान्य बीमा निगम द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का पेश किया जाना	Submission of Annual Report by General Insurance Corporation . . .	95
1938	1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शत्रु सम्पत्ति के लिए प्रतिकर	Compensation for Enemy property after 1965 Indo-Pak War	95
1939	केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संगठनों के मुख्यालयों के स्थान	Location of Head Office of Financial Organisations of Central Government	96
1940	विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियां एवं उनके द्वारा दिये गये ऋण	Deposits with and Loans Advanced by Nationalised Banks in various States .	96
1941	भारतीय रूई निगम द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें	Complaints about Irregularities committed by CCI	97
1942	'उलगम सुत्रम बलिदान' नामक फिल्म के निर्माता को दी गई विदेशी मुद्रा	Allocation of Foreign Exchange to the Producer of Film: 'Ulagam Sutrum Validan'	98
1943	फिल्म कलाकारों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Film Stars.	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1944	तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं आदि पर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Film People of Tamil Nadu	99
1945	मध्य प्रदेश में 1973–74 में सस्ते किराये वाले पर्यटक बंगलों का निर्माण	Construction of Low Tariff Tourist Bungalows in Madhya Pradesh during 1973-74	99
1946	पूर्व-निमाड़ जिले के बुरहानपुर नगर में हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry of Burhanpur City of East Nimar District . .	99
1947	इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की योजना	Plan to Reconstitute the Board of Directors of Indian Airlines . . .	100
1948	पूर्वी योरोपीय देशों से इस्पात और लोहमिश्र धातु का आयात	Import of Steel and Ferro Alloys from East European Countries . . .	100
1949	इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का गठन एवं उसके निदेश पद	Constitution and Terms of Reference of the Board of Indian Airlines . .	100
1950	वाणिज्य मंत्रालय के ग्यारह निगमों के प्रशासन पर व्यय	Expenditure on Administration of Eleven Corporations of Commerce Ministry .	101
1951	उड़ीसा में अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क क्लेक्टोरेट	Collectorate of Central Excise for Orissa	101
1952	उड़ीसा में बांसपानी से जखपुरा तक रेलवे लाइन के संचालन से हानि-लाभ के बारे में पत्तनों संबंधी उप-दल की बैठक में लिये गये निर्णय	Decisions taken at the Meeting of Sub-group on ports on Relative Economics of Utilisation of the Railway Line from Banspani to Jakhapura in Orissa. .	102
1953	मिल के बने सूती कपड़े के निर्यात में कमी	Fall in Export of Mill Made Cotton Textile	102
1954	राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं को वित्त देने के लिये वाणिज्यिक बैंकों की योजनाएं	States having Scheme of Commercial Banks to Finance Primary Agricultural Credit Societies.	102
1955	उत्तर प्रदेश में 'किसान बचत पत्र योजना' का चालू किया जाना	Introduction of Kisan Bachat Patra Scheme in Uttar Pradesh . . .	103
1956	स्वेच्छा से घोषित करने की योजना के अंतर्गत बम्बई के चलचित्र निर्माताओं द्वारा बताई गई राशियां	Disclosures by Film People of Bombay under Voluntary Disclosures Scheme .	103

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1957	1971-72 के दौरान लघु उद्योगों और वास्तविक उपभोक्ताओं को जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य में वृद्धि	Increase in the Value of Import Licences issued to Small Scale Units and actual users during 1971-72	103
1958	कोवालम बीच पर पर्यटक होटल और पर्यटक कुटीरों की व्यवस्था करने की योजना	Plan to provide a Tourist Hotel and Tourist Huts at Kovalam Beach . .	104
1959	प्रधानमंत्री के विमान के पालम हवाई अड्डे से उड़ने के पश्चात् विमान का भूमि स्थित संचार यंत्र से संबंध विच्छेद होना	Contract lost by Ground Communication Equipment with Plane carrying Prime Minister after its take-off from Palam Airport	104
1960	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत 6 महीनों में दिये गये ऋणों की राशि	Amount of Loans advanced by Nationalised Banks during the last Six Months .	105
1961	गुजरात में तस्करी के मामलों का पता लगाया जाना	Cases of Smugglers Detected in Gujarat .	105
1962	रबड़ का निर्यात	Export of Rubber	105
1963	वृत्तचित्रों का आयात-निर्यात कार्य करने हेतु प्राधिकरण	Authority entrusted with the Task of Handling Import and Export of Feature Films	106
1964	काष्ठ के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Wood . .	107
1965	इंडियन एयरलाइंस द्वारा और अधिक बोइंग 737 की खरीद	Purchase of More Boeing 737s by Indian Airlines	107
1966	रंगून न रुक कर कलकत्ता से पोर्ट ब्लेअर तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Direct Flight from Calcutta to Port Blair Without Touching Rangoon	108
1967	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विमान तेल पर लगाये गये अतिरिक्त शुल्क के कारण कलकत्ता होकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मंहगा संचालन	Expensive nature of Operation of International Flights through Calcutta due to Additional Levy Imposed on Aviation Fuel by West Bengal Government	108
1968	पश्चिम यूरोप में शक्तिशाली शक्तियों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में साझी नीति	Common Strategy in the Field of International Trade for Meeting Challenge Posed by Powerful Forces in West Europe	109
1969	वर्ष 1973-74 के लिए वस्तुवार निर्यात लक्ष्य	Commodity wise Export Target for 1973-74	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1970	एयर इंडिया के कर्मचारियों की कार्यकुशलता क्षीण होना	Deteriorating Efficiency of Employees of Air India	110
1971	डालर का अवमूल्यन	Devaluation of Dollar . . .	110
1972	गत पांच महीनों के दौरान चोरी-छिपे लायी गयी वस्तुओं की संख्या तथा उनका मूल्य	Quantity and value of Smuggled goods during Last Five Months . . .	111
1973	रजिस्टर्ड निर्यात गृहों द्वारा गैर-परम्परागत वस्तुओं के आयात के एवज में अधिक मूल्य पर आयात-हकदारी का क्रय	Purchase of Import Entitlements against Import of Non-Traditional Items at High Premium by Registered Export Houses	111
1974	गत तीन वर्षों में इंडियन एयर-लाइंस और एयर इंडिया द्वारा विदेशों से खरीदे गए विमान	Aircraft purchased from Abroad by Indian Airlines and Air India during the Last Three Years . . .	112
1975	25 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि वाले आयकरदाता	Assessees in Arrears of income tax above Rs. 25 lakhs	112
1976	अधिकांश विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों द्वारा विदेश भेजी गयी रकम	Remittances by Foreign Companies with Foreign Majority Shares . . .	113
1977	आई०एफ०सी० एल० डी० बी० आई० तथा अन्य सावधिक (टर्म) वित्त-पोषक संस्थाओं द्वारा जमा राशि, ऋण तथा अन्य रूप में विदेशी बैंकों को दी गयी राशि	Money given as Deposits Loans or otherwise to Foreign Banks by IFC LDBI and other Term Financing Institution .	114
1978	सूत की कुछ किस्मों के वितरण पर लगे नियंत्रण का हटाया जाना	Lifting Control on certain Varieties of Yarn	114
1979	भारत और बर्मा के बीच लागू व्यापार करार	Trade Agreements in Force between India and Burma	115
1980	रबड़ का आयात	Import of Rubber	115
1981	राज्य में सूत की कमी की समस्या का समाधान करने के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	Proposal submitted by Bihar Government to solve the Problem of Shortage of Yarn in the State	116
1982	सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई बीमार जूट मिलें	Sick Jute Mills taken over by Government	117

18 LS/73—2.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1983	महाराष्ट्र के सावंतवाडी ग्रौर खेड क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता का टैंकों की सफाई के लिये उपयोग	Utilisation of Central Assistance for cleaning Tanks in Sawantvadi and Khed Areas of Maharashtra . .	117
1984	राज्य व्यापार निगम को लाभ सुनिश्चित करने के लिये कास्टर ग्रायल के निर्यात के बारे में नीति	Policy regarding Export of Caster Oil to Ensure Profit for STC . . .	117
1985	ग्रासाम फ्लाइंग क्लब को हवाई जहाज प्रदान करने के लिये उठाये गये कदम	Steps to provide Aircraft to Assam flying Club	118
1987	भारत द्वारा चाय के निर्यात पर रोक लगाये जाने के विरुद्ध सूडान द्वारा भारत से रूई के निर्यात पर रोक लगाया जाना	Ban by Sudan on Export of Cotton n India	118
1988	एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा बम्बई में रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया के गवर्नर को ज्ञापन का दिया जाना	Submission of a Memorandum by a Delegation to Governor of RBI in Bombay.	119
1989	विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस का ग्रधिक संख्या में कैरेवल विमान खरीदने का प्रस्ताव	Indian Airlines Proposal to go in for more Caravelles due to shortage of Planes .	119
1990	प्रत्यक्ष बोर्ड के सदस्यों को ग्रायकर की बकाया राशि को बट्टेखाते डालने के लिये ग्रधिकार देना	Delegation of more powers to Members of Board of Direct Taxes for Writing off Arrears of Income Tax . .	119
1991	बैंक दर में वृद्धि ग्रौर उत्पादन ग्रौर उत्पादिता पर पड़े उसके प्रभाव के बारे में किया गया ग्रध्ययन	Study made in regard to Raising of Bank Rate and its Effect on Production and Productivity	120
1992	बैंकिंग ग्रायोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Banking Commission . . .	120
1993	मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि	Increase in money Supply .	121
1994	नई बचत योजनाएं लागू करना	Introduction of new saving Schemes	121
1995	सूखाग्रस्त राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for drought affected States	122
1996	एकाधिकारियों द्वारा कृत्रिम कमियां पैदा करके बड़े पैमाने पर ग्रसंतोष फैलाने का कथित प्रयास	Alleged Attempt by Monopolists to create mass discontent through artificial shortages	123

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1997	इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलटों की समय-समय पर शारीरिक स्वस्थता की जांच करना	Frequent check up of Physical fitness of Pilots of Indian Airlines and Air India .	123
1998	इंडियन एयरलाइंस में निजी एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने संबंधी	Proposal to put an end to private agency system in Indian Airlines . . .	124
1999	इंडियन एयरलाइंस में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling in Indian Airlines .	124
2000	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों के अंतर्गत खाद्यान्न व्यापारियों को ऋण दिया जाना	Loan given to Foodgrains Dealers under Directions of Reserve Bank of India .	125
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	126
	मणिपुर में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में वृद्धि का समाचार	Reported spurt in the activities of Naga Hostiles in Manipur	126
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	126
	श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	127
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	130
	विधेयकों पर अनुमति	Assents to Bills .	133
	सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	134
	(सर्वश्री एम० एम० जोजेफ और वरके जार्ज)	(Sarvashri M.M. Joseph and Varkey George)	134
	भारतीय रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के संबंध में वक्तव्य	Statement Re. current strike Situation on the Indian Railways	134
	श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	134
	स्थगन प्रस्ताव—अनुमति नहीं मिली	Motion for adjournment—leave refused.	135
	लोको संग चल कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण रेल सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना	Disruption of Railway Services due to Absenteism by Loco Running Staff .	135
	सभा का कार्य	Business of the House .	140
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	141
	31वां प्रतिवेदन	Thirty-first Report . .	141
	पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति के बारे में	Re. Food Situation in West Bengal .	141
	गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . .	142

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
29वां प्रतिवेदन	Twenty-Ninth Report . . .	142
किसान डाक्टरों के बारे में संकल्प—वापस लिया	Resolution Re. Peasant Doctors—withdrawn	142
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote	142
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	144
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	145
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . . .	145
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	145
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	146
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	146
श्री वनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	146
श्री गिरधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . . .	147
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	147
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	147
श्री के० चिक्केलिंगय्या	Shri K. Chikkalingaiah . . .	148
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal . .	148
श्री ए० के० किस्कु	Shri A. K. Kisku	149
समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के बारे में संकल्प	Resolution Re. Ownership of Newspapers and News Agencies	150
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	150
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	152
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion . . .	152
गुजरात में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Modernisation of Police Force in Gujarat . .	152
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta .	152
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant . . .	153

लोक-सभा वाद-विवाद [संक्षिप्त अनूदित संस्करण]
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED) TRANSLATED VERSION

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 3 अगस्त, 1973/12 श्रावण, 1895 (शक)

Friday, August 3, 1973/*Sravana* 12, 1895 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने के सरकारी प्रस्ताव का अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ द्वारा विरोध

*182. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ ने प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि रबड़ की स्वदेशी खपत और आवश्यकताओं की दर से सामंजस्य रख कर उपलब्ध संचित भण्डारों में से लगभग 5000 मे० टन का निर्यात किया जा सकता है ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The Hon. Minister has said that the Government propose to export 5000 tonnes of Rubber consistent with the rate of indigenous consumption and requirements. May I know the main reasons for which All India Rubber Industries Association has opposed the move to export natural Rubber. I also want to know the quantity of rubber added per year to the accumulated stock of the Government and the requirements of the country per year.

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमन्, अखिल-भारतीय रबड़ उद्योग संघ ने 'गंभीर चिंता' व्यक्त की है -- मैंने गम्भीर चिन्ता पर उद्धरण चिन्ह लगाया है--कि रबड़ के निर्यात से अन्ततः स्वदेश में उपलब्धि प्रभावित होगी । हमारा विचार है, सरकार का विचार है कि यह शंका निर्मूल है । प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है । वर्ष 1972-73 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1,12,000 मीटरी टन से भी अधिक ही हुआ, 22,000 मीटरी टन कृत्रिम रबड़ का उत्पादन हुआ । हमने राज्य व्यापार

निगम तथा केरल सरकार के मार्केटिंग फैडरेशन के पास अभी से भंडार जमा किये हैं। इस समय अनुमानित भंडार लगभग 52,000 मीटरी टन है। अतः हम रबड़ को लाभात्मक मूल्यों पर निर्यात कर सकने की स्थिति में हैं।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I have asked about the requirements of rubber industry in the country. The Hon. Minister has not replied to that.

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे खेद है, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह गलत है। रबड़ बोर्ड के अनुमानानुसार वर्ष 1973-74 के लिये देश की रबड़ की आवश्यकता 1,50,000 मीटरी टन है। इस वर्ष देश में 1,25,000 मीटरी टन प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की आशा है और 30,000 मीटरी टन कृत्रिम रबड़ की। अतः वर्ष 1973-74 में ही रबड़ का उत्पादन 1,55,000 मीटरी टन होगा/इसके अतिरिक्त हमारे पास 52,800 मीटरी टन का भंडार है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The Hon. Minister has stated the requirements of the country for the year 1973-74. Is it a fact that last year rubber industry did not utilize its full capacity due to power shortage and there has been no addition in Government's accumulated stock ? Now the problem has been resolved. Rubber Industries Association have expressed their apprehension that if the Government exports 5000 Tonnes of rubber, it will be a set back to rubber industry of the country. That is why, they have opposed the export more. The Government should export only then if rubber stock is found in surplus after meeting the requirements of the country. May I know Hon. Ministe r's views in this regard ?

श्री ए० सी० जार्ज : स्थिति ठीक इसके विपरीत है। मैं रबड़ उद्योग की चिन्ता समझता हूं, क्योंकि गतवर्ष, बाजार में माल की बहुतायत का लाभ उठाते रहे, इस बात को मै विशिष्ट उदाहरणों द्वारा प्रमाणित भी कर सकता हूं। मुझे स्वयं टायर निर्माताओं तथा रबड़ उद्योगों का सम्मेलन बुलाना पड़ा और उन से अनुरोध करना पड़ा कि वे बाजार में, रबड़ की भरमार रोकने के लिये अपने यहां $3\frac{1}{2}$ महीने का भंडार रखें। अब, रबड़ के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। हमें इस वर्ष 1,25,000 मीटरी टन रबड़ के उत्पादन की आशा है और हमारे पास 52,000 मीटरी टन का भंडार जमा है। इसमें से केवल 5000 मीटरी टन का निर्यात किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हम स्वदेशी मांग को पूरा करते हुए भी 5000 मीटरी टन से भी अधिक का निर्यात कर सकने की स्थिति में हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has said that the Government propose to export 5000 Tonnes of rubber but the final decision is yet to be taken. May I know the time by which the final decision regarding export of rubber will be arrived at ? Rubber Industries Association is opposing the export more under the apprehension that the rubber will cost more in the country. That is why they do not want export of rubber. Is it a fact that we are not able to produce good quality of rubber and, therefore, we are importing it, if so, the quantity of rubber being imported and the amount paid for that ? What would be the country's earning from the proposed rubber export ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमने एक अप्रैल, 1973 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि हमारे यहां ही रबड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमने 5000 मीटरी टन रबड़ के निर्यात के लिये करार किया है और 1100 मीटरी टन लदान किये जाने की स्थिति में है। आपको याद होगा, इसी सदन में, गतवर्ष, बाजार में रबड़ की भरमार के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने चर्चा उठायी थी। भारत सरकार ने इसके लिये राज्य व्यापार निगम के बाजार में क्रयतन्त्र के रूप में प्रवेश करने सहित बहुत से उपाय किये। छोटे उत्पादकों से रबड़ खरीदने के लिये हमने केरल सरकार को 2.5 करोड़

रुपये की राशि के ऋण भी दिये । अतः अब स्थिति पूर्णतया विपरीत है और हम और अधिक निर्यात करने के लिये कदम उठा रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I have asked about the quantity of good quality of rubber imported and the earnings of the country from the proposed export. The Hon. Minister has not replied to that.

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने स्पष्ट रूप में बताया है कि हमने 1 अप्रैल, 1973 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

Shri Krishan Chandra Pandey : In this scientific age the entire country is utilizing rubber conveyance facilities. The prices of indigenous tyres are going up. Here, the tyres are available in black market and the Government are making export of rubber. May I know whether the export is proposed to be made either after meeting the requirements of the country or simply to earn foreign exchange without any consideration to national requirements ?

Secondly, whether the Hon. Minister has estimated as to what will be the increase in the rubber prices prevailing in the country consequent to its export to other countries ?

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे भय है कि माननीय सदस्य प्राकृतिक रबड़ तथा टायर के अन्तर को नहीं समझे हैं । मैं मानता हूं कि टायरों की कमी है, परन्तु बाजार में प्राकृतिक रबड़ की भरमार है । जैसा कि सदन को अच्छी प्रकार से पता है टायरों की कमी विद्युत् की कमी के कारण गत वर्ष टायर निर्माताओं के पूरी क्षमता का उपयोग न कर सकने के कारण हुई है । अब सभी कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है ।

Mr. Speaker : Tyres are manufactured from some other type of rubber.

श्री रामसहाय पांडे : मुझे प्रसन्नता है कि रबड़ में रुचि रखने वाली फर्मों द्वारा प्राकृतिक रबड़ के निर्यात का विरोध किये जाने पर भी मंत्री महोदय ने फालतू रबड़ का निर्यात करने का निर्णय किया है । कौन-कौन से देश हमारे देश की रबड़ खरीदना चाहते हैं ।

Mr. Speaker : This is an abstract Question. You are asking about the countries interested in purchase. Shri George is always ready to reply. Reply please.

श्री ए० सी० जार्ज : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में वृद्धि होने से पहले ही, 23 मई, 1973 को हमने रबड़ का निर्यात करने का निर्णय कर लिया था चाहे इससे घाटा ही होता, परन्तु अब हम अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य निर्धारित सांविधिक मूल्य के समान ही हैं ।

जहां तक क्रय में रुचि रखने वाले देशों का सम्वन्ध है, जापान तथा इंगलैंड हमारी रबड़ खरीदना चाहते हैं ।

जीवन बीमा निगम के जमा खातों में उचन्त लेखा खातों में पड़ा अनिवेशित धन

***183. श्री डी० के० पंडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में जीवन बीमा निगम की समस्त मुख्य शाखाओं के जमा खातों में उचन्त लेखा खातों में अत्यधिक अनिवेशित धन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उचन्त खातों में ऐसी कुल कितनी अनिवेशित राशि पड़ी है; और

(ग) इस राशि को उचन्त खानों में रखने के क्या कारण हैं और क्या इस उचन्त खाते को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है :

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक के प्रीमियम और अन्य जमा रकमों (अर्थात् समायोजन के लिये रुकी पड़ी उचन्त खाते डाली गई रकमों) और जीवन बीमा निगम को प्राप्त कुल प्रीमियम के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रीमियम और अन्य जमा (करोड़ रुपयों में)	कुल प्रीमियम (करोड़ रुपयों में)	प्रीमियम और अन्य जमा रकमों का कुल प्रीमियम के प्रति अनुपात
1	2	3	4
1969-70	30.43	256.60	11.41
1970-71	33.17	288.05	11.51
1971-72	34.05	332.23	10.25

31-3-73 को स्थिति के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

2. प्रीमियम की रकमें निम्नलिखित कारणों से उचन्त खाते रहती हैं :—

(i) पालिसीधारियों द्वारा प्रीमियम की न्यून अदायगियां ।

(ii) अदायगी के साथ पालिसी नम्बर गलत दिया जाना अथवा दिया ही नहीं जाना ।

(iii) अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद प्रीमियम बिना विलम्ब शुल्क प्राप्त होना ।

3. उचन्त खाते पड़ी रकमों के समायोजन के लिये निगम द्वारा किये गये उपाय :—

(i) पालिसीधारियों को पत्र भेजे जाते हैं जिनमें उनसे प्रीमियम की बाकी रकम की अदायगी के लिये कहा जाता है, जिनके प्राप्त होने पर जमा रकमों का समायोजन किया जाता है ।

(ii) निगम द्वारा रखे गये रिकार्ड से सही पालिसी नम्बर का पता लगाने की कोशिश की जाती है ।

(iii) विलम्ब शुल्क की रकम भेजने के लिये पालिसीधारियों को बराबर पत्र और अनुस्मारक भेजे जाते हैं ।

4. उचन्त खाते में अन्य विविध मदें भी शामिल रहती हैं, जैसे ऋण पर व्याज । इनके सम्बन्ध में भी जीवन बीमा निगम यथासम्भव शीघ्र समायोजन की कोशिश करता है ।

5. शाखाओं में की गयी सभी वसूलियां, जिनमें समायोजन के लिये उचन्त खाते रखी वसूलियां भी शामिल रहती हैं, नियमित रूप से मंडल कार्यालयों को भेज दी जाती हैं । मंडल कार्यालय उनके पास उपलब्ध अधिशेष रकमों का दैनिक विवरण केन्द्रीय कार्यालय को भेजते हैं । इस प्रकार समायोजन की प्रतीक्षा में कोई भी जमा रकमें अनियोजित नहीं रहतीं ।

श्री डी० के० पंडा :–विवरण के प्रारंभ में ही यह बताया गया है कि समायोजन के लिये रुकी पड़ी उचन्त खाते डाली गई रकमें और जीवन बीमा निगम को प्राप्त कुल प्रीमियम के आंकड़े इस प्रकार हैं जैसे कि विवरण में दिये गये हैं। विवरण के अंत में बताया गया है कि

"इस प्रकार समायोजन की प्रतीक्षा में कोई भी जमा रकमें अनियोजित नहीं रहती"।

संपूर्ण का उद्देश्य इस तथ्य को सामने लाना है कि उचन्त खाते डाली जाने वाली रकमों के समायोजन तथा नियमित रूप से स्थानान्तरण में बहुत विलम्ब होता है। इन राशियों को, विशेषतया सार्वजनिक क्षेत्र में, उत्पादन उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह प्रश्न पूछा गया था कि करोड़ों रुपये की राशि उचन्त खाते पड़ी रहती है।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि कुछ मामलों में संख्या में त्रुटि होने के कारण अथवा त्रुटि से संख्या न बताये जाने के कारण राशियों को खातों में नहीं डाला गया तथा मंडल कार्यालयों के पास स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। उड़ीसा में भी उचन्त खातों में ऐसी बहुत बड़ी राशि पड़ी हुई है जिसके बारे में सही खातों का पता नहीं है। इसलिये, पैरा (1) से (3) में बताये गये उपायों के अतिरिक्त, जिनके दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सरकार का विचार और कौन से शीघ्र उपाय करने का है जिससे उचन्त खातों में पड़ीं इतनी बड़ी राशियों को नियमित करने में ऐसा विलम्ब न हो दूसरे, क्या इन राशियों को सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन उद्देश्यों के लिये उपयोग लाया जा सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते कि इस राशि को उत्पादन उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है और इस राशि को, चाहे सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिये उपयोग में लाया जाये, कम किया जाये। इस राशि को निश्चितरूप से उपयोग में लाया जा सकता है। और जीवन बीमा निगम पिछले कई वर्षों से ठीक यही कार्य अर्थात उचन्त खातों में पड़ी राशि को कम करने के लिये प्रयत्नरत है। वास्तव में आंकड़ों में सुधार होने की बहुत अधिक संभावना है परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि वर्ष 1972 के अन्त तक 34.05 करोड़ रुपये की राशि उचन्त खातों में पड़ी थी। मैं यह बात भी बताना चाहती हूं कि यह राशि कुल प्रीमियम का 10.25 प्रतिशत है। हम उचन्त खातों में पड़ी राशि को समायोजित करके और कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी बात जो कही गई है कि यह राशि अनियोजित है, पूर्णतया ठीक नहीं है क्योंकि शाखाओं में प्राप्त होने वाली कुल राशि मंडल केन्द्रों को भेज दी जाती है और मंडलों से केन्द्र को तुरन्त दैनिक रिपोर्ट अथवा दैनिक सूचना प्राप्त होती है कि उनके पास कुल कितनी फालतू राशि पड़ी है। चाहे इस राशि का समायोजन हो अथवा नहीं, चाहे यह उचन्त खाते में हो अथवा नहीं, सम्पूर्ण फालतू राशि को तुरन्त नियोजित किया जाता है। इसीलिये उचन्त खातों में 34 करोड़ रुपये की राशि होते हुये भी अनियोजित राशि जो पहले 19 करोड़ रुपये थी, अब कम होकर 15.72 करोड़ रह गई है।

श्री डी० के० पंडा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 मार्च 1973 तक के भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक वर्ष व्यतीत हो चुका है और जो आंकड़े बताये गये हैं वे मार्च, 1972 तक के हैं। अतः मार्च, 1972 से मार्च, 1973 तक के उचन्त खातों में पड़ी राशि के आंकड़े ज्ञात नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा उत्तर में बताया गया है। अतः इसके लिये क्या उपाय करने का विचार है ? यह मेरा सीधा प्रश्न है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह बहुत ही सम्बद्ध प्रश्न है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हमारे पास 31 मार्च, 1972 तक के अधिकृत आंकड़े उपलब्ध हैं । उस विशिष्ट वर्ष में, जैसा कि मैंने बताया है, अनियोजित राशि 19.65 करोड़ से कम होकर 15.72 करोड़ रह गई है । परन्तु जो नये उपाय किये गये तथा जिनसे सफलता मिली है और जिन्हें हम आगे भी प्रयोग में लाना चाहते हैं वह यह हैं कि एक नया खाता खोला गया है, अर्थात् लेखा संख्या 3, जिसमें सम्पूर्ण फालतू राशि नियोजित की जाती है और इसका हिसाब किताब केन्द्रीय कार्यालय द्वारा रखा जाता है । हमें विश्वास है कि इस उपाय से उचन्त खातों में पड़ी राशि कम से कम कर सकने का कार्य और शीघ्रता से हो सकेगा ।

Shri Naval Kishore Sinha : Sir, the private companies used to send premium notice to their clients intimating the date and amount due against them as quarterly, half-yearly or annual premium before nationalisation of Life Insurance ? This practice has been discontinued after nationalisation. So whether she would consider to re-introduce the old practice so as to obviate outstanding arrears ?

Secondly, in case of short payment of premia, interest was charged on the amount not paid after the grace period and the interest was deducted from the payments already made. I want to know what is the diffculty in re-introducing this practice ?

Smt. Sushila Rohatgi : Regarding the first question, I may state that I have no such information and that that practice has not been discontinued. However, I will find out the exact position, since the hon. Member has referred to it. Apart from that reminders are also issued from time to time. In case premia are not deposited in time, late fees are charged and their account is also kept in suspense as LIC is a commercial body and has to fulfil contractual obligations. Therefore, final receipts cannot be issued and deposit are shown as balances unless all requirements have been met.

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिए गए आंकड़े वर्ष के अंत में प्राप्त जमा राशि के हैं । इनसे लगता है कि प्रति वर्ष उत्तरोत्तर अधिक राशियां जमा होती रही हैं । इनमें से किसी वर्ष विशेष में कितनी राशि का समायोजन किया गया क्योंकि विवरण में इसका उल्लेख नहीं है ? दूसरे, जमा राशि में वृद्धि का एक कारण पालिसी धारियों द्वारा प्रिमीयम के रुप में कम राशि का जमा करना है जो शेष राशि प्राप्त होने तक प्राप्त हुई नहीं दिखाई जाती, उन पालिसियों के मामलों में, जो कुछ निश्चित अवधि बीत जाने के कारण व्ययगत नहीं हो सकती, कम जमा कराई गई राशियां जमा दिखा कर शेष वसूल करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताना है कि यद्यपि प्रीमियमों की राशि बढ़ती रही है, फिर भी कुल प्रीमियम राशि की अपेक्षा प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियों में कमी हुई है । अतः यह भी सच है कि प्रीमियम और अन्य राशियां जो जमा नहीं दिखाई गई हैं, वे कम हुई हैं । कार्यवाही के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि कदम तो सदा ही उठाए जाते हैं परन्तु जब तक ठेके के दायित्व पूरे न हों और कम जमा कराई गई राशि भी जमा न करा दी जाए, रसीद नहीं जारी की जा सकती ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ निश्चित अवधि के बाद व्ययगत न होने वाली पालिसियों के मामलों में राशि का समायोजन क्यों नहीं हो सकता ? इसमें तो ठेके के दायित्व पूरे न करने का तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : रसीद जारी करने से पूर्व पूरी राशि मिलना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई तर्क-वितर्क नहीं हो सकता । अगला प्रश्न ।

पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन और बेलूरमठ में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रस्ताव

*184. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शान्ति निकेतन और बेलूरमठ में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग के विदेश प्रचार अभियान में कलकत्ता और पूर्वी क्षेत्र के प्रति पर्यटकों में अभिरुचि उत्पन्न करने के विशेष प्रयास भी शामिल हैं। "कलकत्ता" और "पूर्वी भारत" इन शीर्षकों से सुचारु रुप से डिज़ाइन किये गये दो फोल्डरों में पश्चिमी बंगाल के आकर्षण-स्थलों की सूची में शान्ति-निकेतन और बैलूरमठ का विवरण भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी शान्ति-निकेतन पर एक रंगीन ब्राशर निकाला है जिसका वितरण हमारे विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों द्वारा किया जाता है। चूंकि विद्यार्थियों, अध्यापकों और कलाकारों में शान्ति-निकेतन के प्रति विशेष रुचि की संभावना है, अतः हमारे कार्यालय इस वर्ग के व्यक्तियों को शान्ति-निकेतन की यात्रा के लिये भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : निःसंदेह सरकार ने प्रचार की व्यवस्था की है परन्तु क्योंकि शान्ति निकेतन और बैलूरमठ हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, अतः क्या सरकार दूतावासों को निर्देश देगी कि वे यात्रा एजेंटों से कहें कि शान्ति निकेतन और बेलूरमठ की यात्राएं संगठित की जायें ?

डा० सरोजिनी महिषी : जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, विदेशों में स्थित हमारे कार्यालय इस दिशा में प्रयत्नशील हैं परन्तु वे पूरे देश की झांकी प्रस्तुत करते हैं न कि किसी स्थान या क्षेत्र विशेष की। अतः जो लोग शान्ति-निकेतन आकर वहां की कला और संस्कृति देखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हमारे अधिकारी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण मेला है। उस समय कलकत्ता और बेलूरमठ में और इसके आसपास विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या सरकार कलकत्ता के होटलों में केबरे नृत्य बन्द कर के विदेशी पर्यटकों के लिए रवीन्द्र संगीत, रवीन्द्र नृत्य नाटिकाएं और कुछ लोक नृत्य तथा शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव मात्र है।

डा० सरोजिनी महीषी : सभी सरकारी होटलों में हम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं जिनसे देश का सांस्कृतिक रुप झलकता हो। इसके अलावा होटल वाले भी यह समझने लगे हैं कि विदेशी पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए देश की सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक है। दूसरे भारतीय पर्यटन विकास निगम के विश्रान्ति वाहन दक्षिणेश्वर और बेलूरमठ तथा अन्य स्थानों पर पर्यटक ले जाते हैं। राज्य सरकार भी **यह** प्रबंध करती है। उक्त निगम के वाहन विदेशी पर्यटकों की परिवहन तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करता है।

श्री बी० के० दास चौधरी : जहां मैं मंत्रालय के इन प्रयासों की सराहना करता हूं, वहां मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के कार्यालयों और एयर-इंडिया के परिचालित किए जाने वाले फोल्डरों में इन दोनों स्थानों का भी उल्लेख है ?

डा० सरोजिनी महिषी : विभाग द्वारा तैयार किए गए दो फोल्डरों में इनका उल्लेख है । राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया एक फोल्डर शान्ति निकेतन के ही बारे में है । इन्हें भी हमारे कार्यालयों द्वारा विदेशों में बांटा जाता है। विदेशों में राम कृष्ण मिशन की शाखाएं भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और हम भी उनकी सहायता करते हैं ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : क्या इन दोनों स्थानों पर पर्यटक-गृह हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : वहां 60 कमरों का एक अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि-गृह है जिनमें से कुछ वातानुकूलित हैं । राज्य सरकार भी कुछ होटल वहां चला रही है ।

डा० रानेन सेन : और बेलूर में ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह स्थान तो कलकत्ता के बहुत ही निकट है । लोग वहां जाते हैं परन्तु वे ठहरते नहीं हैं । अतः बेलूर में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the hon. Minister has just now stated that the offices of her Ministry are doing good publicity to attrack foreign tourists to see all the places in our country. But I am of the opinion that they are making any efforts and the literature brought out by them is also not upto the mark and the publicity is not properly done. I have myself seen. I, therefore, want to know whether something would be done to invigorate these offices ?

Dr. Sarojini Mahishi : The number of incoming foreign tourists has gone up considerably. However any suggestion by the hon. Member is welcomed.

इंजीनियरिंग सामान के लिए लातीनी अमरीका में अच्छी मांग

+

*185. **श्री वी० मायावन :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इंजीनियरिंग निर्यात परिषद में चेयरमैन के नेतृत्व में जून में लातीनी अमरीकी का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस परिषद के चेयरमैन ने कहा है कि लातीनी अमरीका में इंजीनियरिंग सामान की अच्छी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके लिये वहां अच्छी मांग है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) अध्यक्ष के प्रतिवेदन में सुझाव है कि लैटिन अमरीकी बाजार में निम्नोक्त मदों के लिए काफी गुंजाइश है :

(1) टैक्सटाइल मिलों का आधुनिकीकरण

(2) चीनी उद्योग का विस्तार और आधुनिकीकरण

(3) सीमेंट उद्योग का विस्तार

(4) बिजली पैदा करने और वितरण संबंधी उपस्कर विशेष रूप से ट्रान्समीशन लाइन टावर और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स

(5) मूल व्यवस्था और जल सप्लाई उपस्कर

(6) रिफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के लिए उपस्कर

(7) विशेष रूप से केरिफ्टा और एन्डीन समूह देशों में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे बाइसिकल, एयर कंडीशनिंग, हाउस सर्विस मीटर, ट्रांसमीशन लाइन टावर, संयुक्त उद्यम के लिए अवसर।

तृतीय देशों में विनिर्माण कार्य करने के लिए ब्राजील में विकसित देशों के साथ सहयोग करने की भी गुंजाइश है। ब्राजील एवं अर्जेन्टीना में मोटर गाड़ी तथा बाइसिकल उद्योगों के लिए संघटकों की सप्लाई की संभावनाएं भी हैं।

श्री वी० मायावन : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने उन वस्तुओं की सूची दी है जिनके लातीनी अमरीकी देशों में निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। मंत्री महोदय ने मद संख्या (1) से (6) के बारे में कहा है कि इनमें हमारे देश में ही कमी है और इनके लिए आवश्यक वस्तुएं हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। इन मदों का उत्पादन कब तक बढ़ पाएगा ? मद संख्या 7 साईकलों और गृह-सेवामीटरों के निर्यात के बारे में है। हम 'कैंपिफ्टा' और 'ऐण्डियन' देशों को इनका निर्यात कब तक कर पायेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सदस्य महोदय ने लातीनी अमरीकी देशों में गए प्रतिनिधिमंडल के निष्कर्षों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं। मैंने उनका ब्यौरा दिया था। मैंने कहीं यह दावा नहीं किया कि उन देशों में जिन वस्तुओं की मांग है वे सभी हमारे देश में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। क्योंकि उन्होंने कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा है, अतः मैं दिए गए उत्तर के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा।

श्री वी० मायावन : सरकार ने मोटरगाड़ी और साइकिल उद्योग की स्थापना में ब्राजील और अर्जेनटाइना से सहयोग करने का कोई प्रयास किया है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : वहां जाने वाले दल की सिफारिश में विशेष सामान, दल और कुछ विशेषज्ञ अधिकारी वहां भेजे जाएं और समस्याओं का अध्ययन करें। इस समय हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते कि अन्ततः हम क्या-क्या कर सकेंगे। अतः ये विशेषज्ञ दल वहां जा कर ठोस प्रस्तावों का अध्ययन करेंगे जिनमें सदस्य द्वारा उल्लिखित चीजें भी शामिल हैं।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या उक्त प्रतिनिधिमडल की रिपोर्ट में भारत से उन देशों को अपर्याप्त जहाजी सुविधाओं का भी उल्लेख है और क्या उन देशों को गए सभी प्रतिनिधि मडलों का भी यही कथन है यदि हां तो, नागर विमानन और नौवहन मंत्रालयों से क्या प्रबन्ध और अनुरोध आदि किए हैं और उन्होंने क्या उत्तर दिया है ?

प्रो० डी ०पी० चट्टोपाध्याय : इन दो बातों का उल्लेख करने के लिए मैं सदस्य महोदय का आभारी हूं। अन्य बातों के अलावा इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और उन देशों के बीच कुछ सीधी विमान सेवाएं आरंभ करने या यदि यह संभव न हो तो उन देशों को भी इन सेवाओं के अन्तर्गत लाने के महत्व पर बल दिया है। हम इन मामलों पर संबद्ध मंत्रालयों से संपर्क बनाए हुए हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या उनको पता है कि कुछ अधिकारियों ने एक संघ सा बना रखा है और इसीलिए सभी प्रतिनिधिमंडलों की अधिकांश रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई है कि विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति वहां जाए और इस सिफारिश पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। इसी कारण विदेश व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में गत कुछ वर्षों की अपेक्षा हाल ही में विदेश गए प्रतिनिधिमंडलों की संख्या कहीं अधिक है और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या गत वर्ष की अपेक्षा दुगुनी होती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण मत दीजिए।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिफारिश एक ही प्रतिनिधि मंडल ने की है या सभी ने की है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सिफारिशें साधारण अधिकारियों के बारे में न होकर 25 विशेषज्ञ अधिकारियों तथा कुछ विशेष माल संबंधी दलों के बारे में है। यह यात्रा साधारण अधिकारियों की विदेश यात्रा न होकर विशेषज्ञों द्वारा मंडियों के गहन अध्ययन हेतु आवश्यक यात्रा है।

Shri Sarjoo Pandey: I want to know whether any agreement has been signed with those countries on the basis of visits by these delegations and what are the commodities we want to export ? I also want to know the difference of prices between the two countries and the general estimate of the expected foreign exchange earnings thereby ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अनेक देशों को अनेक वस्तुओं का निर्यात होता है व्यौरा बताने के लिए पृथक सूचना की आवश्यकता है। अतः मैं केवल सामान्य जानकारी ही दूंगा। 1970-71 में लातीनी अमरीकी देशों सहित सभी देशों को 116.59 करोड़ रुपये की 1971-72 में 126.04 करोड़ रुपये की और 1972-73 में 150.24 करोड़ रुपये की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात किया।

राष्ट्रीय जन जीवन पर कराधान के प्रभाव की जांच करने के लिये आयोग

+

*186. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में जून, 1973 के पहले सप्ताह में आयोजति हुए कराधान संबंधी दो-दिवसीय अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय-जीवन पर कराधान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक काराधान जांच आयोग गठित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान परिषद की कराधान समीति द्वारा जून, 1973 में बंगलौर में आयोजित अराधान विषयक अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की गयी थी कि सरकारी राजस्व तथा सरकारी व्यय के क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग द्वारा कर संबंधी नीति की विस्तृत जांच की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार राजस्व विषयक नीति की बराबर समीक्षा करती रहती है। पांचवीं आयोजना की अवधि में राजस्व विषयक नीति के बुनियादी मामलों पर विचार करने के उद्देश्य

से अभी हाल ही में, आर्थिक कार्य विभाग में एक राजस्व विषयक नीति कक्ष स्थापित किया गया है। इस काम में कक्ष का मार्गदर्शन करने के तथा अन्ततः पांचवीं आयोजना के उद्देश्यों और कार्यों के अनुरूप राजस्व विषयक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक अन्तर-मंत्रालयीय कार्यकारी दल भी नियुक्त किया गया है। विचार गोष्ठी में दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार फिलहाल कराधान जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कराधान विषयक अखिल भारतीय गोष्ठी में की गई सिफारिशों के अनुसार जनता की आय के वितरण पर और सामान्य आर्थिक विकास पर वर्तमान कर ढांचे के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है, और यदि हां, तो सरकार का विचार कर व्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाने का है।

श्री के० आर० गणेश : सरकार आम वित्तीय नीति पर कर व्यवस्था के प्रभाव की निरन्तर समीक्षा कर रही है, विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई है। छठे दशक के पूर्वार्द्ध से लेकर जब से जान मथाई समिति ने संपूर्ण कराधान की विस्तृत जांच की थी, तब से अब तक विभिन्न सरकारी समितियों ने इस पर विचार किया है। हाल ही में, बांचू समिति ने कर न देने के बारे में तथा काला धन और कराधान नीति की विस्तृत जांच की थी, राज समिति ने भी कृषि आय और सम्पत्ति कर की जांच की है, जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा के दौरान घोषणा की थी कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक सैल स्थापित किया है तथा देश की आवश्यकता और उद्देश्यों के संबंध में वित्तीय नीति के लिए उचित विधि बनाने हेतु एक अंतर-मंत्रालय कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पादन शुल्क आदि जैसे सरकारी शुल्क लगाने से आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। मैं जान सकता हूं कि क्या इस संबंध में आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो वे राहत संबंधी उपाय क्या हैं ?

श्री के० आर० गणेश : वस्तुतः इसका तात्पर्य बजट संबंधी नीति पर चर्चा करना होगा। यह सच है और इस सभा में हाल ही में कई बार मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा लोगों की कठिनाइयों पर विचार किया गया है। उत्पादन शुल्कों के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि दुर्बल वर्गों पर पड़ने वाले इसके प्रयास को यथासंभव दूर किया जाये।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister may be aware that the proportion of the revenue earned by the Government through direct taxes for the last twenty six years, is declining and the revenue earned through indirect taxes, the impact of which has to be borne by the poor, is increasing. Due to the creation of the economy of scarcity, the goods are sold in the market on higher prices than listed prices. For instance tyre costing Rs. one thousand is selling at Rs. two thousands, Tatas' truck is being sold at a premium of Rs. twelve thousand. In the same way Fiat and Ambassador Cars are also being sold at a premium. The Government do not get excise duty on it. Since the money pertains to black marketting, so the question of Income tax does not arise on it. May I know whether the hon. Minister will place such scheme before the House under which the tax evasion on account of selling items at higher prices than listed prices and at a premium in the open market may be avoided ?

श्री के० आर० गणेश : राशि आय में प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष करों का भाग बढ़ा है...

Shri Madhu Limaye : I have asked about tax evasion and the hon. Minister is talking about National Income. Mere talking here is not going on. The hon. Minister should reply. He is just evading. He is talking of percentage of national income.

श्री के० ग्रार० गणेश : माननीय सदस्य से कोई सहमत नहीं होगा, इसमें कोई वजन नहीं है, यह सर्वविदित है कि इस देश में कुछ विवशताओं के बावजूद भी गत कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता बढ़ी है । यह एक तथ्य है कि जिसे सरकार ने स्वीकार किया है तथा इससे सब अवगत हैं, मैं आंकड़े देने का प्रयत्न कर रहा हूं जिससे पता चलेगा कि संसाधनों को जुटाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप लगभग 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता में भी वृद्धि हुई है, दूसरा प्रश्न उन्होंने गलत तरीके से व्यापार करने और चोर बाजारी के बारे में पूछा है, यह एक प्रशासनिक मामला है और इसको नियमों के अंतर्गत निबटाया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have not asked insignificant question. I have given some examples that Tatas' trucks and automobiles are being sold at a premium and tyres are selling at higher prices than the listed prices. What steps are to be taken by the hon. Minister in this respect. He may reply to my question.

श्री नरेंन्द्र कुमार साल्वे : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य कर रहे विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का एक दल 21 विकासशील देशों के कराधान का विशेष अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारत में सकल राष्ट्रीय आय में से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के रूप में होने वाली आय उनके द्वारा अध्ययन किए गए 21 देशों में सबसे कम है तथा इसमें हमारा स्थान 19वां है ? उनका दूसरा निष्कर्ष यह था कि एक स्तर पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान अधिकतम बिन्दु पर पहुंच जाता है जिसके बाद उत्पादन और आय वृद्धि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1960-61 के आंकड़ों की तुलना में हमारी यह वृद्धि शून्य पर आ गई है। मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस प्रश्न का कोई अध्ययन किया है कि क्या हम इस आशानुकूल लक्ष्य पर पहुंच गए हैं अथवा क्या हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कराधान का यह लक्ष्य प्राप्त करना है ताकि हम ऐसे बिंदु पर न पहुंचें जहां हम ऐसी कराधान नीति अपनाएं जो आय तथा उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालती है ?

श्री के० ग्रार० गणेश: मैंने पहले ही बता दिया है कि वांचू समिति ने इस मामले पर भी विचार किया था ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह ठीक उत्तर नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या वांचू समिति ने इसकी जांच की थी ?

श्री के० ग्रार० गणेश : मैं कराधान तथा कर ढांचे के मामले में माननीय सदस्य की जानकारी स्वीकार करते हुए यह बताना चाहूंगा कि यहां मैं आम अर्थ-व्यवस्था पर भी बोल रहा हूं जब मैंने यह बताया कि वांचू समिति ने इसकी जांच की थी, तो इसने विशेष रूप से इस प्रश्न की जांच नहीं की होगी अपितु संपूर्ण कराधान का अध्ययन किया था जो कि सुसंगत है, समिति के अनुसार यह समस्याएं हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, उन्होंने संपूर्ण कराधान का अध्ययन किया है ।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पांचवीं योजना के उद्देश्यों के संबंध में वित्तीय नीति संबंधी विधि बनाने के लिए वित्त मंत्रालय में एक विशेष सैल की भी स्थापना की गई है । यह सैल अप्रत्यक्ष कराधान के कुछ पहलुओं का भी, जिसका उत्पादन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, अध्ययन करेगा। किसी स्तर पर इस मामले की जांच की जायेगी, मेरा कहना है कि यह प्रश्न इस मामले की जांच करने के लिए कराधान आयोग की स्थापना करने से संबंधित है, प्रश्न का यह पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि इसका विकास हुआ है, इसकी सीमाएं तथा भारत में संकुचित कराधान से पृथक है तथा वित्तीय कराधान विधि वनाते समय इन वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह उत्तर है ?

श्री दिनेश सिंह : कृपया वे बताएं कि इनकी जांच की गई है अथवा नहीं ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने बताया है कि इस पर अध्ययन किया गया है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या बंगलौर में कराधान विषयक विचार गोष्ठी में यह ठीक ही कहा गया था कि सबसे अच्छा सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति को भार वहन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० आर० गणेश : प्रत्यक्ष कर की संपूर्ण नीति इस बात पर आधारित है जो कर दे सकने में सक्षम है ।

श्री जी० विश्वनायन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर चर्चा की गई थी ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबन्ध है, इसका उद्देश्य इस भार को यथा संभव कम करना है ।

रुग्ण चाय बागानों का प्रबंध अपने हाथ में लेने के बारे में 'टास्क फोर्स' द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना

*188. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टास्क फोर्स' ने, जिसने रुग्ण चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के प्रश्न की जांच की थी, सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन पर कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय उद्योग के विकास और निर्यातों के संवर्धन हेतु एक व्यवहार्य और दीर्घकालिक नीति विकसित करने के लिए स्थापित कृतिक बल द्वारा अपने प्रतिवेदन का पहला भाग प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों के संबन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

विवरण

बंद पड़े तथा बीमार बागान

(क) बीमार बागानों को अपने नियंत्रण में लेने और उनका प्रबन्ध चलाने के लिए सरकार को शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजनार्थ चाय अधिनियम अथवा एक सुनियोजित विधान के अन्तर्गत उपबन्ध समाविष्ट किये जाने चाहियें। ये शक्तियां उन्हीं के अनुरूप हों जो इस समय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में निहित हैं ।

18 LSS/73—3.

(ख) जिस बागान की अपनी फैक्टरी हो और जिसे निर्धारित आधार के अनुसार बीमार समझा जाए उसके कार्यकरण के संबन्ध में जांच के आदेश देने की कानूनी शक्तियां सरकार को प्राप्त करनी चाहिएं।

(ग) एक बागान को उस अवस्था में बीमार समझा जा सकता है जबकि उसने पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में हानियां उठाई हों, जिला विशेष में उद्योग की औसत उपज की तुलना में उसकी उपज पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में 25% कम रही हो और बागान कानूनी दायित्वों को नियमित रूप से पूरा न कर रहा हो।

(घ) सरकार बीमार अथवा बन्द पड़े उस बागान को जो कि जीवनक्षम एकक के रूप में परिवर्तित किये जाने योग्य हो, समिति द्वारा सिफारिश की गई अवधि, जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी के लिए अपने विवेकाधिकार के आधार पर अपने नियंत्रण में ले सकती है।

(ङ) जो बागान सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाए उसका प्रबन्ध भारतीय चाय व्यापार निगम लि० अथवा एक केन्द्रीय अथवा राज्य पब्लिक कार्पोरेशन अथवा किसी अन्य सुनियोजित अभिकरण, जिसे कि सरकार इस कार्य के लिए उपयुक्त समझे, को सौंपा जा सकता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार ने उन मानदंडों को बताया है जिनकी सिफारिश कार्य दल ने की है कि सरकार को इनके आधार पर कुछ संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार करना चाहिए।

इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में तथा विशेषकर केरल, पश्चिम बंगाल और आसाम में कितने चाय बागान संकटग्रस्त हैं और कितने चाय बागान बंद पड़े हैं।

प्रश्न के भाग (ख) के संबन्ध में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आसाम, पश्चिम बंगाल और केरल में चाय बागानों की औसत उत्पादकता कितनी है।

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि चाय बोर्ड के अनुसार 20 एकड़ से बड़े बन्द पड़े चाय बागानों की संख्या यह है :—पश्चिम बंगाल–6, आसाम–14, उत्तर प्रदेश–6, त्रिपुरा–2 और केरल–10। हमें बहुत आशा है कि कार्य दल द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार हम संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्या को हल कर सकेंगे।

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में चाय बागानों की उत्पादकता के बारे में पूछा है। मैं राज्य-वार उत्पादकता के आंकड़े तो नहीं दे सकूंगा पर मैं क्षेत्रवार आंकड़े दे सकता हूं, वर्ष 1960 में सारे भारत की उत्पादकता प्रति हेक्टर 971 किलोग्राम थी; वर्ष 1971 में यह बढ़कर प्रति हेक्टर 1215 किलोग्राम हो गई। क्योंकि माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल के बारे में पूछ रहे हैं और चूंकि केरल दक्षिण क्षेत्र का भाग है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 1960 में यहां की उत्पादकता प्रति हेक्टर 1051 किलोग्राम थी और अब यह बढ़कर प्रति हेक्टर 1385 किलोग्राम हो गई है जो कि वस्तुतः बड़ा अच्छा रिकार्ड है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में वर्ष 1960 के दौरान उत्पादकता प्रति हेक्टर 947 किलोग्राम थी और अब यह बढ़कर प्रति हेक्टर 1171 हो गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल बंद पड़े चाय बागानों का जिक्र किया है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि मानदंड के आधार पर कितने चाय बागानों को संकट ग्रस्त समझा गया है। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री ए० सी० जार्ज : चाय बोर्ड की सूचना के अनुसार, जिन्होंने विभिन्न चाय बागानों की आर्थिक स्थिति जानने के बारे में एक प्रश्नावली भेजी थी, अब तक 125 चाय बागान अलाभकर ह। य पूर्णतया संकटग्रस्त नहीं हैं। कुल चाय बागानों में उनका प्रतिशत अनुमानतः 7.92 है तथा उनका कुल क्षेत्रफल 23,330 हेक्टर है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कार्य दल ने चाय बागानों की वर्तमान खराब स्थिति सुधारने के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रमों की सिफारिश की है। मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल तथा केरल की राज्य सरकारों ने भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वे चाहते हैं कि सरकार चाय बागानों को अपने नियंत्रण में ले ले और केरल सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को देखते हुए और समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए क्या सरकार विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों और संकटग्रस्त चाय बागानों को शीघ्र ही अपने नियंत्रण में लेने के लिए गंभीरता से विचार करेगी?

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रश्न है, हम कार्य दल द्वारा दिये गए सुझावों पर कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक चाय बागानों को मोटे तौर पर अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न है भारत सरकार का चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई विचार नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सरकार को क्या कहना है।

श्री ए० सी० जार्ज : विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों के बारे में भी सरकार अभी सक्रियता से विचार नहीं कर रही है?

श्री बी० के० दास चौधरी : मैंने मंत्री महोदय का उत्तर बड़े ध्यान से सुना है। वाणिज्य मंत्री महोदय ने दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के चाय क्षेत्रों का दौरा किया था और संवाददाताओं को यह बताया था कि प्रत्यक्ष जांच, निरीक्षण तथा इस उद्योग में लगे जानकार व्यक्तियों से और आगे बातचीत करने के बाद यह पता लगा कि उस क्षेत्र में 25 प्रतिशत चाय बागानों को संकटग्रस्त कहा जा सकता है परन्तु मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्य दल ने जो मानदंड निर्धारित किया है, उसके अनुसार संकटग्रस्त अथवा बंद पड़े अथवा अलाभकर चाय बागानों की संख्या बहुत कम है। पहले, मैं जानना चाहता हूं कि कार्य दल ने इस उद्योग के विकास हेतु सक्षम तथा दीर्घकालीन विधि बनाने के लिए इस उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है। दूसरे, कार्य दल अथवा चाय बोर्ड ने, संकटग्रस्त अथवा बंद पड़े चाय बागानों के अतिरिक्त, चाय उद्योग के विकास के लिए क्या निश्चित सुझाव दिए हैं? तीसरे, सभा पटल पर रखे गए विवरण के पैरा (घ) के अनुसार सरकार अपने विवेकानुसार, किसी संकटग्रस्त अथवा बंद पड़े चाय बागान को उतनी अवधि के लिए अपने नियंत्रण में ले सकती है जितनी कि समिति द्वारा सिफारिश की जाए, परन्तु यह अवधि सात वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस अवधि के उपरान्त क्या होगा? यदि किसी चाय बागान को अपने नियंत्रण में लिया जाता है तो क्या 7 अथवा 10 वर्षों के उपरान्त चाय बागान की सम्पत्ति इनके मालिकों को

लौटायी जायेगी ? इस संबन्ध में सरकार की क्या नीति है ? अथवा क्या इनको अपने नियंत्रण में लेना राष्ट्रीयकरण करने का पहला चरण है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यह सच है कि मैंने स्वयं उन क्षेत्रों को देखने तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया था । परन्तु मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है ।

प्रो० बी० के० दास चौधरी : यह वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह गलत समाचार है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबन्ध है, इस बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं । अतएव इनमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऐसे बागानों को आसानी से संकटग्रस्त अथवा अलाभकर घोषित किया जा सकता है ।

उनका तीसरा प्रश्न दीर्घकालीन विधि के बारे में है, हमारा मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझावों के अनुसार विशेषकर आसाम में चाय बागान का बड़े पैमाने पर विस्तार करना चाहता है, हम प्रयत्न करेंगे कि चाय बागान का क्षेत्र 1 लाख हेक्टर तक बढ़ाया जा सके ताकि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सके ।

श्री बी० के० दास चौधरी : सात वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त क्या होगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रश्न स्पष्ट है । इस पर बाद में विचार होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

31-5-73 को पालम हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान के प्रत्येक जीवित यात्री को चिकित्सा के लिए दी गई राशि

***181. श्री भोला मांझी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि 31 मई, 1973 को पालम हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुये बोइंग विमान के प्रत्येक जीवित यात्री को अपनी चिकित्सा कराने के लिये 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक जीवित यात्री को कितनी राशि का भुगतान किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने विमान-ध्वंस (क्रश) से जीवित बचे हुए 15 यात्रियों में से प्रत्येक को अस्पताल में रहने के दौरान उनका जेब खर्च चलाने के लिये दो-दो हजार रुपये की राशि दी थी । एयरलाइन्स को अस्थायी रूप से विकलांग हो जाने (डिसेबलमेंट) के कारण एक यात्री से एक बिल तथा एक यात्री से एक क्लेम मिला है । इन दोनों के निपटान की कार्यवाही की जा रही है ।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

***187. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबन्धी बहुत पुरानी मांग की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के सरकारीकरण में बिलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है ।

अमरीकी डालर के अवमूल्यन का भारत के निर्यात पर प्रभाव

***189. श्री एस० एम० बनर्जी:**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी डालर के अवमूल्यन से भारत के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) 1973 की चालू अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका को किए गए भारत के निर्यातों के व्यापार आंकड़ों के अभाव में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति के अभी भी अस्थिर रहने के कारण, संयुक्त राज्य अमरीका को किए गए हमारे निर्यातों पर डालर अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है । तथापि, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये की मूल्य वृद्धि को देखते हुए (जिससे ऐसी संभावना है कि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में थोड़े से मंहगे हो जाएंगे) ऐसी संभावना है कि संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे निर्यातों की गति में कुछ गिरावट आए ।

संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले भारत के निर्यातों में पटसन के माल का प्रमुख स्थान है जो उस देश को निर्यात के कुल मूल्य का लगभग आधा होता है । स्थिति का सामना करने तथा अमरीकी बाजार में भारतीय पटसन के माल की प्रतियोगी स्थिति सुधारने के लिए 12 जून, 1973 से प्राइमरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क को 300 रु० प्रति मे० टन से घटा कर 200 रु० प्रति मे० टन और सैकेन्ड्री कालीन अस्तर पर इसे 700 रु० प्रति मे० टन से घटा कर 300 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया है ।

जापान को अधिक मात्रा में निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में जांच

***190. श्री एम० एस० पुरती : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत सरकार से उन वस्तुओं की सूची मांगी है जिनका जापान को अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में किन वस्तुओं को चुना है ?

वाणिज्य मंत्री में उप-मंत्रालय (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जापान के व्यापार संवर्धन सरकारी भिकरण जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) के दिल्ली कार्यालय ने प्राइमरी व विनिर्मित दोनों प्रकार की कुछ ऐसी प्राथमिकता प्राप्त मदों की सूची मांगी थी जिनका भारत से जापान को निर्यात किया जा रहा है या किये जाने का इरादा है । जेट्रो को भेजी गई मदों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5295/73]**

सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात

***191. चौधरी राम प्रकाश :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी-कागज़ के आयात के लिए सोवियत संघ से करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ से 50,000 मे० टन अखबारी कागज खरीदा है जिसका आयात जुलाई 1973 से लेकर मई 1974 के दौरान किया जायेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग नियुक्त करना

***192. श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निर्देश-पद क्या होंगे और उसके सदस्य कौन कौन होंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

भारत सरकार ने हाल में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों (अवार्ड स्टाफ के अतिरिक्त) वेतन-मान, भत्तों और परिलब्धियों को मानकीकृत करने के लिये, एक समिति की स्थापना की है । यह समिति निम्नलिखित मामलों में जांच करेगी तथा सरकार को सिफारिशें देगी :—

(i) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों के वेतन-मानों के ढांचे को निर्धारित करने वाले सिद्धान्त और वर्तमान ढांचे में उन परिवर्तनों का सुझाव देगी जो वेतन-मानों के मानकीकरण के लिये आवश्यक हैं । अपनी सिफारिशें देते समय, यह समिति राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की शर्तों को ध्यान में रखेगी ;

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न पदक्रमों के अधिकारियों को वस्तुओं के रूप में देय भत्ते, सुविधाएं, सहूलियतें या लाभ ;

(iii) अधिकारी संवर्गों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु और अन्तिम लाभों की किस्म और मात्रा ;

(iv) वे सिद्धान्त जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों की अदला-बदली पर लागू होंगे जिन्हें किसी प्रदेश में शाखाओं पर नियंत्रण करना होता है या जिन्हें नीति निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी जानी है या जिनकी परिलब्धियों में अन्य परिलाभों सहित वेतन-मान के आरम्भ में प्रतिमास 2000-कुल रुपया और उससे अधिक हो; और

(v) उपर्युक्त विषयों से प्रासंगिक या सहायक अन्य कोई भी विषय जिसे समिति उपयुक्त समझे।

2. इस समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. श्री वी० आर० पिल्लई	अध्यक्ष
2. श्री एस० एम० जोशी	सदस्य
3. श्री के० पी० जे० प्रभु .	सदस्य
4. श्री जे० एम० लालवानी	सदस्य
5. श्री आर० राजमणि	सदस्य-सचिव

कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

*193. **श्री विक्रम महाजन :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी किस्म के कपड़े के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है ;

(ख) नवम्बर, 1972 के पश्चात् विभिन्न किस्म के कपड़े के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) विभिन्न किस्म के कपड़ों के मूल्यों के स्तर को नवम्बर, 1972 के मूल्यों के स्तर पर लाने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) जून 1970 और जून 1973 के बीच कपड़े की थोक बिक्री कीमत सूचकांक में बढ़ोत्तरी सामान्यतः उतनी ही रही है जितनी बढ़ोतरी थोक बिक्री कीमतों के आम सूचकांक में हुई थी। नवम्बर, 1972 और जून 1973 के बीच थोक बिक्री मिल कपड़ा कीमत सूचकांक में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि सामान्य सूचकांक में 13.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी।

(ख) नवम्बर, 1972 तथा जून 1973 के बीच गैर-नियंत्रित किस्मों के कपड़े की कीमतों में जिनमें प्रतिशत बढ़ोतरी हुई वह निम्नलिखित हैं :—

मोटा	11.9
लोअर मीडियम	2.2/6.0

हायर मीडियम	13.0/18.3
फाइन	31.1
सुपर फाइन	3.7/42.2

(ग) मई, 1973 में वाणिज्य मंत्रालय ने एक सरकारी समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने मोटे, लोवर तथा हायर मीडियम किस्मों के पहनने योग्य गैर नियंत्रित कपड़े के लिए स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना लागू कर दी है। यह योजना 20 जुलाई, 1973 से लागू की गई है। योजना की विशेषताएं ये हैं :—

(1) मोटे, लोवर मिडियम तथा हायर मिडियम के पहनने के सभी किस्मों के कपड़े (उन किस्मों को छोड़कर जो पहले ही सांविधिक कीमत नियंत्रण के अधीन हैं) की मिल से निकलते समय की कीमतें नवम्बर, 1972 में रही कीमतों के अनुरूप एक उच्चतम सीमा के अधीन होंगी और अनुवर्ती अवधि में उत्पादन साधन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की व्यवस्था होगी।

(2) कपड़े की जो किस्में पहले ही सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर कपड़े की उपर्युक्त किस्मों के संबन्ध में व्यापार मार्जिन मिल से निकलते समय की कीमतों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा करने के बाद उनसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त आधार पर आकलित अधिकतम मिल से निकलते समय की कीमतें और अधिकतम खुदरा कीमतों की मोहर पहनने के कपड़े के प्रत्येक थान के शुरू में तथा अन्त में लगाई जाएगी।

(4) स्कीम के उल्लंघन किये जाने के मामलों की जांच करने के लिए और मामले की सूचना समुचित कार्यवाही के लिए वस्त्र आयुक्त और उद्योग तथा व्यापार के शीर्ष संघों, जैसा भी मामला हो, को देने के लिए कार्यान्वियन समितियां स्थापित की जाएंगी।

(5) कपड़े की खुदरा कीमतों के संबन्ध में विचार करने और स्कीम के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट उपचारात्मक कार्यवाही के लिए सरकार और संबन्धित उद्योग तथा व्यापार-वर्ग को देने के लिए निगरानी समितियां भी स्थापित की जाएंगी।

सरकार इस स्थिति पर सावधानी से निगरानी रख रही है और कीमतों में बढ़ते हुए रुख को रोकने के लिए सोचे हुए उपायों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार और आगे कदम उठाएगी।

मछली पकड़ने की नावों का आयात

*194. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मछली पकड़ने की नावों का आयात किया गया और किन पार्टियों को आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) क्या लाइसेंस देने के समय उनमें से कोई पार्टी मत्स्य व्यापार कर रही थी और यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आयातित मछली पकड़ने की नावों के लिए आवेदन पत्र देने वाले मछली निर्यातकों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मछली पकड़ने की 30 नावें आयात करने की योजना के अन्तर्गत अभी तक 10 नावें आयात की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत नावें आयात करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों को लाइसेंस जारी किये गये :—

1. मैसर्स इंडो आइसलैंडिक फिशरीज़ (प्रा०) लि०, मद्रास
2. मैसर्स एसमारियो एक्सपोर्ट एन्टरप्राइजिज़, क्विलोन
3. मैसर्स डालफिन फिशरीज़ प्रा० लि०, बम्बई
4. मैसर्स यूनियन कारबाइड (इंडिया) लि०, नई दिल्ली
5. मैसर्स टाटा आयल मिल्स, बम्बई
6. मैसर्स केरल फिशरीज़ कारपोरेशन, कोचीन
7. मैसर्स खुराजैले फिशरीज, बम्बई
8. मैसर्स अमेरिकन रैफ्रीजरेटर कम्पनी, कलकत्ता
9. मैसर्स सी हार्वेस्टर्स (प्रा०) लि०, बम्बई
10. मैसर्स आइलैण्ड सीफूड्स, कोचीन
11. मैसर्स जे लुइस रायल, कालीकट (इसे पुनर्वैध नहीं किया गया क्योंकि पार्टी आयात की शर्तें पूरी करने में असमर्थ थीं)।

उपरोक्त 11 पार्टियों में से, जिन्हें आयात लाइसेंस दिये गये हैं, ये चार पार्टियां लाइसेंस दिये जाने के समय मतस्य व्यापार करती थीं—मै० केरल फिशरीज़ कारपोरेशन, एर्नाकुलम, मै० आइलैण्ड सी-फूड्स प्रा० लि०, कोचीन, मैसर्स टाटा आयल मिल्स, बम्बई। इनके अतिरिक्त मैसर्स केरल सीफूड्स, क्विलोन भी मतस्य व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें अब लाइसेंस दिया जा रहा है।

उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों में से सात पार्टियां नावों के आबंटन के समय मतस्य व्यापार कर रही थीं।

6 जून, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस के कैरेवल विमान का बाल-बाल बचना

*195. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **पयटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स का एक कैरेवल विमान बाल-बाल बचा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 6 जून, 1973 को श्रीनगर से उड़ान करते समय एक कारवेल विमान के एक टायर का कैंपिंग उतर गया। श्रीनगर एयर ट्रैफिक

कंट्रोल ने पाइलट को इसकी चेतावनी दे दी थी और विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया।

(ग) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

Construction of New Hotels during Fifth Plan

*196. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Virbhadra Singh :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether new hotels having 20,000 additional rooms are proposed to be constructed for tourists during the Fifth Five Year Plan period;

(b) if so, the broad outlines of the proposals in this regard; and

(c) the proposed locations and the categories thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a), (b) and (c) The Department of Tourism have made certain projections of hotel accommodation required for foreign tourists at some of the important places of tourist interest in the country. According to these tentative estimates, about 22,500 additional hotel rooms may be required by the end of Fifth Five Year Plan, taking into account the foreign and domestic occupancies of different classes of hotels. These projections are being scrutinized in consultation with the Planning Commission.

The actual creation of accommodation will depend upon the hotel projects undertaken by the private sector and those which might be planned in the public sector. The plans for the construction of hotels by the India Tourism Development Corporation during the 5th Plan are under consideration, as also the institutional finance which might be made available to the private sector for hotel construction.

ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण के बारे में बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही को स्थगित करना

*197. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण के बारे में बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही अभी स्थगित कर दी है, जैसा कि दिनांक 22 जून, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (दिल्ली) में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था से सम्बन्धित बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के बारे में अभी निर्णय लेना है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि

*198. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अपने ऋणों पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह दर कब से लागू होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंक दर के 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत किये जाने के कारण यह वृद्धि हुई है ।

(ग) स्टेट बैंक द्वारा अग्रिमों की दर में वृद्धि एक जून, 1973 से की गयी है ।

Foreign Exchange earned by Export of Machinery, Raw Material, etc. to Joint Ventures Abroad during 1971-72

*199. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the amount of foreign exchange earned as a result of export of machinery, equipments and raw materials to India's joint ventures in foreign countries during the financial year 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : According to the information available with the Government, the foreign exchange earned during financial year 1971-72, on exports of machinery, equipment and raw materials to India's joint ventures in foreign countries amounted to about Rs. 266.92 lakhs. These exports were over and above those adjustable against equity participation.

छोटे सिक्कों की कमी

*200. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में छोटे सिक्कों की अभी भी अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जबकि महानगरीय क्षेत्रों में सिक्कों की उपलब्धि में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में मुफस्सिल क्षेत्रों से कमी की कुछ छुट पुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जैसाकि नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है सिक्कों की कमी के कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान टकसालों में छोटे सिक्कों का अधिक संख्या में उत्पादन करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जनता को अधिक मात्रा में सिक्के जारी करने के लिए भरसक प्रयत्न किये हैं :—

वर्ष			टकसालों का उत्पादन (लाख सिक्कों में)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गम (करोड़ रुपयों में)
1			2	3
1969–70	.	.	3,860	8.56
1970–71			5,770	10.71
1971–72		.	16,810	11.16
1972–73	.	.	21,000	27.59 (प्रत्याशित)

ये प्रयत्न 1973–74 में भी जारी हैं। सिक्के बनाने के काम आने वाली मिश्रित धातुओं में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं ताकि उत्पादन की ऊंची दर प्राप्त की जा सके तथा उनके पिघलाये जाने का खतरा दूर किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और एजेंसियों से सिक्कों की स्थानीय मांग की अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए कहा गया है। जिन केन्द्रों से यदा-कदा सिक्कों की कमी की सूचना प्राप्त होती है, वहां तुरन्त सिक्के भेज दिये जाते हैं।

जमा किये गये अनाज का पता लगाने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही

1801. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि जमा किये गये अनाज का पता लगाने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जाये ;

(ख) क्या यही आदेश संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होता है ;

(ग) यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया था और उपर्युक्त दोनों समस्याओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ; और

(घ) चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये तथा जमा किये गये अनाज की कितनी मात्रा का पता चला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) यह जून, 1973 में जारी किया गया था। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विभिन्न विधानों के अधीन चोर-बाजारियों, जमाखोरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध तत्काल उदाहरणात्मक कार्यवाही करें।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रूई निगम के माध्यम से आयात की गई रूई की गांठों का बम्बई की गोदियों में पड़ा रहना

1802. श्री सतपाल कपूर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम के माध्यम से आयात की गई रूई की 16,000 से भी अधिक गांठें दो महीने से अधिक समय से बम्बई की गोदियों में पड़ी हुई हैं जिनको उठाया नहीं गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"डनलप्स", "फायरस्टोन" "गुडईयर", तथा "सीयेट" दव्ारा धन का स्वदेश भेजा जाना

1803. श्री बयालार रवि: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रायलटी लाभांश, ऋणों पर ब्यांज, खरीद कमीशन, तकनीकी शुल्क, निर्यात कमीशन तथा विदेशी राष्ट्रिकों को दिए गए वेतनों पर हुए व्यय के रूप में निम्नलिखित कम्पनियों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी है :

(1) डनलप्स (कलकत्ता तथा मद्रास)

(2) फायरस्टोन

(3) गुडईयर

(4) सीमेंट; और

(ख) इस प्रकार विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1968-69 से 1970-71 तक के वर्षों में इन चार कंपनियों द्वारा लाभांशों, तकनीकी जानकारी और रायल्टी की अदायगियों के रूप में बाहर भेजी गयी रकमें दिखायी गयी हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-5296/73] अन्य शीर्षकों के अधीन भेजी गयी रकमों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन कम्पनियों द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:—

(i) जब कभी विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियां अपनी गतिविधियों का विस्तार करती हैं, तब केवल भारतीयों के नाम अतिरिक्त सामान्य शेयर जारी करके विस्तार पर होने वाले खर्च के एक भाग की पूर्ति द्वारा विदेशी धारिता को कम कर दिया जाता है। फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ii) सहयोग संबंधी उन सभी करारों के संबंध में सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। जिनके अधीन रायल्टी अथवा जानकारी फीस देनी पड़ती है, उस समय, ऐसे प्रोद्योगिकी सहयोग की आवश्यकता और रायल्टी की राशि पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है।

(iii) सरकार की यह नीति है कि विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों में अधिकाधिक भारतीय कर्मचारी रखे जाने पर जोर दिया जाये।

(iv) विदेशी तकनीशनों को लाने के लिए सरकार की विशेष स्वीकृति लेना आवश्यक है और यह स्वीकृति एक विशिष्ट अवधि के लिए दी जाती है। उन के लिए यह आवश्यक होता है कि वे भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें ताकि संविदा की अवधि के समाप्त होने पर, वे, विदेशी कर्मचारियों से काम सम्भाल सकें।

(v) विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के लिए सरकार की विशेष स्वीकृति लेना आवश्यक होता है और स्वीकृत ऋणों के संबंध में ही व्याज की रकमें भेजे जाने की मंजूरी दी जाती है।

(vi) निर्यात कमीशन और खरीद कमीशन की आदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(vii) संसद में प्रस्तुत विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक के पास हो जाने के बाद ऐसी विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं और 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयरधारिता वाली भारतीय कम्पनियों के मामलों पर फिर से विचार किया जायेगा।

केरल के काजू कारखनों की कच्चे काजू की अनियमित सप्लाई

1804. **श्री बयालार रवि :**

श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के काजू कारखानों को कच्चे काजू की अनियमित सप्लाई और उसके परिणामस्वरूप कारखानों के बन्द हो जाने से काजू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी होने के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कच्चे काजू की नट्स की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से क्रमबद्ध तरीके से इसके आयात में प्रबन्ध किये जाते हैं। चूंकि स्थापित क्षमता कच्चे काजू की नट्स की समग्र उपलब्धता से अधिक है अतः कुछ कारखानों का सीजन के अनुसार बन्द हो जाना आवश्यक हो जाता है। विशेषतः इस वर्ष अफ्रीकी देशों में प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण, उन स्रोतों से कच्चे नट्स की उपलब्धता सामान्य से कम रही है।

काजू निगम विदेशों से यथासंभव अधिक से अधिक कच्चे काजू की नट्स की प्राप्ति के लिए और स्वदेश में उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास कर रहा है।

विभिन्न हवाई अड्डों के विमानों के चढ़ने और उतरने वाले पथों पर पुनः फर्श बनाने का प्रस्ताव

1805. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान उतरने के समय टायरों की हवा निकल जाने की हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हवाई अड्डों के विमानों के चढ़ने और उतरने वाले पथों पर पुनः फर्श बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी बातें क्या हैं और इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन से हवाई अड्डे आयेगें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) हाल में हुई टायरों में से हवा निकलने अथवा उनके फटने की धटनाएं धावनपथों की हालत के कारण नहीं हुई । भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन विभाग क्रमश: अपने-अपने विमानपतनों एवं विमानक्षेत्रों के धावनपथों को उपयुक्त अवस्था में संधारित रखते हैं ।

गत चार महीनों के दौरान किये गये व्यापार करार

1806. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार महीनों के दौरान विभिन्न देशों के साथ कौन-कौन से नये व्यापार करारों को अन्तिम रूप दिया गया ;

(ख) इन व्यापार करारों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) भारत तथा बंगलादेश के बीच एक नया व्यापार करार 5 जुलाई, 1973 को सम्पन्न हुआ । भारत तथा इराक के बीच एक आर्थिक तथा तकनीकी करार पर भी 6 अप्रैल, 1973 को हस्ताक्षर किये गये और 26 जुलाई, 1973 को उसका अनुसमर्थन हुआ ।

(ख) (1) बंगलादेश के साथ किया गया करार 28 सितम्बर, 1973 को लागू होगा, जब कि वर्तमान व्यापार करार समाप्त होना है । नया व्यापार करार पहले तो 3 वर्ष की अवधि के लिये वैद्य होगा परन्तु उसकी अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है । व्यापार के निम्नलिखित दो स्तर होंगे :—

(क) दोनों देशों के लिये विशेष दिलचस्पी की वस्तुओं में दोनों ओर से 30.5 करोड़ रु० की सीमा तक सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था; तथा

(ख) सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्थाओं के बाहर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा नियमों तथा विनियमों के अनुसार होगा ।

(2) इराक के साथ हुए करार की मुख्य बातें ये हैं कि इराकी द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत, जो कि यथासंभव सीमा तक सन्तुलित आधार पर होगी, भारत को कच्चा तेल देने के लिये सहमत हो गये हैं । भारत इराक में अनेक विकास परियोजनाओं के लिये माल तथा सेवाएं देकर इराक की सहायता केरेगा, जैसे कि बगदाद-रामादी-अल-कायन रेलवे परियोजना, स्टील रोलिंग मिल, विद्युतशक्ति ट्रांसमिशन सुविधा, पोत-निर्माण तथा मरम्मत सुविधा, पैट्रोलियम तथा रासायनिक उद्योगों के लिये उपस्कर आदि इसके अतिरिक्त इराक से पैट्रोलियम उत्पादों, खजूर आदि के आयात भी किये जायेंगे ।

(ग) समाजवादी देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिये, प्राय: निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :—

(1) द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार वार्ताओं में भारत तथा समाजवादी देशों के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने पर सदा जोर दिया जाता है ।

(2) भारतीय फर्मों द्वारा इन देशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था की जाती है।

(3) इन देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को औद्योगिक क्षेत्र में भारत द्वारा दी गई प्रगति दिखाई जाती है।

(4) निर्यात संवर्धन परिषदों आदि को इन देशों में अपने अध्ययन-दल भेजने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) पूर्वी युरोपीय देशों में भारताय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक हाल ही में जून, 1973 में बुडापेस्ट में हुई थी। इन देशों के साथ भारत के व्यापार के विस्तार तथा विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

Number of Fire Brigades, Ambulances and Emergency Vans at Palam Airport

1807. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the number of fire brigades, ambulances and emergency vans at Palam Airport is inadequate and of inferior quality as compared to the international standard of civil aviation; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) While the number of crash fire tenders, ambulances and rescue vehicles is considered adequate, some of these have not always been available due to maintenance and repair problems. Action is being taken to purchase new equipment.

Arrears of Income-Tax

1808. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5365 on the 30th March, 1973 regarding arrears of taxes and state :

(a) whether the information asked for has since been collected and if so, an outline thereof; and

(b) if not, the time likely to be taken in collecting the required information ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The information has since been collected. Commissioners of Income-tax charge-wise figures of Gross and Net arrears of income-tax at the end of financial year 1972-73 is given in the Annexure. [Placed in the Library See No. LT-5297/73]

(b) Does not arise.

Payment of Income-Tax by Mehta Printing Press, Ujian and Dainik Avantika

1809. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9991 on the 11th May, 1973 regarding payment of Income-tax by Mehta Printing Press, Ujjain and Dainik Avantika and state :

(a) whether the information asked for therein has since been collected and if so, an outline thereof; and

(b) if not, the time likely to be taken in collecting the required information ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The information is given in the annexure.

Statement

(a) Mehta Printing Press was set up on 1st August, 1971 as a proprietary concern of Shri Sureshkumar. Capital invested amounted to Rs. 13,750 in the shape of machinery received by him by way of gift from his father Shri Gordhanlal. A sum of Rs. 7,500 was also borrowed from the State Bank of India, Ujjain, against the pledge of the machinery of the printing press.

(b) Proprietor has given the details of the jobs undertaken by him in a paper submitted to the State Bank of India, but there is no mention of the amount of profit.

(c) The amount of Income-tax outstanding is Nil. Mehta Printing Press was started on 1st August, 1971. The first return of income was due to be filed by 30th June, 1973.

(d) Vikram Printing Press was run from 1960 to 1963 as a proprietary concern of Shri Gordhanlal Mehta. The business was sold on 12th July, 1963 to a partnership concern known as Mohan Printing Press consisting of Shri Gordhanlal Mehta and Shri Ram Chand Shrimal as partners. On 1st August, 1971 the firm of M/s. Mohan Printing Press was dissolved and Mehta Printing Press came into existence with effect from that date.

(e) Changes effected in ownership of the business from time to time have been found to be in accordance with the provisions of law.

Compensation paid for accidents in Rayon Mills in the country

1810. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8441 on the 27th April, 1973 and state :

(a) whether the information referred to in parts (a) to (c) of the aforesaid question has since been collected; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Information has been received in respect of seven mills as in the statement enclosed. Information in respect of the remaining three mills will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Statement

Name of the unit	Accidents during 1970-72	Compensation paid
1. J. K. Rayons, Kanpur	7 none fatal	Factory is covered under employees State Insurance Act who are considering question of compensation.
2. Century Rayons, Bombay	372 3 fatal	-do-
3. National Rayons, Bombay	643 3 fatal	-do-
4. Baroda Rayon Corporation, Gujarat.	320 1 fatal	-do-
*5. Gwalior Rayons, Nagda	851 1 fatal	-do-
6. Travancore Rayons, Kerala	1492 1 fatal	-do-
7. Indian Rayons	122 none fatal	Rs. 6,139.60 paid as compensation.

*As a gesture of goodwill the management of M/s. Gwalior Rayons has paid an amount of Rs. 10,001 to the dependents of deceased employee on humanitarian grounds.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों और समाज के दुर्बल वर्गों को ब्याज की रियायती-दर योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

1811. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 1973 तक छोटे किसानों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को रियायती ब्याज-दर योजना के अन्तर्गत दो करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये ;

(ख) क्या उक्त योजना को पूरी तरह लागू किया गया है; और

(ग) इस योजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) यह योजना, बैंकों द्वारा ऋण देने की एक नवीन प्रक्रिया है और उसको प्रारम्भिक अवस्थाओं में इसकी प्रगति जरा धीमी ही होगी । फरवरी 1973 में बजट प्रस्तुत करते समय इस योजना में जो परिवर्तन घोषित किए गए थे उससे इसके अधिक प्रभावी होने की आशा है ।

ब्रिटेन से सहायता

1812. **श्री सी० के० जाफर शोरोफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत को सहायता देने का ब्रिटिश सरकार का वायदा पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त हुई तथा किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ब्रिटेन की सरकार ने, जून 1973 में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में 1973-74 के लिए (तकनीकी सहायता से भिन्न) 630 लाख पौंड (119.49 करोड़ रुपये) की सहायता देने का बचन दिया था । इस बचन बद्ध राशि के लिए निकट भविष्य में विशिष्ट ऋण करार किये जाने की संभावना है।

(ख) आशा है कि उपर्युक्त सहायता ब्याजमुक्त ऋणों के रूप में दी जायगी जिसे 25 वर्षों की अवधि में वापस करना होगा और जिसमें 7 वर्षों की प्रारंभिक रियायती अवधि शामिल होगी ।

काहिरा में काम कर रहे चाय बोर्ड के कर्मचारी

1813. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कुछ कर्मचारी काहिरा तथा अन्य स्थानों पर 8 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं जब कि वर्तमान नियमानुसार भारत स्थित सहायकों को किसी भी देश में तीन वर्ष तक काम करने के बाद वापस बुला लिया जाता है ;

(ख) क्या तीन वर्ष की अवधि बीत जाने पर कर्मचारियों के वापस न लौटने के कारण अनेक सहायक अधीक्षकों और निरीक्षकों को स्थायी बनाने की कार्यवाही रुकी हुई है, जिनमें से कुछ कर्मचारी सेवा निवृत्त होने वाले हैं ; और

(ग) क्या भारतीय चाय बोर्ड में बहुत से युवा और योग्यता प्राप्त निरीक्षक काहिरा तथा अन्यत्र निरीक्षकों का स्थान लेने के लिए उपलब्ध हैं और यदि हां, तो इस मामले का तत्काल समाधान न निकालने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विदेशों में प्रतिनियुक्त भारत स्थित स्टाफ की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की होती है, परन्तु उसे बोर्ड के कार्य के हित में और अधिक अवधि के लिये बढ़ा दिया जाता है । निम्नलिखित को छोड़कर, कोई भी अन्य भारत स्थित स्टाफ तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये विदेश में सेवा नहीं कर रहा है ।

चाय बोर्ड का कार्यालय, काहिरा

दो निरीक्षक	9 तथा 7 वर्ष
रसोइया	11 वर्ष

चाय बोर्ड का कार्यालय, ब्रुसेल्स

आशुलिपिक	6 वर्ष

काहिरा में उन दो निरीक्षकों में से एक के स्थान पर, जो वहां 7 वर्ष से था, एक और निरीक्षक को भारत से भेज दिया गया है । ब्रुसेल्स के आशुलिपिक की अवधि अगस्त, 1973 को पूरी होनी है । जिस रसोइये की विशिष्ट रूप से नियुक्ति की गई थी, वह भारत में किसी भी स्थायी पद पर नियुक्त नहीं है । जब कभी जरूरत पड़ती है, बोर्ड के उपयुक्त निरीक्षकों को मंजूर किये गये पदों पर विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है । इस समय, विदेश स्थित बोर्ड के किसी भी कार्यालय में भारत स्थित निरीक्षक का कोई स्थान खाली नहीं है । इस के अलावा, किसी भी भारत-स्थित स्टाफ के न लौटने के कारण किसी सहायक अधीक्षक अथवा निरीक्षक का स्थायी होना नहीं रुका है ।

दिल्ली में सस्ते होटल और शयनशालाओं का निर्माण

1814. **श्री सरजू पांडे :**

श्री रामवतार शास्त्री :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिवर्ष राजधानी में बड़ी संख्या में आने वाले साधारण लोगों को यहां सस्ते होटलों के अभाव के कारण स्थान मिलने में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली में सस्ते होटल और शयनशालाओं का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । नई दिल्ली में होटलों के लिये, जिनमें ऐसे होटल भी शामिल है जो मध्य एवं निम्न आय वर्गों के यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, कुछ और स्थल आबंटित करने का प्रस्ताव है । भारत पर्यटन विकास निगम भी पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रकार के आवास पर विशेष ध्यान देगी ।

पूर्व यूरोपीय देशों से आयातित उर्वरकों के मूल्य के बारे में विवाद

1815. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरकों का आयात, मूल्य सम्बन्धी विवाद के कारण रुक गया है ;

(ख) क्या विवाद हल हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां। कुछ पूर्व यूरोपीय देशों ने उर्वरकों की सप्लाई स्थगित कर दी है अथवा धीमी कर दी है।

(ख) सप्लाईकर्ताओं के साथ इस मामले पर बातचीत की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सहारा में सूर्य ग्रहण का अध्ययन

1816. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा में सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिये 30 जून, 1973 को कुछ भारतीय वैज्ञानिक नियुक्त किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेषकर जब अन्य देशों ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने वैज्ञानिक भेजे थे, तो भारत द्वारा इस कार्य में भाग न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार के ग्रहणों के प्रेक्षण भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, कोडैकनाल के लिए जिसने कि इनमें होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण सहारा के लिए अभियान नहीं भेजा, बहुत महत्व के हैं ।

मैंगनीज निर्यात नीति का बदला जाना

1817. **श्री राज देव सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैंगनीज निर्यात नीति बदल दी है ;

(ख) क्या प्रश्न के भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अब खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उच्च तथा मध्यम स्तर का अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) . तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम का तदर्थ आधार पर उच्च ग्रेड के 30000 मे० टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि बड़ी मात्रा में स्टाक जमा हो गया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों द्वारा वेतन आदि के पुनरीक्षण के बारे में ज्ञापन

1818. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों ने अपने वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षण करने के लिये सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) सरकार को उक्त ज्ञापन कब प्रस्तुत किया गया तथा उसमें क्या विशेष मांगे रखी गई हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । कर्मचारियों द्वारा 1 सितम्बर, 1972 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था । अधिकारी एसोसियेशन ने मई, 1972 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई, 1973 में और आगे संशोधित किया गया है । दोनों ज्ञापनों में की गई मांगें इन विषयों से संबंधित थीं : वर्तमान वेतनमानों तथा भत्तों का पुनरीक्षण, अवकाश यात्रा रियायत, वाहन पेशगियों तथा चिकित्सीय सुविधाओं की वर्तमान योजनाओं में सुधार आदि ।

(ग) 1 सितम्बर, 1972 के ज्ञापन पर वार्ता हो चुकी है तथा मई, 1973 में उस पर समझौता हो गया है । अधिकारी एसोसियेशन के दूसरे ज्ञापन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Take over of a sick mill in Ujjain, M.P.

1819. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is a textile mill in Ujjain which has not been taken over as a sick mill in spite of the fact that this mill owes a large amount of loan to Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the National Textile Corporation propose to take over the said sick mill and if so, the time by which this mill will be taken over ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A .C. George) : (a) There are 4 textile mills in Ujjain. The management of one of these mills, *viz*. Hira Mills, has already been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. The management of a textile undertaking can be taken over by Government only in accordance with the provisions of section 4(2) of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 which does not provide for the taking over of management of an undertaking merely because it owes a large amount of loan to Government.

(b) & (c) Do not arise.

बड़े व्यापार गृहों के आय-कर और धन-कर संबंधी मामलों पर पुनः कार्यवाही आरम्भ करना

1820. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ बड़े व्यापार गृहों के आय-कर और धन-कर संबंधी मामलों पर पुनः कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों के जिनमें बिड़ला-गृह भी शामिल है, कर-निर्धारणों पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) में अगस्त, 1972 में एक विशेष सेल स्थापित किया गया था । तब से अब तक यह

विशेष सेल इन व्यापार गृहों में से दो से संबंधित मामलों की छान-बीन करता रहा है । वहां से प्राप्त सूचना के आधार पर यह मालूम हुआ है कि बिड़ला-गृह से संबंधित आय-कर और धन-कर निर्धारणों पर, जैसा कि अनुबंध में दिया गया है, कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाही फिर से आरंभ कर दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5298/73]**

किन्तु यहां यह बता दिया जाय कि बड़े-बड़े व्यापार गृहों से संबंधित निर्धारितियों के सबंध में, किसी भी अन्य निर्धारिती के मामले की तरह, आय-कर और धन-कर के मामलों में आय-कर अधिकारी और धन-कर अधिकारी द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ही और कानून में विहित परि-स्थितियों के अनुसार कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाही फिर से चालू की जा सकती है । अतः बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित किन मामलों में कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से चालू करने का प्रस्ताव है, यह बताना संभव नहीं है ।

भारत में पूंजी निवेश संबंधी स्थिति के बारे में जापान की शंका

1821. **श्री प्रभु दास पटेल :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूंजी निवेश संबंधी स्थिति के बारे में जापानियों की शंका है ;

(ख) क्या उनकी यह धारणा है कि भारत में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण विदेशी निवेश के लिए बाधक है ;

(ग) यदि हां क्या उक्त धारणा के बारे में हाल ही म जापान का दौरा करने वाली भारतीय समिति के अध्यक्ष को पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार तथा दौरा करने वाली समिति ने किस प्रकार इन शंकाओं को दूर किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) भारत और जापान के आर्थिक विकास के संबंध में अध्ययन करने वाली भारत और जापान की समितियों की संयुक्त बैठक, 4 से 6 जून, 1973 तक टोकियो में हुई थी । भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री बलिराम भगत ने किया था । बातचीत के दौरान, जापानी पक्ष ने राष्ट्रीयकरण के संबंध में भारत सरकार की नितियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे थे ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बताया था कि इस संबंध में भारत सरकार की नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की आवश्यकताओं पर आधारित है । भारतीय प्रतिनिधि मंडल की धारणा यह थी कि जापानी पक्ष, भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट है ।

चाय के निर्यात व्यापार का सरकारीकरण

1822. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के अधिकांश सदस्य चाय के निर्यात व्यापार का सरकारीकरण करने के पक्ष में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुस्तकों के आयात का सरकारीकरण करने का प्रस्ताव

1823. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुस्तकों के आयात को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक सरकार अपने हाथ में ले लेगी ;

(ग) पुस्तकों के आयात को अपने हाथ में लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे अपने हाथ में लेने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) इस समय सरकार द्वारा पुस्तकों का आयात अपने अधीन लिये जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है । तकनीकी तथा शैक्षिक पुस्तकों के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम को 50 लाख रु० का आयात लाइसेंस दिया गया है । अन्य आयातक भी इन पुस्तकों का आयात कर सकते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

होमियोपैथिक औषधियों का आयात बन्द करने के कारण इनका उपलब्ध न होना

1824. **डा० सरदीश राय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में हौमियोपैथिक औषधियां उपलब्ध होने के मामले में गंभीर संकट पैदा हो गया है क्योंकि सरकार ने इसके आयात की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समस्या हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हौमियोपैथिक दवाओं के आयात की अनुमति देने के बारे में उदार नीति अपनाई जाती है जैसा कि नीचे बताया गया है:—

(1) सुस्थापित आयातकों को 23 प्रतिशत कोटे के आधार पर आयात लाइसेंस दिये जाते हैं । किसी भी मद के लिये इस से अधिक कोटा नहीं दिया जाता ।

(2) वास्तविक प्रयोक्ताओं को, अर्थात् हौमियोपैथिक दवाएं तैयार करने वालों को मूल रूप में हौमियोपैथिक औषधियां, जिनमें सुगर आफ मिल्क तथा वायोकेमिक दवाएं, भी शामिल हैं, आयात करने के लिये लाइसेंस मंजूर किये जाते हैं ।

(3) अस्पताल तथा चिकित्सा संस्थान अपने प्रयोग के लिये आयात लाइसेंस के बिना दवाओं का आयात कर सकती हैं, बशर्ते कि एक समय पर किये गये आयात का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 1,000 रु० से अधिक न हो ।

(4) कोई व्यक्ति अपने प्रयोग के लिये आयात लाइसेंस के बिना हौमियोपैथिक दवाओं का आयात कर सकता है बशर्ते कि एक समय पर किये गये आयात का मूल्य 200 रु० से अधिक न हो ।

कृत्रिम वर्षा कराने के लिये प्रयोग

1825. **श्री आर० बी० स्वामिनाथन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में कृत्रिम वर्षा कराने के कोई प्रयोग किए हैं; यदि हां, तो किन राज्यों में ;

(ख) ये प्रयोग कहां तक सफल रहे हैं ; और

(ग) इन पर कितना खर्च हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । 1956 से 1966 की मौनसून ऋतुओं के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सी०एस०आई०आर० द्वारा यादृच्छिक आधार पर वृष्टि-प्रेरण (रेन स्टिमुलेशन) के प्रयोग किये गये थे :—

दिल्ली	दिल्ली राज्य
आगरा	उत्तर प्रदेश
जयपुर	राजस्थान
मुन्नार	केरल

तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में तथा महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में ये प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा गुजरात में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किये जा रहे हैं ।

(ख) दिल्ली, आगरा, जयपुर तथा मुन्नार क्षेत्रों में किये गये प्रयोगों से पता चला है कि "अनसीडेड" क्षेत्रों के मुकाबले में "सीडेड" क्षेत्रों में 20% अधिक वर्षा हुई । तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रयोग पूरे हो जाने पर वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण तथा सांख्यिकी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

(ग) व्यय क्षेत्र तथा प्रयोग की अवधि पर निर्भर करता है । पूना तथा मद्रास के वर्तमान प्रयोगों के लिए तीन महीने की अवधि तथा पांच हजार वर्गमील के क्षेत्रफल के लिए यह व्यय लगभग 5 लाख रुपये होने की संभावना है ।

वस्तुओं पर खुदरा-मूल्यों के लेबल लगाने सम्बन्धी विधान

1826. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधान बना कर औषधिनिर्माताओं की भांति वस्तु निर्माताओं के लिये भी प्रत्येक वस्तु पर उसके खुदरा मूल्य का लेबल लगाना अनिवार्य बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय का विधेयक कब तक पेश कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) माप तौल (विधि संशोधन) समिति ने भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में विधान की प्रस्थापना की है, जिसे के अनुसार संवेष्टित रूप में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु पर खुदरा कीमत का संकेत दिया जाना अपेक्षित होगा ।

(ख) भारत सरकार समिति की प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ।

बंगलादेश से अखबारी कागज का आयात

1827. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेश से अखबारी कागज का और अधिक आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो आयात में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 5 जुलाई, 1973 को हुई भारत तथा बंगलादेश के बीच नई सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था में, 28 सितम्बर, 1973 से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान बगलादेश से 450 लाख रु० मूल्य के अखबारी कागज तथा कम ग्राम वाले कागज के आयात करने की व्यवस्था है ।

भारतीय फिल्मों को किसी अन्य देश के जरिये पाकिस्तान को तस्करी

1828. श्री राम भगत पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय फिल्मों की किसी अन्य देश के जरिये पाकिस्तान को तस्करी के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) गुप्त सूचना रीपोर्टों से पता चलता है कि कुछ देशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्में तीसरे देशों को अपवाहित की जाती हैं ।

पाकिस्तान को भी ऐसा अपवाहन किया जाता है कि नहीं इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीती का दबाव

1829. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के पहले चार वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के 12,000 करोड़ रुपये की

राशि के कुल योजना व्यय में से 3,000 करोड़ रुपये की राशि अथवा कुल व्यय का एक चौथाई भाग, घाटे की अर्थव्यवस्था से जुटाया गया ;

(ख) क्या इसी अवधि में बैंकों ने 3,000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण व्यापार क्षेत्र को दिए;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का वर्तमान दबाव अधिकांशतः उक्त दो कारणों से है; और

(घ) यदि हां, तो पांचवीं योजना के दौरान इसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चौथी आयोजना के पहले चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के 11,830 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित आयोजनागत व्यय में 1,975 करोड़ रुपया घाटे की वित्त-व्यवस्था कर के जुटाया गया था जो कुल व्यय का केवल 16.6 प्रतिशत बैठता है।

(ख) जी, हां। वाणिज्यियक क्षेत्र पर बैंकों के बकाया दावे, जिनमें भारतीय खाद्य निगम और अन्य गैर-विभागीय सरकारी उपक्रमों को दिये गये ऋण भी शामिल हैं, इसी अवधि के दौरान बढ़ कर 3,202 करोड़ रुपये के हो गये ।

(ग) चूंकि मूल्य-स्तर अर्थ-व्यवस्था में एक साथ कार्य कर रहे विभिन्न तत्वों का परिणाम होता है इसलिए मूल्य वृद्धि में घाटे की वित्त व्यवस्था और बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के अंश को अलग करना कठिन है ।

(घ) योजना आयोग ने, "पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण : 1974–79" नामक प्रकाशन में पांचवीं आयोजना के वित्त-पोषण की योजना की जो परिकल्पना की है, उसका उद्देश्य घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि को उस स्तर तक रखना है, जिस पर इसके परिणामस्वरूप जनता के पास उपलब्ध मुद्रा और समूची मांग में होने वाली वृद्धि अर्थ-व्यवस्था में विकास के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं से वास्तव में बढ़ न जाए।

चाय के सम्पूर्ण विक्रय-प्रबन्ध की जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति

1830. **श्री वी० मायावन :**
श्री पी० ए० सामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के सम्पूर्ण विक्रय-प्रबन्ध की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ,

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पदों में से एक पारस्परिक प्रणाली के स्थान पर नीलामी की प्रणाली लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करना है ; और

(ग) उसके अन्य निर्देश-पद क्या-क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चाय उद्योग के विकास तथा निर्यातों के संवर्धन के लिए अर्थक्षम तथा दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए स्थापित किया

गया क्रुतिक दल अन्य बातों के साथ-साथ चाय के निर्यात हेतु नीलामी की पद्धति सहित वर्तमान प्रबन्धों की भी जांच करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो सुधारों के बारे में सुझाव देगा।

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए "पैकेज प्लान"

1831. **श्री बसंत साठे :**
श्री सेझियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार ने कोई "पैकेज प्लान" बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्लान की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार देश की मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजर रख रही है और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति के अनुसार उपचारात्मक उपाय करती रही है। अर्थ-व्यवस्था में नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का जितना आधिक्य है उसे सीमित करने के लिए अभी हाल ही में ऋण पर और सख्त नियंत्रण लगा दिये गये हैं। सरकारी खर्च में, विशेषकर विकास-भिन्न खर्च में किफायत करने के लिए उपाय किये गये हैं। सरकार, मुख्य अनाजों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिए सरकारी वितरण व्यवस्था चला रही है जो पिछले तीन/चार वर्षों से ज्यों के त्यों हैं। चीनी, वनस्पति, कुछ किस्मों के सूती कपड़े और मिट्टी के तेल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं पर मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण लागू है। कई कृषि वस्तुओं के वायदे के सौदों पर या तो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है या उन्हें स्थगित कर दिया गया है और इस समय केवल कुछ उन्हीं वस्तुओं के वायदे के सौदों की अनुमति दी गई है जो या तो कम महत्व की हैं या निर्यातों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों के माध्यम से तथा पहले की अपेक्षा अधिक आयात करके उन वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है जिनकी कमी है। उपर्युक्त प्रशासनिक राजस्व विषयक तथा मुद्रा सम्बन्धी उपाय इस उद्देश्य से किए गए हैं कि वे एक दूसरे का पूरक हों। इन उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपाय भी किये जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्मिक नीति की जांच के लिये समिति का प्रतिवेदन

1832. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनायी गई एक समिति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्मिक नीति की जांच की है;

(ख) क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत आयोजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों की कार्य समिति की ओर है जिसने सरकारी उद्यमों में सर्वोच्च प्रबन्ध पदों के लिये चुनाव प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिये

अन्य बातों के साथ-साथ कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इन सिफारिशों तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अब सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध सम्बन्धी नयो कार्मिक नीति के लिये एक नये ढांचे का निर्णय किया है।

यह नीति, उद्यमों को महाप्रबन्धक से नीचे के स्तर के पदों पर नियुक्ति के मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता देने की आवश्यकता पर आधारित है ताकि विशेषज्ञ कुशलता के विकास की प्रक्रिया, कार्य-दल में अधिक निरंतरता लाने तथा वायदे और उद्यमों के बीच प्रबन्धकों के तबादलों को अधिक सुगम बनाया जा सके।

इन उद्यमों के बोर्डों में की जाने वाली नियुक्तियों के मामलों में, सरकार ने सूची बनाने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उपयुक्त कर्मचारियों के चुनाव की प्रणाली को अपनाने का निर्णय किया है। इसकी बजाए अब उपयुक्त उच्चस्तरीय चयन बोर्डों की स्थापना करने का निर्णय किया गया है, जिनमें सर्वोच्च कर्मचारियों के चुनाव का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे ताकि वे रिक्त होने वाले उच्चस्तरीय विशिष्ठ पदों के लिये उपयुक्त नामों की सिफारिश कर सकें। कार्य निदेशकों और महा-प्रबन्धकों के पदों के लिये कार्मिकों का चुनाव करने के लिये, सम्बद्ध उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में निकट सम्पर्क लाने के निमित्त उपयुक्त व्यवस्था भी की जा रही है। उच्चस्तरीय चयन निकाय को, सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध सम्बन्धी विकास पर ध्यान रखने तथा वास्तविक चयन को सुगम बनाने के लिये उचित मूल्यांकन प्रणाली बनाने का कार्य सौंपने का प्रस्ताव है। इन सिद्धान्तों पर नये ढांचे के ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Import of Raw Material for the Expansion of Industries during 1973-74

1833. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the quantity of imports of raw materials together with the nature and value thereof allowed by the Chief Controller of Imports and Exports for the expansion of industries during 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Information relating to the quantity, nature and value of licences issued for the import of raw materials alone is not maintained, since, in terms of provisions of import policy, composite licences are generally issued for the import of raw materials, spares, components, etc.

Supply of Cement to Nepal

1834. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to supply 15,000 tonnes cement to Nepal;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) whether Government consider this supply surplus from the requirement in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The STC has entered into a contract for supply of 15,000 tonnes of cement to National Trading Company of Nepal.

(b) and (c) Export was permitted after taking the domestic requirements of cement into account.

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा औद्योगिक ऋण देना

1835. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औद्योगिक विकास कार्य में सहायता देने हेतु विश्व बैंक और इसके अनुषंगी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 17 करोड़ रुपये के दो ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन की मात्रा बनाये रखने तथा उसका बिस्तार करने के लिये चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के 700 मध्यम तथा बड़े उपक्रमों की सहायता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का उपयोग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह ऋण कौन-कौन सी परियोजनाओं में उपयोग को लाया जायेगा; और

(घ) सरकार शेष ऋण को किस प्रकार उपयोग में लायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण अतुर निवेश निगम लिमिटेड को 7 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए 9 जून, 1973 को विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे तथा उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 10 करोड़ डालर के एक विकास ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण से महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत कुछ चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के एककों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कच्चे माल, उपकरणों और फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आयातित उपकरणों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के काम में लाया जायगा।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इण्डियन एयरलाइन्स के इंजीनियर, प्रबन्धक और स्टोर नियत्रंक के विरुद्ध मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के निष्कर्ष

1836. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के इंजीनियर, प्रबन्धक और स्टोर नियंत्रक के विरुद्ध उक्त एयरलाइन्स ने जनवरी, 1973 में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास शिकायत दर्ज कराई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने इन मामलों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कार्बेल के कुछ ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों की खरीद के संबंध में इण्डियन एयरलाइन्स ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की औपचारिक शिकायत की है। मामले की जांच हो रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन

1837. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इन परिवर्तनों का उद्देश्य इन उपायों से कार्य कुशलता को बढ़ाना है; कार्य के आधार पर प्रभागों का पुनर्गठन, परम्परागत सचिवालय हायरार्की प्रणाली को बदलना तथा बोर्ड को और अधिक सोद्देश्य सुदृढ़ बनाना।

Review of Trade between Bangladesh and India

1838. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether a half yearly review of the trade between Bangladesh and India was made in Dacca in the beginning of October, 1972 in which the reasons for the slow progress of trade and the solution thereof were considered; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) & (b). Representatives of the Government of India and Government of Bangladesh had met in Dacca from 5th to 8th October, 1972, to review the implementation of the Trade Agreement between the two countries.

2. The Indo-Bangladesh Trade Agreement, which was concluded on March 28, 1972, provides for—

(i) *Border Trade* to facilitate exchange of articles of daily use to meet the requirements of people living in rural areas on either side of the land customs frontiers;

(ii) *Limited Payments Arrangement* for balanced trade in commodities of special interest to the extent of Rs. 25 crores each way; and

(iii) *Trade outside the Limited Payments Arrangement* in terms of the normal import and export policies, and to be paid for in convertible currency.

Border Trade

3. It was provided in the Trade Agreement that the provision for border trade or frontier traffic would be reviewed after a period of six months to consider whether it should be extended or amended in any way. During the mid-term review, India deferred to the wishes of Bangladesh to suspend the arrangement until control of the border could be firmly established, and administration geared to enforce meaningful checks along the entire length of the Indo-Bangladesh border.

Limited Payments Arrangement

4. According to information then received from the State Bank of India, contracts registered under the Limited Payments arrangement revealed that exports from India to Bangladesh would be larger than those from Bangladesh to India. It emerged during the mid-term review that this was due mainly to the fact that whereas essential goods such as

coal and cement were urgently needed in Bangladesh and had to be procured immediately inadequate transport facilities and other institutional difficulties had inhibited exports from Bangladesh to India.

5. Besides transport difficulties, lack of availability of supplies has been another factor restraining the level of imports from Bangladesh. For instance, supplies of furnace oil etc., fell short of contracted quantity, and was expected to be of the level of about Rs. 50 lakhs against the contract for Rs. 1.5 crores. Similarly against the provision of Rs. 25 lakhs for molasses in the Limited Payments Arrangement, contracts could be concluded only for about half the provision, and actual supplies were expected to be still lower.

6. Out of Rs. 25 crores worth of goods to be exported from Bangladesh under the Limited Payments Arrangement, fish and jute were to account for Rs. 9 crores and Rs. 7.5 crores respectively. In regard to raw jute, apart from the problem of prices, the infrastructure in Bangladesh for procurement and supply of jute had been inadequate. There were also difficulties in regard to railway operations, loading arrangements and customs clearance. These difficulties were discussed at length, and it was decided that, in order to effect better coordination at the field level, a task force consisting of representatives of Bangladesh Customs, Railways and the Jute Export Agencies, be set up. Later on, however, Bangladesh was able to supply larger quantities of jute than initially provided for in the L.P.A.

7. On the other hand, the prospects for import of fish were/are not so encouraging. The difficulty had been mainly in organising facilities for procurement, packing, preservation (ice) and transport at 14 of the 17 centres from which, in the past, fish used to be exported to India. It was agreed that matters relating to export of fish, in particular the steps necessary to maximise exports, should be constantly reviewed in detail in the Joint Review Committee on purchase of fish. This Committee, is handled on the Indian side by the Ministry of Agriculture.

8. At the request *inter alia* of the Bangladesh delegation, mini-buses, tooth brushes, shaving brushes, conch shells, oranges, potatoes, ginger, tarpaulins and spares for Chattak ropeway were included among miscellaneous articles for export from India, under the Limited Payments Arrangement. Tanning extracts, turtles and tortoise, straw mats brooms, handicrafts, ceramics, pineapples, dried fish etc. were included in the list of exports from Bangladesh.

9. It is provided in the Trade Agreement that

> "The two Governments agree to make mutually beneficial arrangements for the use of their waterways, railways and roadways for commerce between the two countries and for passage of goods between two places in one country through the territory of the other."

10. In the wake of the mid-term review, the Government of India and the Government of Bangladesh have concluded a protocol valid for five years, in the first instance, for the use of waterways for commerce between the two countries and for passage of goods between two places in one country through the territory of the other.

11. Representatives of the Railways of the two countries have exchanged ideas on the reciprocal facilities to be provided for the operation of the railways in that region.

12. The working of the Trade Agreement and the Limited Payments Arrangement was also reviewed by the two sides in the first week of July, 1973. It was noted that considering the problems of internal transport, shipping inadequacies and procedural arrangements that had to be worked out for the first time after long years of absence of trade relationship between the two countries, the export performance of both the countries under the Limited Payments Arrangement was very satisfactory. In order to take effective and timely measures for removing transports bottlenecks, the two Governments have decided to set up a Joint Transport Co-ordination Committee.

Trade outside the Limited Payments Arrangement

13. It is the understanding between the two Governments that imports and exports outside the Limited Payments Arrangement will be governed by their respective imports, export and foreign exchange regulations. It has been the practice in Bangladesh to invite international tenders for imports required by Government departments and state trading agencies. Indian entrepreneurs have been successful in winning such tenders for the supply of a number of items *e.g.* cycles, commercial auto rikshaws, automobile spares pumping sets and textiles.

Import of Uncut Diamonds

1839. **Shri Naval Kishore Sharma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total value of uncut diamonds imported in India during the last three years and the names of the countries from which the major share of diamonds was imported;

(b) the amount of expenditure incurred thereon;

(c) the names of the countries to which these diamonds were sold later on; and

(d) the loss incurred/profit earned in these transactions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) The total value of uncut diamonds imported during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (upto December, 1972) is about Rs. 64.65 crores. The main countries from which they are imported are the United Kingdom, Belgium, Congo and Tanzania.

(b) Presumably, the Member desires to know the expenditure incurred on cutting and polishing the diamonds. This information is not available.

(c) Belgium, U.S.A., Hong Kong, Japan, Netherland, the United Kingdom and Israel.

(d) The net foreign exchange earning during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (upto December 1972) is about Rs. 41.84 crores.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1840. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1971 व फरवरी, 1973 में डालर अवमूल्यन के कारण अधिक मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जापान को निर्यातित लौह अयस्क की कीमत बढ़ाने के बारे में बातचीत चल रही है।

नियंत्रित कपड़े की अधिक मूल्यों पर बिक्री

1841. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खुले बाजार में नियंत्रित मोटा कपड़ा अत्यधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का विचार कौन सी ठोस कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़े के मूल्यों को स्थिर करने का प्रस्ताव

1842. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तैयार और कपड़ा मिल संघ द्वारा स्वीकृत कपड़े के मूल्यों को जनवरी के स्तर पर स्थिर रखने संबंधी प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम रूप दिये गये प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कपड़ों की कीमतों से संबद्ध समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, लोअर तथा हायर मीडियम किस्मों के पहनने योग्य गैर-नियंत्रित कपड़े के लिए स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना बना ली गई है और 20 जुलाई, 1973 से लागू की गई है। योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(1) मोटे, लोअर मीडियम तथा हायर मीडियम के पहनने के सभी किस्मों के कपड़े (उन किस्मों को छोड़कर जो पहले ही सांविधिक कीमत नियंत्रण के अधीन हैं) की मिल से निकलते समय की कीमतें, नवम्बर, 1972 में रही कीमतों के अनुरुप एक उच्चतम सीमा के अधीन होंगी और अनुवर्ती अवधि में उत्पादन साधन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की व्यवस्था होगी।

(2) कपड़े की जो किस्में पहले ही सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर कपड़े की उपर्युक्त किस्मों के संबंध में व्यापार मार्जिन मिल से निकलते समय की कीमतों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा करने के बाद उनसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त आधार पर आकलित अधिकतम मिल से निकलते समय की कीमतें और अधिकतम खुदरा कीमतों की मोहर पहनने के कपड़े के प्रत्येक थान के शुरू में तथा अंत में लगाई जाएगी।

(4) स्कीम के उल्लंघन किये जाने के मामलों की जांच करने के लिए और मामले को सूचना समुचित कार्यवाही के लिए वस्त्र आयुक्त और उद्योग तथा व्यापार के शीर्ष संघों, जैसा भी मामला हो, को देने के लिए कार्यान्वियन समितियां स्थापित की जाएंगी।

(5) कपड़े की खुदरा कीमतों के संबंध में विचार करने और स्कीम के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट उपचारात्मक कार्यवाही के लिए सरकार और संबंधित उद्योग तथा व्यापार वर्ग को देने के लिए निगरानी समितियां भी स्थापित की जाएंगी।

हाशिश तेल की तस्करी में लगा गिरोह

1843. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाशिश तेल की तस्करी में लगा हुआ अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ वाला गिरोह कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा हाल ही में खत्म कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं और अब तक सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस आशय की प्राप्त सूचना पर कार्य करते हुए कि पूर्वी भारत और नेपाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने कलकत्ता में मई से जुलाई, 1973 के दौरान लगभग 83 कि० ग्रा० हशील-डल और 278 कि० ग्रा० हशील की टिक्कियां पकड़ीं; निषिद्ध माल अमेरिका और कनाडा को निर्यात किये जाने के लिए था।

(ख) अमेरिका में संयुक्त राज्य सीमाशुल्क विभाग द्वारा दो विदेशियों को गिरफ्तार किये जाने के अतिरिक्त, इस संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक कनाडा का राष्ट्रिक है और तीन भारतीय हैं। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

समाजवादी देशों के साथ व्यापार नीति में परिवर्तन

1844. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाजवादी देशों के साथ अपनी व्यापार नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान नीति में क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इण्डो-सोवियत काटन कन्वर्शन डील के अन्तर्गत सूती कपड़े की सप्लाई

1845. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रबन्धित मिलों सहित अनेक कपड़ा मिलें 'इण्डो-सोवियत काटन कन्वर्शन डील' के अन्तर्गत सूती कपड़ा भेजने के काम में दोषी पाई गई हैं;

(ख) क्या कुछ मिलों ने, जिन्होंने कोटा स्वीकार कर लिया था, अभी तक उत्पादन आरंभ ही नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत कोटे के अनुसार उत्पादन करने में इन मिलों के असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों को अपेक्षित कपड़े तैयार करने के लिये विवश करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) सरकार द्वारा प्रबन्धित आठ मिलें तथा गैर-सरकारी स्वामित्व वाली आठ मिलें काटन कनवर्जन डील के अन्तर्गत सोवियत रुस को निर्यात के लिए सूती फैब्रिक्स की डिलीवरी में चूक की है।

(ख) से (घ) इन मिलों द्वारा संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा न किया जाने के कुछ कारण ये बताये जाते हैं :—

(1) बिजली की कटौती।

(2) उत्पादित माल की क्वालिटी वस्त्र समिति द्वारा पास नहीं की गई।

(3) सूत का उपलब्ध न होना, आदि।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजन के लिए उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के अन्तर्गत दोषी मिलों को आदेश जारी किये हैं जिनमें उनको निर्धारित बढ़ाई हुई तिथि अर्थात् 31-8-1973 तक केवल एक मिल को छोड़कर जिसके लिए यह तारीख 31-7-1973 थी, संविदा में बतायी गयी मात्रा का उत्पादन करने तथा उसकी डिलीवरी करने के लिए विवश किया गया है।

भारतीय वस्तुओं के लिये सिंगापुर से नये क्रयादेश

1846. श्री डी० के० पंडा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1973 के 'स्टेटसमैन' में "फ्रेश आर्डर फार इंडियन गुड्स फ्रोम सिंगापुर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वस्तुओं के लिये सिंगापुर द्वारा दिये गये क्रियादेशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा 25 जून से 10 जुलाई, 1973 तक आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी के परिणामस्वरुप सिंगापुर में बुक किए गए आदेशों के ब्यौरे, भाग लेने वालों द्वारा अनौपचारिक रूप में बताये गए अनुसार निम्न प्रकार हैं :

क्रमांक	वस्तुओं का वर्ग	मूल्य (एस डालर)
1.	भारी इंजीनियरी माल	21,99,500
2.	हल्का इंजीनियरी माल	24,27,000
3.	हस्तशिल्प की वस्तुएं	23,000
4.	आभूषण	40,000
5.	विविध वस्तुएं	1,50,000
	योग :	48,39,500
		या 1,45,18,500 रुपये

"आर० बी० आई० स्टडी टू एलीमीनेट फ्राड्स आन बैंक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1847. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1973 के 'हिन्दू' में "आर० बी० आई० स्टडी टू एलीमीनेट फ्राड्स आन बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या सरकार के पास बैंकों में धोखाधड़ी के विशेष मामले हैं जिसके लिये कुछ उपाय किये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवत: यह संकेत उस समाचार की ओर है जो "आर० बी० आई० स्टडी टू एलीमीनेट फ्राड्स आन बैंक्स" नामक शीर्षक से 9 जुलाई, 1973 को 'दी हिन्दू' में छपा है। यदि यही बात है तो सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों में विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है जिसका तत्कालिक लक्ष्य त्रुटिपूर्ण स्थलों का पता लगाना और जहां आवश्यक हो, संशोधित प्रणालियें और प्रक्रियाएं शुरु करना तथा विद्यमान प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक, अध्ययन द्वारा प्रकट हुई विभिन्न त्रुटियों को सुधारने के उपाय ढूंढने में बैंकों की सहायता करने के लिए सुझाव भी दे सकता है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दो बैंकों में प्रचलित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में किये गये निरीक्षणों तथा कुछ अन्य बैंकों से उसके द्वारा एकत्रित की गयी सूचना के आधार पर वह पहले ही वाणिज्यक बैंकों को, चैक, ड्राफ्ट आदि की निकासी से संबंधित लेन देनों के मिलान तथा शाखाओं के खातों के पारस्परिक समायोजन के बारे में कुछ सावधानियाँ बरते जाने की बाबत सलाह दे चुका है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार सभी बैंकों को अपने कार्यालयों में हुए धोखाधड़ी के सभी मामलों की, ज्यों ही इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले उनके ध्यान में आते हैं, रिपोर्ट देनी होती है। धोखाधड़ी के तरीकों और सामान्य आंतरिक नियंत्रणों के उपाय बरतने

में की गयी ढीलढाल—जिसके कारण अधिकांश मामलों में धोखाधड़ी आसान हो जाती है— का अध्ययन करने के बाद सम्बद्ध बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और सावधानियों के बारे में परामर्श दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों को परिपत्र भी जारी करता रहा है जिनका उद्देश्य न केवल उन्हें सावधान करना है बल्कि उन्हें इस योग्य बनाना भी है कि अपनी अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सभी सम्भव दोषों को, यदि कोई हो, दूर कर सकें।

भारत से चमड़े के निर्यात के बारे में ब्रिटिश चमड़ा विशेषज्ञ की रिपोर्ट

1848. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश चमड़ा विशेषज्ञ ने हाल ही के अपने भारत के दौरे के दौरान यह बताया है कि कुछ ही वर्षों में भारत से चमड़ा का निर्यात 150 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़कर 350 करोड़ रुपये का हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये सुझावों की मोटी बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। "दि लैदर" लन्दन के तकनीकी सम्पादक श्री हिघम ने इस प्रकार की बात भारत का दौरा करने तथा भारतीय चमड़ा उद्योग का सामान्य सर्वेक्षण करने के पश्चात् प्रकाशित किये गये अपने लेख में कही है। उनसे इस संबंध में भारत सरकार को कोई सुझाव देने के लिए नहीं कहा गया था।

पालम हवाई अड्डे के धावन पथ (रनवे) पर पुनः फर्श बनाने का निर्णय

1849. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पालम हवाई अड्डे के धावन पथ पर पुनः फर्श बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय आयेगा; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली एयर-पोर्ट के छोटे रनवे 09/27 की सतह बदलने का कार्य, जिस पर 25 लाख रुपये का व्यय आएगा, पहले ही आरम्भ हो गया है। बड़े रनवे 10/28 की सतह बदलने की आवश्यकता नहीं है।

थाई सरकार द्वारा दोनों देशों के अन्तर्राष्ट्रीय ध्वज वाले विमानों को उतरने के अधिकारों में वृद्धि करने का अनुरोध

1850. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाई सरकार का दोनों देशों के अन्तर्राष्ट्रीय ध्वज वाले विमानों को उतरने के अधिकारों में वृद्धि करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) अतिरिक्त आवृत्तियों तथा मार्ग अनुसूची में कुछ परिवर्तन करने के संबंध में थाई देश के अनुरोधों पर 11 व 12 मई, 1973 को नई दिल्ली में हुए अन्तर्सरकारी विचार-विमर्श में विचार किया गया था। बातचीत अनिर्णीत रही तथा यह सहमति हुई कि और आगे बातचीत के लिए एयर इंडिया तथा थाई एयरवेज एयरलाइन स्तर पर मिलेंगे।

अरब सागर में मानसून विषयक भारत-रूस संयुक्त अध्ययन

1851. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस अरब सागर में मानसून के विषय पर संयुक्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या अध्ययन में परमाणु उर्जा विभाग के विशेषज्ञ भी भाग ले रहे है; और

(ग) अध्ययन कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। 16 मई, 1973 से 11 जुलाई, 1973 तक भारत व रूस ने संयुक्त रूप से अरब सागर में एक मानसून—प्रयोग (मोनेक्स-1973) किया। दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने इस समय के दौरान समुद्र एवं वायुमण्डल के भौतिक गुणों से संबंधित काफी मात्रा में आंकड़े प्राप्त किए। इन आंकड़ों का भारतीय व रूसी वैज्ञानिक अपने-अपने अनुसंधान केन्द्रों में विश्लेषण व अध्ययन करेंगें।

(ख) जी, हां।

(ग) आशा की जाती है कि यह अध्ययन 1974 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

बैंकिंग के लिए शिलांग में क्षेत्रीय समिति को बैठक में चर्चा के विषय

1852. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर-पूर्वी भारत में बैंकिग के लिए 22 मई 1973 को शिलांग में हुई क्षेत्रीय समिति की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) वहां पर किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। वित्त मंत्री ने 22 मई 1973 को शिलांग में होने वाली दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रादेशिक परामर्शदात्री समिति की सभा में भाग लिया था।

(ख) समिति नें इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं, विशेष कर नये बैंक कार्यालय खोलने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से कृषकों तथा अन्य ऋणकर्ताओं को ऋण देने, का तेजी से विस्तार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया गया था। यह भी निर्णय किया गया कि इस समिति में निश्चत किये गए विभिन्न, उपाय, संबंधित सरकारों तथा बैंकों के अधिकारियों द्वारा और राज्य स्तर की समन्वय समितियों की सभाएं करके अपनाए जाने चाहिए।

भारत तथा योरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संयुक्त आयोग की स्थापना

1853. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय आर्थिक समुदाय भारत के साथ एक संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) क्या संयुक्त आयोग का विवरण तैयार कर लिया गया है और, यदि हां, तो उसकी मोटीं बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के लिए प्रस्थापना पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त आयोग स्थापित करने की भी व्यवस्था है अभी भी बातचीत चल रही है।

धागा उपलब्ध न होने का बीड़ी उद्योग पर प्रभाव

1854. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धागा उपलब्ध न होने का बीड़ी उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) बीड़ी उद्ययोग को धागा सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बीड़ी उद्योग ने धागा न मिलने के बारे में शिकायतें की हैं।

(ख) उन राज्य सरकारों से, जिनको वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरण करने के लिए सूत का बल्क कोटा दिया जाता है, कहा गया है कि वे राज्य में हथकरघों तथा शक्तिचलित करघों की आवश्यकताओं के साथ-साथ बीड़ी उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करें।

'एशिया-72 राईटर्स रन फ्रोम पिलर टूपोस्ट' नामक शीर्षक के अंतर्गत समाचार

1855. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1973 के 'पैट्रियट' में "एशिया-72 राईटर्स रन फ्रोम पिलर टू पोस्ट" नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या मामले की जांच करायी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मामले की जांच की गई है । एशिया-72 हेतु जन सम्पर्क अभिकरण मैंसर्स कोन्सिलियम प्राइवेट लि० नई दिल्ली द्वारा जो अनेक कार्य किए गए थे उनमें से एक कार्य मेला प्राधिकारियों की ओर से हिंन्दी और अंग्रेजी में एशिया-72 न्यूज बुलेटिन नाम से एक दैनिक का संपादन, मुद्रण और प्रकाशन से संबंधित था। अभिकरण ने कार्य की इस मद के लिए 58 (अठ्ठावन) बिल प्रस्तुत किये हैं जो 2.95 लाख रु० (दो लाख पिचानवे हजार रु०) की राशि के हैं। इसमें से 51 (इक्यावन) बिलों का भुगतान, जो 2.34 लाख रु० (दो लाख चौतीस हजार रु०) की राशि के थे, अभिकरण को कर दिया गया है। नौमित्तिक लेखकों, कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स को अदायगी किये जाने संबंधी बिल की, जो कि समाचार की विषय-वस्तु है, अदायगी अभिकरण को कर दी गई है। अभिकरण ने उन व्यक्तियों को भी अपना पैसा प्राप्त करने के लिए सूचना दे दी जिन्हें राशियां देय थीं। अभिकरण के जो अन्य बिल हैं, उनके संबंध में अभिकरण के साथ परामर्श करके संवीक्षा की जा रही है। जैसे ही संवीक्षा कार्य पूरा हो जायेगा उनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

धन कर और उपहार कर की बकाया राशि

1856. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1973 को धन-कर और उपहार कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) वर्ष 1972 के दौरान कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) धन-कर और दान कर की 1 मई 1973 तक की स्थिति के अनुसार शुद्ध बकाया के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे।

(ख) वित्तीय वर्ष 1971-72 में बट्टे खाते डाली गई धन-कर की रकम 14,386 रु० है और वित्तीय वर्ष 1971-72 में बट्टे खाते डाली गई दान-कर की रकम शून्य है।

(ग) बकाया को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा किये गये सामान्य उपाय इस प्रकार हैं :–

(1) प्रमाण-पत्र शुदा बकाया के संबंध में वसूली कार्य को विभाग द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

(2) आयकर आयुक्त और अपर आयकर आयुक्त के ओहदे के बहुत से अधिकारियों को कर-वसूली आयुक्त नियुक्त किया गया है और कई आयकर अधिकारियों को पूरे भारत में कर वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(3) कर्तव्य के अनुसार कार्य-योजना चालू की गई है, जिसके अन्तर्गत, किसी परिमण्डल में कई आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्धारितियों से करों की वसूली का कार्य किसी विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारी को सौंपा जाता है।

(4) पूरे देश में बकाया बोबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। इस अवधि में विचाराधीन समायोजनों/मूलसुधारों को पूरा करने, अपील आदेशों पर अमल करने और निर्धारितियों से उनकी तरफ देय शुद्ध मांग को वसूल करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(5) जो निर्धारिती कर अदा करने में चूक करते हैं, उनके नामों को कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रकाशित किया जाता है।

(6) वांचू समिति द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशों को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 में अन्तर्विष्ट किया गया है।

पश्चिम बंगाल में आय-कर की बकाया राशि

1857. **श्री एम० एस पुरती :**
श्री रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में आय-कर की सर्वाधिक बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है और यह कब से बकाया है और इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। 31-3-73 को आयकर की बकाया सकल मांग और साथ ही शुद्ध बकाया का कार्यक्षेत्र-वार व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) 31-3-1973 को आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेन्ट्रल) के कार्य क्षेत्रों में, आयकर की बकाया सकल मांग और शुद्ध बकाया का व्यौरा, जिस अवधि के लिए ये देय रहीं है, उसके अनुसार, इस प्रकार है :–

	बकाया सकल मांग	शुद्ध बकाया
	(करोड़ रुपयों में)	
1. 1962-63 और उससे पूर्व के वर्ष की बकाया	28.80	23.74
2. 1963-64 से 1970-71 तक की बकाया	150.04	113.11
3. 1971-72 की बकाया	62.54	51.76
4. 1972-73 की बकाया	53.90	14.44
जोड़	295.28	203.05

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वे सभी उपाय किये गये हैं जिनकी कानून में व्यवस्था है। इनमें ये उपाय भी शामिल हैं :—

1. कर अदा न करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाना।

2. निर्धारिती को देय धन का धारा 226(3) के अन्तर्गत अभिग्रहण।

3. धारा 226(4) के अधीन न्यायालयों में धन का अभिग्रहण।

4. धारा 226(5) के अधीन चल सम्पत्ति का आसँध और विक्रय।

5. धारा 222 के अधीन वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना।

6. चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/विक्रय

7. दीवानी जेलखाने में निर्धारिती को कैद करना।

जिन अलग मामलों में कर की 10 लाख रु० से अधिक रकम बकाया है, उनकी छानबीन और समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड में एक विशेष सैल स्थापित किया गया है जिससे कि अधिकारियों का, कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

करों की बकाया की समस्या को सुलझाने और एक दृढ़ नीति निर्धारित करने की दृष्टि से, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्तों और अधिकारी संस्थायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इस बातचीत के परिणामतः निम्न-लिखित उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का विचार है :—

(1) आयकर अधिकारी और कर-वसूली अधिकारी संवर्ग को सुदृढ़ बनाना।

(2) अपीलों के बकाया पड़े काम को निपटाने के लिये अल्प अवधियों के लिये तदर्थ आधार पर दूसरे स्थानों से पश्चिम बंगाल में अपीलीय सहायक आयुक्तों की तैनाती।

(3) अशोध्य मांगों को तेज गति से बट्टे खाते डालने के लिये एक तंत्र तैयार करना।

(4) पहले ही अदा किये गये करों के समायोजन, भूल सुधार संबंधी आवेदनों के निपटान और अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने के कार्य में तेजी लाना।

(5) अपीलीय प्राधिकारियों से उन सभी अपीलों तथा संदर्भ याचिकायों पर प्राथमिकता के अधार पर विचार करने का अनुरोध करना जिनमें मार्ग में बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों।

(6) अधिकारियों की संबंधित संस्थाओं के माध्यम से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के सदस्य (बजट), पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं ताकि इस समस्या को और विशेष कर ऐसे मामलों में जहां मांगों में बड़ी-बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों, सुलझाने में आयकर आयुक्तों का मार्गदर्शन किया जा सके।

विवरण

क्रम संख्या	आयकर आयुक्त कार्य-क्षेत्र	31-3-1973 को सकल बकाया (करोड़ रु० में)	शुद्ध बकाया
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश I	8.71	4.20
2.	आन्ध्र प्रदेश-II	8.03	4.64
3.	असम	7.52	5.87
4.	बिहार	14.72	12.46
5.	बम्बई नगर-I	19.92	11.39
6.	बम्बई नगर-II	15.64	8.52
7.	बम्बई नगर-III	43.43	20.70
8.	बम्बई नगर- IV	19.10	13.56
9.	बम्बई नगर- V	24.87	18.04
10.	बम्बई नगर- VI	25.94	19.29
11.	बम्बई (सेन्ट्रल)	31.75	14.64
12.	कलकत्ता (सेन्ट्रल)	35.98	24.98
13.	दिल्ली-I	22.65	9.57
14.	दिल्ली-II	10.85	6.31
15.	दिल्ली-III	14.88	10.25
16.	दिल्ली (सेन्ट्रल)	29.91	15.93
17.	गुजरात-I	6.56	4.27
18.	गुजरात-II	9.39	5.54
19.	गुजरात-III	7.06	3.55
20.	कानपुर	20.60	11.33
21.	केरल	7.35	3.48
22.	लखनऊ	12.33	6.67
23.	मध्य प्रदेश, भोपाल	13.79	10.48
24.	मद्रास-I	18.77	7.17

1	2	3	4
25.	मद्रास-II	17.74	7.59
26.	मद्रास (सेन्ट्रल)	20.81	9.43
27.	मैसूर	11.09	3.80
28.	उड़ीसा	5.68	4.09
29.	पूना	9.33	6.19
30.	पटियाला-I	10.53	4.77
31.	पटियाला-II	7.62	4.64
32.	राजस्थान, जयपुर	8.23	4.85
33.	नागपुर	9.25	6.84
34.	पश्चिम बंगाल-I	28.76	1[illegible].94
35.	पश्चिम बंगाल-II	57.15	41.92
36.	पश्चिम बंगाल-III	34.84	22.02
37.	पश्चिम बंगाल-IV	50.37	41.26
38.	पश्चिम बंगाल-V	46.17	31.42
39.	पश्चिम बंगाल-VI	42.00	27.50
	योग	790.02	483.10

इंडियन एयर लांइस को यूरोपीय एयर बस की बिक्री के लिये पेशकश

1858. **श्री राम प्रकाश :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को यूरोपीय एयर बस निर्माताओं ने बहुत कम मूल्य पर एयर बस की विक्री के लिए पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस को ए-300-बी एयर बस के निर्माताओं, मैमर्स एयर बस इंडस्ट्रीज से 'कोटेशन' प्राप्त हुई हैं। कारपोरेशन के विमान बेड़े में अभिवृद्धि संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

भारतीय रुपये पर पश्चिम जर्मनी के मार्क के पुनर्मूल्यन का प्रभाव

1859. **श्री राम प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने हाल में मार्क का पुनर्मूल्यन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पश्चिमी जर्मनी ने ड्यूश मार्क का मूल्य 29 जून, 1973 को 5.5 प्रतिशत बढ़ा दिया था। चूंकि मार्क का सममूल्य पहले की तरह ही विनिमय दर से मुक्त है, इसलिए इसके पुनर्मूल्यन का प्रभाव केवल स्वीडन और नार्वे के साथ-साथ जिन्होंने दोनों ओर 2.25 प्रतिशत के मार्जिन के अधीन 19 मार्च, 1973 को लागू हुए मुद्राओं को विनिमय दरों से मुक्त करने का संयुक्त प्रबन्ध किया था, साझा बाजार के पांच भागीदारों (नीदरलैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस, लक्समबर्ग और डेनमार्क) की मुद्राओं पर पड़ता है, जिन्होंने स्थिर सममूल्यों के पक्ष में कहा था। किन्तु मार्क की तुलना पौण्ड स्टर्लिंग में 28 जून और 25 जुलाई, 1973 के बीच 10.9 प्रतिशत ह्रास हुआ। चूंकि रुपये का संबंध पौण्ड स्टर्लिंग के साथ अब भी बराबर बना हुआ है इसलिए उस अवधि में मार्क की तुलना में रुपये के मूल्य में भी उसी सीमा तक ह्रास हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेश्नल डेवैलपमेंट एसोसियेशन) से ऋण

1860. श्री राम प्रकाश :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हमारे देश को 250 लाख डालर का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है; और

(ग) यह ऋण किन-किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत सरकार ने 9 फरवरी, 1973 को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजना के लिए 250 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण के लिए विश्व बैंक की आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये थे।

(ख) इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा; केवल एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (1 प्रतिशत का 3/4) की दर से सेवा-प्रभार देना पड़ेगा। ऋण की राशि 1 फरवरी, 1983 को शुरू होने वाली और 1 अगस्त, 2022 को समाप्त होने वाली छमाही किस्तों में चुकायी जानी है । ऋण के बराबर की राशि भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रुपयों में कर्ज दी जाएगी।

(ग) ऋण का प्रयोजन, भारत के लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए राज्यों के वित्तीय निगमों के माध्यम से वित्त-व्यवस्था करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपने क्रिया-कलापों का विस्तार करने में सहायता देना है ।

अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा पेंशन में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन देना

1861. श्री राम प्रकाश :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों ने पेंशन में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवा में स्थित कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवा-निवृत्ति लाभों के बारे में वेतन ग्रायोग की सिफारिशों की ग्रभी जांच की जा रही है। वर्तमान पेंशनरों को किसी प्रकार की राहत मंजूर करने के प्रश्न की जांच कालांतर में उन निर्णयों को दृष्टि में रख कर ही की जा सकती है जो उन सिफारिशों पर लिए जाएं।

जीवन बीमा निगम द्वारा ब्याज दर का बढ़ाया जाना

1862. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने ग्रपनी ब्याज दर को बढ़ाने का निर्णय किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां। निम्नलिखित ऋण-योजनाग्रों पर ब्याज की दरें बढ़ायी गई हैं :

(i) सम्पत्तियों के बंधक पर राज्य विद्युत बोर्डों को मियादी ऋण।

(ii) ग्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा सहकारी संस्थाग्रों को मियादी ऋण।

(iii) ग्रचल सम्पत्तियों के बंधक पर ऋण देने की योजना। (एम० स्कीम)।

(iv) "ग्रपनी मालिकी का घर" योजना ('ग्रो वाई एच' स्कीम)।

(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके कर्मचारियों की ग्रावासीय योजनाग्रों के लिए ऋण देने की योजना।

(vi) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सहकारी ग्रावासीय संस्थाग्रों को गृह निर्माण के लिए ऋण मंजूरी देने की योजना।

(vii) "ग्रपनी मालिकी का फ्लैट" योजना।

(viii) बोरीवली तथा ग्रन्य उपनगरों में सहकारी संस्थाग्रों से संबंधित योजना।

(ख) हाल ही में बैंक दर में वृद्धि की जाने, ब्याज दरों का वर्तमान रुख, पूंजी की वर्तमान लागत ग्रौर ग्रन्य सरकारी वित्तीय संस्थाग्रों द्वारा ग्रपनायी गई ब्याज दर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही ब्याज की दरें बढ़ायी गई हैं।

"पायलट्स लिस्ट फ्लाज इन ग्रापरेशन्स" शीर्षक से समाचार

1863. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "पायलट्स लिस्ट फ्लाज इन ग्रापरेशन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने 22 जून 1973, के एक पत्र में इंडियन एयर-लाइंस के परिचालन विभाग की कार्यप्रणाली तथा परिचालनों की सुरक्षा से संबंधित कई प्रश्न उठाए थे। प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित बहुत से प्रकरण इस पत्र में थे। कारपोरेशन के प्रबंधक वर्ग द्वारा इन की जांच की गई थी तथा 7 जुलाई, 1973 को लिखित रूप में संघ को ठीक-ठीक स्थिति से अवगत करा दिया गया था। जहां-जहां उपचारी कार्यवाही की आवश्यकता थी प्रबन्धकवर्ग द्वारा वह कर दी गई है।

संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना

1864. श्री विक्रम महाजन :
श्री अजीत कुमार साहा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संकटग्रस्त चाय बागनों को अपने नियंत्रण में लेने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) इन संकटग्रस्त चाय बागानों की संख्या तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं और इन संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कौनसी एजेंसी बनाई जायेगी; और

(ग) इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). कृतिक दल की रिपोर्ट के खण्ड 1 में दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा इस संबंध में कतिपय प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

Punishment for Evasion of Income Tax

1865. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that a person evading taxes to the tune of more than Rs. 1 lakh would be given imprisonment upto 7 years;

(b) if so, the broad outlines of the decision; and

(c) the steps taken by Government to make the administrative machinery clean and honest ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). Provisions have been introduced in the form of Section 276C (1) of the Income-tax Act, 1961 and Section 35-F of the Wealth-tax Act, 1957 through clauses 71 and 108 of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973. These provisions seek to provide for rigorous imprisonment for a term which may extend upto 7 years in the case of wilful attempt to evade taxes where the amount sought to be evaded exceeds one lakh of rupees.

(c) The need to make the administrative machinery clean and honest in the Incometax Department engages the constant attention of the Central Board of Direct Taxes in consultation with the Central Vigilance Commission and the C.B.I. The Board exercises vigilance over matters of corruption through their Chief Vigilance Officer, the Additional Chief Vigilance Officer and Vigilance Officers. The measures to make the administrative machinery in the Income-tax Department clean and honest are kept constantly under review and action is taken, as and when necessary, to improve such measures.

वर्तमान विधानों के पुर्नविलोकन के बारे में डा० राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

1866. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमा राशि, ऋण अग्रिम राशि आदि के बारे में वर्तमान विधानों का पुर्नविलोकन करने के सम्बन्ध में डा० राजमन्नार समिति का प्रतिवेदन कब तक पेश किया जायेगा और सरकार द्वारा इस पर विचार कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आशा है कि राजमन्नार समिति (बैंकिंग विधि समिति) सरकार के विचार के लिये अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1974 के अन्त तक दे देगी।

वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से शुद्ध लाभ

1867. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, वर्ष 1972 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों से शुद्ध लाभ वर्ष 1971 के मुकाबले 8.4 करोड़ रुपये कम होगा ; और

(ख) यदि हां, तो लाभ में कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यद्यपि यह सच है है कि कुल मिलाकर बोनस की अदायगी करने के बाद 14 राष्ट्रीयकृत बैकों का कुल वास्तविक लाभ वर्ष 1972 में, वर्ष 1971 के तदनुरुप लाभ से लगभग 2 करोड़ रुपया कम था तथापि यह कहा जा सकता है कि 3 बैंकों ने अपने लाभों में काफी वृद्धि दिखाई, 5 बैंकों ने सीमांतिक वृद्धि दिखाई तथा 6 बैंकों ने अपने लाभों में कमी दिखाई। कुल मिलाकर इन 14 बैंकों के लाभों में व्यापक कमी के प्रमुख कारण ये हैं : (1) कठिन आर्थिक स्थिति के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण देने में—विशेष रूप से वर्ष 1972 के पिछले भाग में—सामान्य शिथिलता और (2) बैंकों द्वारा खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या में वृद्धि और इन शाखाओं में रखने के लिये अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति ; इस प्रकार किये गये विस्तार के ठोस परिणामों का पता केवल अगले वर्षों में ही चलेगा।

एवरों विमान के बारे में धवन अध्ययन दल के निर्देश-पद

1868. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एवरो' विमान के उच्च स्तरीय परीक्षणात्मक अध्ययन के लिये गठित किये गये धवन अध्ययन दल के निर्देश पद क्या हैं; और

(ख) क्या अध्ययन दल को अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एवरो (एच० एस०-748) के सभी पहलुओं का, विशेषकर इण्डियन एयरलाइंस की विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये, मूल्यांकन करने के लिये धवन समिति नियुक्त की गई है।

(ख) जी, नहीं।

अरण्डी के तेल का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात

1869. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अरण्डी के तेल का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध निर्यात लक्ष्य से काफी कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु चाय उद्योग को उत्पाद-शुल्क में राहत पहुंचाना

1870. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे चाय के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से चाय उद्योग को उत्पाद-शुल्क में राहत दी जाये और कमी की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चाय के निर्यात बढ़ाने के सन्दर्भ में चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर पुनर्विलोकन करती रहती है।

'नाइलोन यार्न' का आयात

1871. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाइलोन यार्न के पर्याप्त मात्रा म आयात की व्यवस्था करने हेतु एक उच्च-शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल विदेश भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय की मुख्य रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) केप्रोलेक्टम की खरीदारी के लिये, राज्य व्यापार निगम का एक वरिष्ट निदेशक जापान भेजा गया है और यूरोप को भी एक दल भेजा जा सकता है। इन दौरों के दौरान, नायलोन यार्न प्राप्त करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जायेगा।

रुई मिलों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाया जाना "काटन मिल्स अर्न फैबुलस प्राफिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया

1872. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1973 के 'फाइनेनशियल एक्सप्रैस' में "काटन मिल्स अर्न फैबुलस प्राफिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

18 LSS/73—6

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) 1972 के दौरान पूर्ण वस्त्र उद्योग की लाभप्रदता का कोई सविस्तार अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह सत्य है कि पिछले 2/3 वर्षों की तुलना में 1972-73 वर्ष में रुई मिलों की लाभप्रदता सामान्य तौर पर बेहतर रही है, परन्तु यह सामान्य विचार बना लेना सही नहीं होगा कि उनके द्वारा अत्यधिक लाभ अर्जित किये गये हैं।

1973 के पूर्वार्ध के दौरान स्वदेशी रुई की कीमतों में वृद्धि से 1973-74 के दौरान सूती वस्त्र उद्योग की लाभप्रदता कम हो जाने की संभावना है।

कीमत स्थिति का अध्ययन करने और ऐसे उपायों की सिफारिश करने के लिये कपड़े की कीमतों सम्बन्धी एक समिति नियुक्त की गई जो कि कपड़े की कीमतों को नियंत्रित करने के लिये किये जा सकें। समिति की सिफारिशों के आधार पर, मोटे, लोअर तथा हायर मीडियम किस्मों के पहनने योग्य अनियंत्रित कपड़े हेतु एक स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना विकसित की गई है और 22 जुलाई, 1973 से उसे लागू कर दिया गया है। योजना की मुख्य विशेषतायें ये हैं:—

(1) मोटे, लोअर मिडियम तथा हायर/मडियम के पहनने के सभी किस्मों के कपड़े (उन किस्मों को छोड़कर जो पहले ही सांविधिक कीमत नियंत्रण के अधीन हैं) की मिल से निकलते समय की कीमतें नवम्बर, 1972 में रही कीमतों के अनुरूप एक उच्चतम सीमा के अधीन होंगी और अनुवर्ती अवधि में उत्पादन साधन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की व्यवस्था होगी।

(2) कपड़े की जो किस्में पहले ही सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर कपड़े की उपर्युक्त किस्मों के सम्बन्ध में व्यापार मार्जिन मिल से निकलते समय की कीमतों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा करने के बाद उनसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त आधार पर आकलित अधिकतम मिल से निकलते समय की कीमतें और अधिकतम खुदरा कीमतों की मोहर पहनने के कपड़े के प्रत्येक थान के शुरू में तथा अन्त में लगाई जायेगी।

(4) स्कीम के उल्लंघन किये जाने के मामलों की जांच करने के लिये और मामले की सूचना समुचित कार्यवाही के लिये वस्त्र आयुक्त और उद्योग तथा व्यापार के शीर्ष संघों, जैसा भी मामला हो, को देने के लिए कार्यान्वयन समितियां स्थापित की जायेगी।

(5) कपड़े की खुदरा कीमतों के सम्बन्ध में विचार करने और स्कीम के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट उपचारात्मक कार्यवाही के लिये सरकार और संबंधित उद्योग तथा व्यापार-वर्ग को देने के लिये निगरानी समितियां भी स्थापित की जायेंगी।

राज्य व्यापार निगम की औषध निर्माता कम्पनियों के साथ सहयोग व्यवस्था

1873. **श्री बक्शी नायक : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के सुदूर पूर्वीय डिवीज़न ने औषध निर्माता कम्पनियों के साथ सहयोग की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग व्यवस्था का कार्य कैसा रहा; और

(ग) इस व्यवस्था के अन्तर्गत किन वस्तुओं का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) अप्रैल, 1973 में समातारीय रसायन, भेषज तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद के 'अध्ययन सह-विक्रय' प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का दौरा किया। राज्य व्यापार निगम (सुदूर पूर्व) जो हांगकांग में नियमित राज्य व्यापार निगम भारत और हांगकांग के ख्याति प्राप्त 6 व्यापारियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, के साथ अपनी बातचीत के दौरान, प्रतिनिधिमंडल रसायनों व भेषज पदार्थों के लिय 'स्टाक तथा विक्रय' प्रबन्ध की संभावना का पता लगाना चाहता था। ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे प्रबन्ध से हम इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रसायनों की सतत सप्लाई बनाये रखने में सफल होंगें। इस प्रस्थापना के विवरण निर्यात संवर्धन परिषद के सचिवालय द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। इस योजना में भारतीय राज्य व्याार निगम लि० निर्यात व्यापार परिषद के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा धन-कर का अपवंचन

1874. श्री सरजू पाण्डे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं द्वारा धन-कर अपवंचन के 72 नये मामलों को पुनः लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या धन-कर का जान-बूझकर अपवंचन करने के लिये बिड़ला परिवार के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है; और यदि हां, तो उसका नाम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) मार्च 1973 से अब तक बिड़ला परिवार के सदस्यों और बिड़ला समूह के अन्य व्यक्तियों के धन-कर निर्धारन सम्बन्धी 125 मामलों में धन कर निर्धारण की कार्यवाही चालू की गई है/ फिर से चालू की गई है। ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5299/73]

हिरासत में लेने का प्रश्न जांच-पड़ताल पूरी हो जाने और अपराध सिद्ध हो जाने के बाद ही पैदा होगा।

व्यक्तियों अथवा फर्मों से 10 लाख से अधिक बकाया आयकर की उगाही के लिये की गई कार्यवाही

1875. श्री सरजू पाण्डे :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर के कितने मामले बकाया पड़े हैं जिनमें आयकर की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है;

(ख) उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी ओर ऐसी राशियां बकाया पड़ी हैं;

(ग) क्या इन बकाया राशियों को एकत्र करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जिन निर्धारितियों की तरफ 31-3-1973 को आयकर की 10 लाख रु० से अधिक शुद्ध बकाया थी, उनकी संख्या 491 थी।

(ख) इन निर्धारितियों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5300/73]

(ग) जी, हां।

(घ) जिन अलग मामलों में कर की 10 लाख रु० से अधिक रकम बकाया है, उनकी छानबीन और समीक्षा करने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है जिससे कि क्षेत्र-अधिकारियों का, कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

करों की बकाया की समस्या को सुलझाने और एक दृढ़ नीति निर्धारित करने की दृष्टि से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, आयकर आयुक्तों और अधिकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इस बातचीत के परिणामतः निम्नलिखित उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का विचार है:—

(1) आयकर अधिकारी और कर-वसूली अधिकारी संवर्ग को सुदृढ़ बनाना।

(2) अशोध्य मांगों को तेज गति से बट्टे-खाते डालने के लिये एक तन्त्र तैयार करना।

(3) पहले ही अदा किये गये करों के समायोजन, मूल सुधार सम्बन्धी आवेदनों के निपटान और अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने के कार्य में तेजी लाना।

(4) अपीलीय प्राधिकारियों से उन सभी अपीलों तथा संदर्भ याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध करना जिनमें मांग में बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों।

(5) अधिकारियों की संबंधित संस्थाओं के माध्यम से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य (बजट), आयकर आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं ताकि इस समस्या को और विशेषकर ऐसे मामलों में जहां मांगों में बड़ी-बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों, सुलझाने में आयकर आयुक्तों का मार्गदर्शन किया जा सके।

भारत द्वारा विदेशों को ऋण और वित्तीय सहायता देना

1877. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1973-74 में अन्य देशों को ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी जानी है; और

(ख) भारत अन्य देशों को किस प्रयोजन से ऋण और वित्तीय सहायता देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऋणों और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिये 1973-74 में कुल 55.71 करोड़ रुपये की व्यस्था की गई थी।

(ख) वित्तीय सहायता कई प्रयोजनों के लिये दी जा रही है। मोटे तौर पर, यह सहायता विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं आर्थिक पुनरुद्धार और भारत से औद्योगिक माल की खरीद के लिये दी जा रही है। इस सहायता का उद्देश्य यह है कि भारत और सम्बन्ध प्राप्तकर्ता देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जाए।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत मूलक पक्षियों तथा पशुओं का निर्यात

1878. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या वाणिज्यिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अन्य देशों को भारत मूलक पक्षियों तथा पशुओं का निर्यात करता है और पक्षियों तथा पशुओं की कई किस्मों का आयात भी करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने पक्षियों तथा पशुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ग) जिन देशों को पक्षियों का निर्यात किया गया उनके नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम ने विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये विशेष अनुरोध पर कतिपय पशुओं तथा पक्षियों का आयात किया है। राज्य व्यापार निगम ने उसी अवधि के दौरान कोई भी पशु तथा पक्षी निर्यात नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन करने सम्बन्धी योजना

1879. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादन और इसके व्यापार का विकास करने हेतु तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन कब किया जायेगा और इसके क्या कार्य होंगे तथा इसके सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) प्रस्थापित तम्बाकू बोर्ड फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के, जो कि हमारी निर्यात किस्म है, उत्पादन तथा विपणन के सुव्यवस्थित विकास के लिये संस्था के रूप में कार्य करेगा। इसके गठन, कार्यों आदि के बारे में विभिन्न ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं तथा उनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

पटसन के न्यूनतम समर्थक मूल्य का पुनर्विलोकन

1881. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य, अतिरिक्त श्रम लागत और पटसन के उत्पादन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुये पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। 1973-74 के मौसम के लिये कच्चे पटसन के सम्बन्ध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के उचित स्तर हेतु सिफारिश करते समय, कृषि मूल्य आयोग ने, उत्पादन लागत सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों का पुर्नविलोकन किया है।

चालू वर्ष के दौरान प्लास्टिक सामग्री और प्लास्टिक का आयात

1882. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में प्लास्टिक के कच्चे माल तथा प्लास्टिक का कुल कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ;

(ख) क्या आगामी वर्ष में प्लास्टिक का कच्चाँ माल प्राप्त करना भारत के लिये कठिन होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी कठिनाई पैदा हो सकतीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान प्लास्टिक के कच्चे माल तथा प्लाटिक के आयात की कुल जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उसका कोई ठीक-ठीक पूर्व में अनुमान लगाना संभव नहीं है। ऐसे आयात अंशतः मार्गीकृत किये जाते हैं और अंशतः वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे प्राप्त किये जाते हैं तथा वास्तविक आयात स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुये आवश्यकता पर निर्भर करेंगे। राज्य व्यापार निगम ने मुख्य मार्गीकृत वस्तुओं की आयात आवश्यकताओं का अनुमान 20,000 म० टन और 25,000 म० टन के बीच लगाया है।

(ख) प्लास्टिक के कई प्रकार के कच्चे मालों के सम्बन्ध में विश्व बाजार में कमी पैदा हो गई है तथा विदेशों में प्लास्टिक के कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने में समस्यायें पैदा हो सकती हैं।

(ग) उपयुक्त को देखते हुये संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है, हालांकि प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात में कमी पैदा हो सकती है, उसका अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

Constitution of a Committee to go into the Question of Improvement in the Pay Scales of Officers of Nationalised Banks

1883. Shri Shrikrishna Aggarawal :
Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether a Committee has been constituted to go into the question of improving the pay scales of Officers of the Nationalised Banks;

(b) if so, the terms and reference of the Committee; and

(c) the time given to the Committee to submit its report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) In persuance of the recommendations made by the Banking Commission, Government of India has set up a Committee for standardisation of scales of pay, allowances and perquisites of officers (other than award staff) in the 14 nationalised banks with Shri V.R. Pillai as the Chairman and the following as members :

1. Shri K.P.J. Prabhu.
2. Shri S.M. Joshi.
3. Shri J.M. Lalvani.
4. Shri R. Rajamani—Member Secretary.

(b) The Committee will enquire into and make recommendations to the Government on the following :

(i) The principles that should govern the structure of pay scales of officers of nationalised banks and to suggest such changes in the existing structure as may be necessary to bring about standardisation of scales of pay. In making its recommendations, the Committee will take into consideration the terms and conditions of the Chairman and Managing Directors of nationalised banks;

(ii) The allowances, amenities, facilities or benefit in kind that should be admissible to the various grades of officers in the nationalised banks;

(iii) The age of superannuation of and the nature and quantum of terminal benefits for the officer cadres;

(iv) The principles that should govern the question of transferability of senior staff amongst the various nationalised banks *i.e.* posts which involve control over branches in a region or which are entrusted with the responsibility of taking policy decisions or which carry at the beginning of the scales total emoluments including perquisites, of Rs. 2000/- and above per month; and

(v) Any other matter incidental or ancillary to the foregoing which the Committee may deem fit.

(c) The Committee is required to submit its report to the Government within a period not exceeding 12 months.

Difficulties arising out of the current Trade Agreement with Bangladesh

1884. Shri Shrikreishna Aggarwal :
Shri Shrikishan Modi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether certain difficulties have cropped up as a result of the current Trade Agreement with Bangladesh;

(b) if so, whether Government propose to make some changes in the present set up so as to make it a long term arrangement;

(c) if so, the broad outlines thereof; and

(d) the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) No difficulties as such, have cropped up in connection with the current Trade Agreement between India and Bangladesh. The working of the Trade Agreement was reviewed in Dacca in October, 1972 and also during the trade talks in Dacca in the first week of July, 1973. It was noted that considering the problems of internal transport, shipping limitations and procedural arrangements that had to be worked out for the first time after long years of absence of trade relationship between the two countries, the export

performance of both the countries under the Limited Payments Arrangement was very satisfactory. In order to take effective and timely measures for removing all transports bottlenecks, the two Governments have decided to form a Joint Transport Co-ordination Committee.

2. As a result of the discussions in Dacca, a new Trade Agreement between the two countries was also concluded on 5th July, 1973. The Agreement, which will come into force on 28th September, 1973, when the existing Trade Agreement will have expired, will be valid in the first instance, for a period of three years—extendable, by mutual consent, for a further period. There will be two-tiers of trade—

(a) A Balanced Trade & Payments Arrangement in commodities of special interest to the two countries to the extent of Rs. 30.5 crores each way; and

(b) Trade outside the Balanced Trade & Payments Arrangement, which will be regulated in accordance with the normal import, export and foreign exchange regulations.

"आर० बी० आई० ब्लेमज गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया

1885. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1973 के "फाइनेनशियल एक्सप्रैस" में प्रकाशित "आर० बी० आई० ब्लेमज "गवर्नमेंट" समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आर्थिक संकट के लिये सरकार को दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हां । किन्तु समाचार का शीर्षक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम अपने पत्र में केवल यह बताया था कि बजट सम्बन्धी घाटों का लगातार होते रहना उन कारणों में से एक है जिनसे मूल्यों में वृद्धि हुई है। उन्होंने उपलब्ध पूर्तियों पर मुद्रा सम्बन्धी समग्र साधनों के दवाब को कम करने के लिये सरकारी व्यय पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया था।

(ख) देश की केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था द्वारा तात्कालिक आर्थिक मामलों में सरकार को परामर्श दिया जाना सभी लोकतान्त्रिक देशों की चिर प्रचलित प्रथा है। अतः सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भेजे गये उनके परिपत्र में व्यक्त विचारों को उसी दृष्टि से देखती है। सरकार अपने खर्चों को, विशेषतः विकास-भिन्न खर्चों को कम करने के प्रश्न के सम्बन्ध में स्वयं काफी जागरूक हैं और ऐसे खर्चों पर रोक लगाने के उपाय ढूंढ रही है।

टी० यू० 154 विमान सम्बन्धी भारत विमानन दल की रिपोर्ट

1886. **श्री वयालार रवि** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के लिये टी० यू० 154 सिविल विमान की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये सोवियत संघ गये भारतीय विमानन दल ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विमान खरीदने के लिये सरकार के विचाराधीन अन्य प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयर लाईन्स के तकनीकी विशेषज्ञ दल ने जो सोवियत संघ गया था अपनी रिपोर्ट कार्पोरेशन को दे दी थी । कार्पोरेशन ने विमानों की खरीद के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव अब सरकार को भेज दिये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

बहराइच जिले में कार्य कर रहे 'लीड बैंक'

1887\. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच जिले में कितने और कब से 'लीड बैंक' कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन की प्रगति में वृद्धि करने के लिये कोई विशेष लाभ-प्रद परियोजनायें तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजनायें क्या हैं और अनुसूचित तथा गैरअनुसूचित बैंकों ने इस जिले में ऐसी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिये कितनी धनराशि दी है ; और

(घ) क्या इस जिले की आर्थिक क्षमता के बारे में 'लीड बैंकों' ने अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : लीड बैंक योजना के अन्तर्गत जो 1969 के अन्त में लागू की गई थी इलाहाबाद बैंक को बहराइच जिले में लीड बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

(ख) तथा (ग) उत्पादक प्रयत्नों खासतौर से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं के प्रयत्नों के लिये ऋण विस्तार पर अधिक बल देने के साथ-साथ लीड बैंक ने विशेष छोटी सिंचाई परि-योजना के अंग के रूप में जिले में नलकूप लगाने और पम्प सेट स्थापित करने के लिये तीन वर्ष की अवधि में 47.85 लाख रुपये का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। बैंक ने जिले में 900 नलकूपों के विधुत्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिये कुल मिलाकर 38 लाख रुपये का ऋण भी स्वीकार किया है ।

(घ) बहराइच जिले में, लीड बैंक योजना के अधीन परिकल्पित सर्वेक्षण रिपोर्ट इलाहाबाद बैंक द्वारा नवम्बर, 1972 में प्रकाशित की गई थी।

विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों पर व्यय

1888\. **श्री बी० आर० शुक्लः**
श्री सी० टी० दण्डपाणिः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल 1972 से 30 जून 1973 की अवधि में सरकारी कार्य से भेजे गये कितने प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों का दौरा किया है; और

(ख) इन प्रतिनिधिमंडलों पर भारतीय मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा में जनता का कितना धन खर्च किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

मध्यम और बढ़िया किस्म के कपड़े के मल्यों में प्रस्तावित कमी

1889. **श्री बसन्त साठे**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम तथा बढ़िया किस्म के कपड़े के मूल्यों में कितनी कमी किए जाने का प्रस्ताव है तथा (मूल्य की अधिकतम सीमा के परिणामस्वरूप) उपभोक्ताओं को प्रति मीटर कपड़े पर कितना-कितना लाभ होगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो तथा इसमें बाधा डालने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये, क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेशमी और ऊनी कपड़े तथा वस्त्रों की भी इसी प्रकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 20 जुलाई, 1973 से तीन मास की अवधि के लिये लागू की गई स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना मोटे तथा मीडियम श्रेणियों के अनियंत्रित कपडे की पहनने योग्य किस्मों पर लागू होती है न कि फाइन कपड़े पर । योजना के अन्तर्गत कीमत में कमी की सीमा 1972 के औसत कीमत स्तर की तुलना में 12% तक होने का अनुमान है ।

(ख) स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना के अंतर्गत, क्रमश: महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों और उपभोक्ता केन्द्रों पर क्रियान्वयन समितियां तथा निगरानी समितियां स्थापित की जायेगी । जबकि क्रियान्वयन समितियां उद्योग तथा व्यापार द्वारा सरकार के निर्णयों के अनुपालन का निरीक्षण करेंगी और दोषों की सूचना समुचित कार्यवाही के लिए वस्त्र आयुक्त और शीर्ष उद्योग/व्यापार एसोसिएशनों को जैसी भी स्थिति हो, दी जायेगी, निगरानी समितियों का संबंध खुदरा कीमतों से होगा और किसी भी कीमत के होने पर मामले की जांच करेंगे और उसकी एक रिर्पोट वस्त्र आयुक्त । अथवा राज्य सरकार के सिविल सप्लाई प्राधिकारियों को देंगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उल्लंघन उद्योग की ओर से हुआ है अथवा व्यापार की ओर से ।

(ग) इस समय नहीं ।

(घ) रेशम व्यापक खपत की एक आवश्यक वस्तु नहीं है । ऊन के मामले में देश अधिकतर आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है जिसकी कीमत पर हमने कोई नियंत्रण नहीं रखा है ।

भारतीय रिजर्व बैंक में समयोपरि कार्य में वृद्धि

1891. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में समयोपरि कार्य में वृद्धि होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो केवल इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये ही नहीं वरन् बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये भी अधिक व्यक्तियों की भर्ती किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले चार वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने वाले लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार से समयोपरि भत्ते की अदायगी की गई :—

1968-69	23,26,000 रुपये
1969-70	24,18,000 रुपये
1970-71	32,72,000 रुपये
1971-72	36,05,000 रुपये

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ कामों के शीघ्रतापूर्ण अस्थाई/मौसमी होने के कारण इस प्रकार के काम वर्तमान कर्मचारियों से समयोपरि कार्य द्वारा ही करवाने पड़ेंगे और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती न तो लाभकारी होगी और न इससे समयोपरि भत्ते में ही कमी होगी। तथापि, बैंक समय-समय पर प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या के बारे में समीक्षा करता रहता है और यदि काम में स्थाई रूप से वृद्धि का संकेत मिलता है तो कर्मचारियों में वृद्धि कर दी जाती है।

ब्याज की दरों में भिन्नता की योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि

1892. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज की दरों में भिन्नता की योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों द्वारा राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया तथा अब तक कितना ऋण दिया गया; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसे बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है जो इस योजना के अन्तर्गत ऋण दे रहे हैं तथा राज्यवार यह शाखायें कहां-कहां स्थित हैं तथा उनके नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31 मार्च, 1973 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 206.57 लाख रुपये के ऋण दिये, जिसके 56223 ऋण खाते हैं। चूंकि बैंकों द्वारा राज्यवार सूचना सारिणीबद्ध नहीं की गयी है अतः प्रत्येक बैंक द्वारा दी गयी राशि का वर्गीकरण अनुबन्ध I के विवरण में दिया गया है [ग्रंथालय में रखा गया/देखियेसंख्या एल०टी०—5301/73]

(ख) अनुबन्ध II में आंध्र प्रदेश की शाखाओं के नाम हैं जिन्हें बैंकों ने विभेदी ब्याज दर योजना का कार्यचालन सौंपा है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी०—5301/73]

रायगढ़, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 300वीं वर्षगांठ के समारोह में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का योगदान

1893. श्री शंकर राव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगले वर्ष रायगढ़, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 300वीं वर्षगांठ मनाई जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस समारोह में उनके मंत्रालय का क्या योगदान करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस समारोह से सम्बन्धित क्रियाकलाप का समन्वयन कार्य महाराष्ट्र सरकार कर रही है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा मारुति लि० को दिया गया ऋण

1895. श्री ईश्वर चौधरी:
श्री मधु लिमये:

क्या **वित्त** मंत्री हरियाणा स्थित मारुति एंड कम्पनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण दिये जाने के बारे में 23 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1973 के बाद जिन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने मारुति लिमिटेड को ऋण दिया है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उक्त ऋण पर किस दर से व्याज लिया गया है तथा उसकी वापस अदायगी की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मैसर्स मारुति लिमिटेड को अभी-तक किसी दीर्घावधिक सरकारी वित्तीय संस्थान ने कोई ऋण अथवा और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण

1897. श्री बीरेन दत्त: : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं ने त्रिपुरा के जिलों में कितना ऋण दिया है ;

(ख) जून, 1972 से जून, 1973 के दौरान प्रत्येक ज़िले से कितने आवेदन पत्र दिये गये;

(ग) क्या आदिवासी आवेदकों को ऋण नहीं दिया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) त्रिपुरा राज्य में जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी बैंकों का कुल बकाया अग्रिम 129 लाख रुपये था; जिसके ज़िलेवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	(लाख रुपयों में)
उत्तरी त्रिपुरा	9
पश्चिमी त्रिपुरा	118
दक्षिण त्रिपुरा	2
	129

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को जो सामयिक विवरण भेजते हैं उनमें बैंक अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जाती है ।

(ग) और (घ) सभी आवेदनपत्रों पर जिनमें अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के आवेदन-पत्र भी शामिल हैं, गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और अनुसूचित जन-जातियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

स्वीडन से सहायता के लिए करार

1899. श्री वीरभद्र सिंह :
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1973 में स्वीडन की सरकार के साथ एक सहायता संबंधी करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) स्वीडन द्वारा 1975-76 में भारत को दी जाने वाली विकास सहायता के बारे में स्टाकहोम में 18 जून 1973 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । इसमें 1975-76 के दौरान सामान्य आयातों के लिये 10.584 करोड़ रुपये (7 करोड़ स्वीडीश क्रोनर) तक के साधन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है । ये साधन ऋण के रूप में होंगे और ऋण प्रारम्भिक 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाना है तथा इस ऋण का उपयोग संसार के किसी भी भाग से माल का आयात करने के लिये किया जा सकता है जिसमें भारत को लाभ हो । यह ऋण ब्याज मुक्त है किन्तु इस पर 3/4 प्रतिशत की दर से नाम मात्र का सेवा प्रभार लगेगा। करार में यह भी व्यवस्था है कि स्वीडन सरकार 1975-76 में स्वीडन से किये जाने वाले आयातों की वित्त व्यवस्था करने के लिये 10.584 करोड़ रुपये (7 करोड़ स्वीडिस क्रोनर) तक के साधन उपलब्ध करायेगी । ये साधन अनुदान के रूप में होंगे ।

1975-76 के लिये सहायता के अतिरिक्त करार में 1973-74 के दौरान 3.78 करोड़ रुपये (2.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) तक की तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था है । इस रकम का उपयोग कृषि, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, निर्यात प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास आदि के क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये किया जायेगा ।

इसके अलावा, करार में 1973-74 के चालू वर्ष के दौरान, स्वीडन से किये जाने वाले आयातों की वित्त व्यवस्था करने के लिये 2.268 करोड़ रुपये (1.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) तक के साधनों का भी प्रबन्ध किया गया है, जो सामान्य आयातों के लिये 11.34 करोड़ रुपये (7.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) तथा स्वीडन से किये जाने वाले आयातों के लिये 3.024 करोड़ रुपये (2 करोड़ स्वीडिस क्रोनर) की राशि के अलावा है जिसकी व्यवस्था भारत-स्वीडन विकास सहयोग करार, 1972 के अन्तर्गत 1973-74 के चालू वर्ष के लिये पहले से ही की जा चुकी है ।

ताड़ के तेल की खरीद के बारे में भारत और मलयेसिया के बीच करार

1900. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताड़ के तेल की खरीद के लिये पोतलदान के बारे में भारत और मलयेसिया के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 42000 टन ताड़ का तेल खरीदने के लिये 'फिलडा' (फैडरल लैंड डैवलपमेंट अथौरिटी), कुआलालम्पुर, तथा उसके पांच सहयोगियों के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) मलयेसिया से ताड़ तेल का पोतलदान अक्तूबर, 1973 से लेकर मार्च, 1974 तक होना है । संविदा का मूल्य लगभग 10.69 करोड़ रुपये है ।

हवाई अड्डों पर विमान उतरने पर विदेशियों को कार्ड जारी किये जाने का निर्णय

1901. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशियों को उनके विमान से उतरते समय ही कार्ड जारी किए जाने के बारे म निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किस कार्ड की ओर संकेत है । एक जहाज से उतरने का (डिसेम्बार्केशन) कार्ड होता है जो उड़ान अथवा यात्रा के दौरान आगन्तुक यात्रियों को भरने के लिये तथा भारत में उतरने पर प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिये दिया जाता है । एक पर्यटक परिचय कार्ड (टूरिस्ट इंट्रोडक्शन कार्ड) भी होता है जो कि पर्यटकों को जारी किया जाता है ताकि वे कुछ ऐसी सुविधाएं जो कि केवल पर्यटकों को ही उपलब्ध होती हैं, प्राप्त कर सकें । ये दोनों कार्ड कई वर्षों से चले आ रहे हैं । विदेशियों को कोई नया कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गत दो वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों और चर्बी की मात्रा

1902. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा कितने खाद्य तेलों और चर्बी का आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम द्वारा इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को सप्लाई करके किस दर से लाभ अर्जित किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) भाग (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल तथा चर्बी की मात्रा तथा इस पर व्यय विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

	1971-72		1972-73	
	मात्रा (मे० टन)	मूल्य लाख रुपये	मात्रा (मे० टन)	मूल्य लाख रुपये
खाद्य तेल	81,428	1878.06	45,202	887.05
चर्बी	1,09,746	1883.06	53,136	738.99

भाग (ख) उपर्युक्त मदों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ की मात्रा विक्रय की प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार है :—

	प्रतिशत निवल लाभ की मात्रा	
	1971-72	1972-73
खाद्य तेल .	0.5 से 12.6	0.8 से 2.9
चर्बी	14	20.5

हैदराबाद स्थित केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल के पुनर्गठन का प्रस्ताव

1903. श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल का पुनर्गठन करने तथा उसके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उड्डयन का एक समान उच्च स्तर बनाए रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) फ्लाइंग क्लबों के प्रशिक्षणार्थियों के लिये ग्राउण्ड-प्रशिक्षण, लिंक ट्रेनरों पर सिंथेटिक उड़ान प्रशिक्षण, सहायक उड़ान प्रशिक्षण रेटिंग आदि के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिये हैदराबाद (नादिरगुल) स्थित केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षणशाला को पुनर्गठित एवं परिपुष्ट किया जा रहा है ।

युगांडा एशियाई नागरिकों के साथ कथित धोखाधड़ी के लिये 'वर्ल्ड वे ट्रैवल एजेंसी' के प्रबन्ध निदेशक की गिरफ्तारी

1904. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 107 युगांडा एशियाई नागरिकों, जिन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर 17 घंटे तक धरना देने के बाद एक 'पान' अमरीकन जम्बो विमान में से बलपूर्वक निकाल दिया गया था, के साथ कथित धोखाधड़ी के लिय दिल्ली स्थित 'वर्ल्ड वे ट्रैवल एजेंसी' के प्रबन्ध निदेशक तथा उसके सहायक को 25 जून, 1973 को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 'मैसर्स वर्ल्ड-वेज ट्रैवल एजेंसी' पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत यात्रा-अभिकर्त्ताओं में से नहीं है, और न ही वह भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता संघ की सदस्य है । फर्म के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

नियोजन सम्बन्धी विवरणों में सरकारी बैंकों द्वारा हिसाब किताब में हेरफेर किया जाना

1905. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बैंक अपने नियोजन के सम्बन्ध में विवरण भेजने के विचार से हिसाब किताब में हेरफेर करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

अन्य देशों में भारतीय हथकरघा कपड़े की लोकप्रियता

1906. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय हथकरघा कपड़ा लोकप्रिय होता जा रहा है;

(ख) वर्ष 1971-72 में कितने हथकरघा कपड़े का निर्यात किया गया और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) क्या वर्ष 1972-73 में नए आर्डर प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो किन देशों से ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. उन देशो के नाम, जहां भारतीय हथकरघा कपड़ा लोकप्रिय है, ये हैं :—

(1) यूरोपीय सांझा बाजार समूह

(2) नार्डिक देश

(3) पूर्व यूरोपीय देश

(4) संयुक्त राज्य अमरीका

(5) कनाडा

(6) पश्चिम अफ्रीकी देश

(7) जापान

(8) आस्ट्रेलिया

(9) मलयेशिया

(10) सिंगापुर

(11) सियरालियोन

(12) दहोमी, तथा

(13) ब्रिटेन ।

2. आमतौर पर हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात आंकड़े मूल्य के आधार पर रखे जाते हैं ।

3. 1971-72 में 30.23 करोड़ रुपये मूल्य की हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात हुआ था।

4. 1972-73 के दौरान जिन देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, उनके नाम हैं :—

(1) यूरोपीय सांझा बाजार समूह

(2) नार्डिक देश

(3) पूर्व यूरोपीय देश

(4) संयुक्त राज्य अमरीका

(5) कनाडा

(6) पश्चिम अफ्रीकी देश

(7) जापान

(8) आस्ट्रेलिया

(9) मलयेशिया

(10) सिंगापुर

(11) सियरालियोन

(12) दहोमी

(13) ब्रिटेन

(14) फिजी द्वीप समूह

(15) न्यूजीलैंड

(16) मारिशस ।

आयात पद्धति का अध्ययन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आवश्यकताएं

1907. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आयात पद्धतियों का अध्ययन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की मंडियों में सामान बेचने के लिये उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में इन देशों के साथ किये गये व्यापार के संतुलन की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन परम्परागत तौर पर अनुकूल है । फिर भी सरकार इस बात को जानती है कि इन देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध और सुधारने की आवश्यकता है । इन देशों को हमारे निर्यातों के बढ़ाने के सतत् प्रयास के लिये उनके द्वारा सभी स्रोतों से किये जाने वाले आयातों का अध्ययन तथा विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि केवल उन मदों का ही पता न लगाया जाये जिनका निर्यात किया जा रहा है और जिनकी बिक्री को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उन मदों का भी पता लगाया जाये जो इन देशों द्वारा अन्य स्रोतों से आयात की जाती हैं और जिनकी सप्लाई भारत द्वारा की जा सकती है ।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के वर्तमान आयातों के विश्लेषण के अलावा इन देशों की भावी आयात आवश्यकताओं के पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से इन देशों की विकास तथा अन्य योजनाओं का भी अध्ययन किया जाना है ।

इस सतत् अध्ययन के परिणामस्वरूप, वस्तुओं तथा साथ ही दक्षिण एशिया में उनके निर्यात हेतु बाजारों का पता लगाया जा रहा है । इस प्रकार जिस संभाव्यता का पता लगाया जाता है उसका पूर्ण उपयोग करने के प्रयोजनार्थ अनुवर्ती उपाय लागू किये जाते हैं जिनमें सम्मिलित हैं : दलों तथा प्रतिनिधि-मंडलों का प्रायोजन, प्रदर्शनियों का आयोजन और भारतीय निर्यातकों को निर्यात अवसरों की शीघ्र ही जानकारी प्रदान करना ।

(ग) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

	1970-71	1971-72	1972-73
1. आस्ट्रेलिया	−1212	−139	−755
2. जापान	+12018	+2070	+3602
3. न्यूजीलैंड	−440	+670	+66
4. बर्मा . . .	+439	+491	+211
5. कम्बोडिया . .	+3	+5	+6
6. लाओस . . .	+2	+1	नगण्य
7. वियतनाम (दक्षिण) . .	+268	+392	+14
8. मलयेशिया	+598	+789	+138
9. सिंगापुर	+1646	+1461	+1023
10. फिलीपीन	+38	+112	+78
11. इंडोनेशिया . . .	+385	+304	+379
12. थाईलैंड . . .	+378	+85	− 90
13. हांगकांग	+1633	+1358	+1254
14. फारमोसा . . .	+173	+476	+43
15. दक्षिण कोरिया	+120	+470	+355
16. फिजी	+125	+136	+109

सूती धागे पर नियंत्रण में ढील

1908. **श्री रामकंवर :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे पर नियंत्रण में ढील देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इससे कपड़ा उद्योग को कोई राहत मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) धागे की बढ़ी हुई उपलब्धता और उसके साथ ही विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए निम्नलिखित किस्मों तथा वर्गों के धागे के वितरण पर नियंत्रण में 21 जून, 1973 से उत्तरोत्तर ढील दे दी गई है :—

(1) एक तथा दो प्लाई वाला 35 काउंट तक का धागा

(2) 3 तथा अधिक प्लाई वाला सभी काउंटों का फोल्डेड धागा

(3) मिश्रित धागा

(4) मिला जुला धागा, तथा

(5) हार्ड वैस्ट

स्थिति का निरंतर पुनरावलोकन किया जाता है तथा परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित होने पर और आगे परिवर्तनों के बारे में विचार किया जायेगा। उपर्युक्त ढील से बुनकरों को धागे की मात्रा एवं उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है तथा मिलों में उपर्युक्त वर्गों तथा किस्मों के धागे के जो स्टाक जमा हो गये हैं वे निकल जायेंगे।

एशियाई देशों द्वारा पटसन के लिए संयुक्त विक्रय संवर्धन अभियान चलाना

1909. **श्री राम कंवर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया के अनेक देशों ने पटसन की बिक्री बढ़ाने के लिये संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) विक्रय संबंधी इन प्रयासों में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) उपरोक्त विक्रय संवर्धन अभियान भारतीय पटसन निर्यात में कहां तक सहायक होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीम ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) पटसन के निर्यात बढ़ाने के लिये उत्पादक तथा निर्यातक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की एक प्रस्थापना प्रारम्भिक चरण में है और संबद्ध सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहे हैं। इस अवस्था में भारतीय पटसन के निर्यात पर इस प्रकार के प्रयास के प्रभाव का आकलन करना कठिन होगा।

Financial Assistance sought by Mysore and other States for Relief Works in Drought Affected Areas

1910. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Mysore have sought an assistance of Rs. 150 crores to carry out relief works in the drought affected areas;

(b) whether other State Governments have also sought such assistance from the Central Government; and

(c) if so, the amount of assistance asked for by each State ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The requirement of funds for drought relief expenditure in 1973-74 as intimated so far and estimated from time to time by various States including Mysore is as follows :

	(Rs. in crores)
1. Andhra Pradesh	26.00
2. Bihar	11.60
3. Gujarat	47.00
4. Madhya Pradesh	6.60
5. Maharashtra	82.00
6. Manipur	0.25
7. Mysore	18.70
8. Rajasthan	32.70
9. Tripura	3.00
10. Uttar Pradesh	21.50

सरकार द्वारा चलाये गये मितव्ययता अभियान का केन्द्रीय सरकार के विभागों पर प्रभाव

1911. श्री सी० जनार्दनन :
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा चलाये गये मितव्ययता अभियान का केन्द्रीय सरकार के किन विभागों पर प्रभाव पड़ा; और

(ख) गत तीन वर्षों में मितव्ययता अभियान के परिणामस्वरूप प्रत्येक विभाग में कितनी बचत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मितव्ययता अभियान केन्द्रीय सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों पर लागू होता है और वह कुछ चुनींदा विभागों तक ही सीमित नहीं है।

(ख) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत से उपाय किये गये हैं जैसे, वेतनमानों के संशोधन पर रोक, कुछ किस्म के पदों को भरने पर आंशिक रोक, आयात की हुई मोटर गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबन्ध, यात्रा भत्तों में कमी, कर्मचारी निरीक्षण अध्ययन आदि का विस्तार और इन उपायों के पूरक रूप में योजना भिन्न पक्ष में पदों के सृजन पर रोक, आकस्मिकताओं, यात्रा भत्तों और सत्कार के लिए बजट व्यवस्था में घटौती, खाली पदों को नहीं भरना, फर्नीचर और सजावट के सामान की खरीद पर रोक, विदेशों में प्रतिनियुक्ति करने अथवा प्रतिनिधि मण्डल भेजने पर अधिक कठोर नियंत्रण आदि। इन सुझावों को दोहराते हुए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से निवेदन किया गया है कि योजना भिन्न व्यय में अत्यन्त मितव्ययिता बरतें और आयोजना संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बजट व्यवस्था की समीक्षा करें। आशय यह है कि जो योजनाएं और परियोजनाएं अनिवार्य हैं और लगभग पूरा होने की स्थिति में हैं, केवल उन्हीं को प्राथमिकता दी जाय, और अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में पूरी होने वाली योजनाओं की गति को धीमा कर दिया जाय जिससे उपलब्ध निधियों से अल्प अवधि में अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सकें। प्रत्येक विभाग में मितव्ययिता अभियान के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें रुपये पैसे में गिनना संभव नहीं है, परन्तु मितव्ययिता के निमित अपनाये गये विभिन्न उपायों के कारण प्रशासनिक व्यय की वृद्धि को सीमित रखना संभव हो सका है, सिवाय उस सीमा तक जो वेतन वृद्धियों आदि के कारण सामान्य वृद्धियों अथवा पुलिस संगठनों के कारण और अन्य सरकारी क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण आवश्यक है।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की मात्रा

1912. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी माध्यम से आयात की वस्तुओं में वृद्धि सम्बन्धी उपायों के बावजूद इन वर्षों में वार्षिक आयात में सरकार के हिस्से में कोई विषेश वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में कुल वार्षिक आयात में सरकार का वास्तव में कितना हिस्सा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आयातों में सरकार का हिस्सा पूर्णतः मार्गीकृत आयातों पर निर्भर नहीं करता है। सरकार के हिस्से की प्रतिशतता कुल आयातों पर तथा सरकारी खाते में किए जाने वाले अन्य वस्तुओं के आयातों पर निर्भर करती है और जिसका प्रमुख कुल आयातों में सरकार के हिस्से पर पड़ सकता है।

(ग) वर्त्तमान संकेतों के आधार पर, आयात व्यापार में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 70% से 75% तक होगा। परन्तु, इस सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और ये मोटे तौर पर समग्र अनुमान हैं।

Foreign Exchange earned by Indian Air Companies Engaged in Overseas Flight

1913. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the amount of foreign exchange earned by the Indian Air Companies engaged in overseas flights during the last two years, Company-wise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The gross foreign exchange earned by Indian Airlines and Air-India (including Air-India Charters Ltd.) during the year 1971-72 and 1972-73 is as under :—

Year	Indian Airlines	Air-India (Rupees in Crores)
1971-72	8.90	34.19
1972-73 (Provisional figures)	10.20	53.79

जीवन बीमा निगम द्वारा सैनिक कर्मचारी के बारे में युद्ध जोखिम उठाने से इंकार करना

1914. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम सैनिक कर्मचारियों के युद्ध जोखिम को ध्यान में नहीं रखता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम सैनिक कर्मचारियों का शांति तथा युद्ध, दोनों अवस्थाओं का बीमा करता है। जीवन बीमा निगम सैनिक कर्मचारियों का शांति काल में सामान्य दरों पर अप्रतिबंधित जीवन बीमा करता है। परन्तु जिन सैनिक कर्मचारियों के मामले में विशेष संकट निहित रहते हैं, उनके मामले में प्रीमियम की उपयुक्त अतिरिक्त दरों पर बीमा किया जाता है। युद्ध काल में भी, सरकार द्वारा जारी सांविधिक निदेश के अनुपालन में, जीवन बीमा निगम सैनिक कर्मचारियों को युद्ध जोखिम की पालिसियां शांतिकालीन शर्तों पर जारी करता है, जिसमें केवल यह शर्त है कि जीवन बीमा की सभी पालिसियों के अन्तर्गत बीमा की कुल रकम

निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत रहती है :—

ओहदा	बीमा की कुल रकम (रु०)
गैर कमीशन अधिकारी अथवा उससे नीचे	15,000
गैर कमीशन अधिकारी से उच्चतर लेकिन सेना के कप्तान से उच्चतर नहीं	25,000
सेना में कप्तान से उच्चतर	50,000

टिप्पणी :—उपर्युक्त ओहदों में अन्य रक्षा सेवाओं के समतुल्य ओहदे भी शामिल हैं।

सरकार के निदेश में यह उपबन्ध भी है कि बीमा करने में होने वाली अतिरिक्त लागत को 3:1 के अनुपात में सरकार तथा निगम वहन करेंगे।

भारतीय पटसन निगम के माध्यम से मिलों को पटसन की सप्लाई

1915. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम के माध्यम से मिलों को पटसन सप्लाई करने का निर्णय किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : ऐसा विचार है कि कुछ ही वर्षों में भारतीय पटसन निगम, कच्चे पटसन का संपूर्ण व्यापार उत्तरोत्तर अपने हाथ में ले लेगा। फिर भी यह बताना सम्भव नहीं है कि इस प्रकार व्यापार को हाथ में लेना कितनी अवधि में संभव हो सकेगा। भारतीय पटसन निगम मुख्य/गौण बाजारों से कच्ची पटसन प्राप्त करेगा ताकि उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित हो सकें। उद्योग को निर्बाध सप्लाईयां सुनिश्चित करने की दृष्टि से वह कच्चे माल का बफर स्टाक भी बनाएगा।

Benefit to Workers After Nationalisation of Distribution of Yarn

1916. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state the broad outlines of the benefits that have accrued to powerloom and handloom workers and the increase in loom production registered after the takeover of distribution of yarn by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Due to powercuts imposed by several States, output of yarn fell considerably below the normal requirements of the decentralised sector. A Statutory Control over pattern of production, prices and distribution of Cotton Yarn was imposed on 13th March, 1973, with a view to making yarn available at a uniform rate to decentralised sector in spite of the fall in production. As regards increase in loom production registered after takeover of distribution of yarn, Government do not have any information.

Economic Hardships faced by Government/Non-Government Employees in fixed income Group

1917. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the great economic hardships which the Government and non-Government employees in the fixed income group have been facing for the last few months in making both ends meet;

(b) whether it is proposed to take some immediate steps to provide some relief to them; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The Government is aware of the rise in prices in recent months and is concerned about the likely adverse effects on the fixed income groups. The Government has adopted several measures which are aimed at curbing the inflationary pressures in the economy, as also mitigating the hardships to which people have been put. Credit controls have been further tightened with effect from May 30, 1973 while increased market borrowings are intended to siphon off excess liquidity in the economy. Government is also examining the scope for curbing public expenditure. Major foodgrains are being supplied through a network of fair price/ration shops at subsidised prices which have been generally kept unchanged for the last three/four years. Some other essential articles of consumption, such as sugar, vanaspati, certain varieties of cotton cloth and kerosene are also being made available at controlled prices. The Central Government has recently sanctioned provisionally to Central Government employees drawing pay upto Rs. 575 per month additional dearness allowance pending decision on the recommendations of the Third Pay Commission. Employees of Industrial Undertakings are generally governed by wage agreements/awards in the matter of their emoluments. These agreements/awards often provide for revision of emoluments taking into account change in consumer price index.

Yarn Supplied to Handloom and Powerloom in various States

1918. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the types and quantity of yarn supplied to handlooms and powerlooms in various States in January, February and March, 1973, separately;

(b) the quantity thereof supplied last month; and

(c) the present position in regard to the yarn production and stock in various mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) The allocations of yarn to various States have been made only with effect from 13th March, 1973, i.e., the date on which yarn Control Scheme was introduced. The yarn is allocated in hanks and weaving cones, and allocations are made quarter-wise, and not month-wise. A statement showing the quantities allotted to the various States & Union Territories during the 2nd half of March and the quarter April-June, 1973 is attached. [Placed in the Library. See NULT—5302/73]

(c) The position of yarn production has improved with the restoration of power cuts in various States. The production during June, 1973, is estimated at 73.5 million kgs. and stocks with mills, as on 15th June, 1973, were 28.8 million kgs.

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों का करों का भुगतान करने का दायित्व

1919. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस के कुछ अधिकारी जो विशेष भत्ता पा रहे हैं, कर भुगतान करने के क्षेत्र में नहीं आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के ऐसे सभी अधिकारी कर जात के अन्तर्गत आते हैं जिनकी आय आयकर के लिए अप्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक है। इनमें से कुछ अधिकारियों को विशेष भत्ते मिलते हैं और इन भत्तों पर आयकर लगता है सिवाय तब जबकि ये भत्ते उनके ड्यूटी पालन करने में पूर्णतः अनिवार्यतः और एकमात्र रूप से व्यय करने के लिए खासतौर से स्वीकार किए गए हों और यह रकम वास्तव में खर्च की गयी हो।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1920. **श्री आर० के० सिन्हा:** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में वर्ष 1972-73 के दौरान और वर्ष 1973-74 में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाए खोली गयी हैं;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि में देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाए खोली गयी हैं और उनमें से कितनी शाखाएं नागरिक क्षेत्रों में खोली गयी और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी; और

(ग) उपरोक्त अवधि में विभिन्न वर्गों के लोगों से प्राप्त ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये और कितने आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) वर्ष 1972 और 1973 के पहले छः महीनों के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में योजना आयोग द्वारा बताये गये औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में क्रमशः 74 और 16 कार्यालय खोले गये।

(ख) देश में उपर्युक्त (क) में बतायी गयी अवधि के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या क्रमशः 899 और 293 थी। इन शाखाओं के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या का समूहों के अनुसार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :—

	1972	1-1-73 से 30-6-73 तक
ग्रामीण . .	453	109
अर्ध-शहरी . . .	152	59
शहरी . . .	119	58
महानगरीय	175	67

(ग) बैंकों की वर्तमान सूचना प्रणाली के अनुसार स्वीकृत की गयी तथा बकाया आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है।

रुई उत्पादक देशों मिस्र और सूडान के साथ व्यापार सम्बन्धों में भुगतान संकट

1921. **श्री मधु लिमये:**
श्री हरिकिशोर सिंह:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई का उत्पादन करने वाले देशों मिस्र और सूडान के साथ व्यापार सम्बन्धों में भुगतान का संकट आ गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने घाटे का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का विचार परस्पर लाभ के लिए इन देशों के साथ रुई के आयात के बारे में (निश्चित मूल्यों के साथ) एक दीर्घकालीन करार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन देशों के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धी संकट को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) भारत तथा सूडान के बीच व्यापार व्यवस्था में भुगतानों की समस्या है। मिस्र के साथ हमारे सम्बन्धों में कोई समस्या नहीं है।

(ख) इस समय भारत-सूडान व्यापार में अनुमानित घाटा 1 करोड़ पौण्ड के आसपास है।

(ग) रुई एक कृषिगत वस्तु है तथा कीमतें प्रत्येक वर्ष काफी भिन्न होती ह और इसलिये कीमतों के बारे में कोई दीर्घावधि करार करना शायद व्यवहारिक नहीं हो सकेगा।

(घ) एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही सूडानियों से मिलने वाला है ताकि भारत-सूडान व्यापार सम्बन्धों में संकट समाप्त करने वाले मार्गोपायों पर बातचीत की जा सके।

मारुति लिमिटेड के बड़े अंशधारियों के विरुद्ध करापवंचन अथवा करों के अदा न किए जाने के अनिर्णित मामले

1922. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड में 10,000 रुपए या इससे अधिक निवेश करने वाले उन प्रमुख अंशधारियों तथा निदेशकों आदि अंशधारी निगमित निकाय के रूप में हैं, की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध निगम कर, व्यक्तिगत आयकर धन-कर तथा उत्पाद शुल्क के अपवंचन अथवा गैर अदायगी के मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

चीथड़ों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

1923. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीथड़ों के आयात पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा तथा मूल्य का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ग) उक्त आयात किस एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि उन रद्दी कम्बलों का निर्यात भी वस्तुतः होना है जिनके लिए इन चीथड़ों का आयात किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चीथड़ों का आयात स्थगित नहीं किया गया था। तथापि, मार्गीकृत अभिकरण के रूप में राज्य व्यापार निगम को चीथड़ों का आयात करने के लिए प्रक्रिया का पुर्नविलोकन करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि चीथड़ों की ओट में पहनने के परिधानों का आयात करके तथा बाद में उन्हें बेचने की गड़बड़ी दुबारा न हो।

(ख) ऊन वर्ष अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 के लिए शोडी क्षेत्र के लिए नियत 1.80 करोड़ रुपये के वास्तविक प्रयोक्ता कोटे में से राज्य व्यापार निगम को निर्यातकों की प्रतिपूर्ति अधिकारिता के आधार आयातों तथा वर्ष 1971-72 के लिए वास्तविक प्रयोक्ता कोटे के अप्रयुक्त, भाग के अलावा ऊनी चीथड़ों के आयात के लिए 1.00 करोड़ रूपये तक क्रयादेश बुक करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) ऊनी चीथड़ों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है।

(घ) साधारणतया पंजीकृत आयातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की एक मद के रूप में ऊनी चीथड़ों का आयात केवल पहले से किये गये आयातों के आधार पर ही अनुमेय है। तथापि जहां पुख्ता निर्यात आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जाता है वहां आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात विधिवत किये जायें पार्टी से आवश्यक बांड ले लेते हैं।

राष्ट्रीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति लिमिटेड के शेयरधारियों को दिये गये ऋण

1924. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड के 10,000 रुपये या इससे अधिक निवेश करने वाले कितने शेयरधारियों और उसके निदेशकों यदि शेयरधारी निगमित निकायों के रूप में हैं, को सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा स्टेट बैंक सहित 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण तथा स्थान दिये गये हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि का ऋण आदि दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यतः लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित औद्योगिक कम्पनियों को ऋण देती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा शेयरधारियों को जो निगमित निकाय हैं और जिन्होंने मारुति लिमिटेड में 10,000 रुपये या इससे अधिक रकम का निवेश किया है को मंजूर और अदा की गई वित्तीय सहायता का व्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

औद्योगिक कम्पनी का नाम		मंजूर की गई और अदा की गयी वित्तीय सहायता				
		भारतीय औद्योगिक विकास बैंक		भारतीय औद्योगिक वित्त निगम		भारतीय यूनिट ट्रस्ट
		मंजूर की गई रकम	अदा की गई रकम	मंजूर की गई रकम	अदा की गई रकम	शेयरों में निवेश
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड*	4.44	4.44	—	—	—
2.	फिल्टरोना इंडिया लि०	*4.00	4.00	—	—	—
3.	रेनबो स्टील्स लि०	*16.00	15.95	—	—	—
4.	भारत स्टील ट्यूब्स लि०	**2.77	2.34	†187.67	184.54	8.51
5.	आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० . . .	—	‡	—191.14	183.68	0.64
6.	मोहन मेकिन ब्रेवरीज .	—		—	—	0.34
7.	निर्लोन सिन्थेटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स . .	—	—	—	—	5.50
8.	पीरामल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स . . .	**77.70	64.80	—	—	—

*पुर्नवित्त सहायता।

**पुनर्वट्टा सहायता।

†1963 में मंजूर की गई रकम।

‡इसमें हिन्द ओटो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जो बाद में ओटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड में मिल गई थी, को 1963 से 1965 के दौरान मंजूर की गई 32.35 लाख रुपये की रकम शामिल है। शेष रकम में से 9.98 लाख रुपये की मंजूरी जनवरी, 1972 में और शेष रकम की मंजूरी 1955 से 1968 के दौरान की गयी थी।

टिप्पणी :—औद्योगिक वित्त निगम के मामले में वित्तीय सहायता में रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और गारण्टी शामिल है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में ऐसी ही सूचना इकट्ठी की जा रही है और जिस सीमा तक उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया ग्रौर इसके सहायक बैंकों द्वारा सहायता दिये जाने का सम्बन्ध है, बैंकों में प्रचलित कानून ग्रौर प्रथा के ग्रनुसार इन बैंकों द्वारा ग्रपने ग्रलग-ग्रलग खातेदारों के साथ लेनदेन के सम्बन्ध में सूचना देना संभव नहीं है।

इण्डियन एयरलाइन्स की बरास्ता वर्मा ग्रन्दमान को उड़ानें

1925. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बर्मा करार का नवीकरण न होने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की बरास्ता बर्मा ग्रन्दमान को उड़ान कुछ समय से स्थगित कर दी गई है ;

(ख) क्या ग्रब उक्त उड़ानें पुनः शुरू कर दी गई हैं ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो वर्मा के साथ देश भर से उड़ानों सम्बन्धी करार किस ग्राधार पर नवीकृत किया गया है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) ग्रौर (ख) इण्डियन एयरलाइस की कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक (रंगून में तकनीकी विराम सहित) की उड़ानें 2 से 16 मई, 1973 तक वर्मा के प्राधिकारियों से क्लीयरेंस मिलने तक निलंम्बित रहीं। उसके बाद वे बिना तकनीकी विराम के पुनः प्रारंभ कर दी गयीं।

(ग) ग्रन्तरसरकारी विचार-विमर्श इस वर्ष मई में हुए थे जिनमें भारत तथा बर्मा के शिष्ट-मंडलों की एक विमान परिवहन करार एवं उस के ग्रनुबध के पाठ पर महमति हो गयी तथा उन्होंने उन पर ग्राद्यक्षर कर दिए। सहमत हुए समझौतों में ग्रोवर-फ्लाइटों के सबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि एयर इंडिया बर्मा के भू-भाग के ऊपर से प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह 9 सेवाग्रों की उड़ान कर सकती है। इसी परस्पर ग्राधार पर, बर्मा एयरवेज कारपोरेशन की भारतीय भू-भाग के ऊपर से प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह 9 सेवाग्रों की उड़ान कर सकती है। इंडियन एयरलाइंस भी ग्रपनी पोर्ट ब्लेयर की सेवाग्रो के संबंध में प्रत्येक दिशा में सप्ताह में तीन बार गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रंगून में तकनीकी ग्रवतरण कर सकते हैं।

भारत से हांग कांग को बसों का निर्यात

1926. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांग कांग ने भारत से बसों का ग्रायात करने का निर्णय किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो हांग कांग कितनी बसें ग्रायात करेगा ग्रौर इससे हमें कितनी विदेशी मुद्रा की ग्राय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक भारतीय फर्म को पूरी तरह से तैयार एक प्रोटोटाइप डबल डैकर बस हांग कांग को सप्लाई करने के लिए एक सविदा प्राप्त हुई है। हांग कांग को बसों की बाद में बिक्री का प्रश्न हांग कांग में किये जाने वाले परी-क्षणो के दौरान प्रोटो टाइप के कार्य निष्पादन तथा सम्बद्ध पक्षों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा।

सौराष्ट्र में तस्करों की गिरफ्तारी

1927. **श्री वेकरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्ष 1972-73 में कितने तस्कर गिरफ्तार किये गए ;

(ख) उनसे कितनी राशि का चोरी-छिपे लाया गया सामान बरामद किया गया ; और

(ग) बरामद किया गया उक्त तस्कृत सामान किस प्रकार का था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) वर्ष 1972-73 के दौरान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में 44 तस्कर-व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे। तस्कर-व्यापारियों से लगभग 56 लाख रुपये के मूल्य का विदेशी मार्के का सोना, संश्लिष्ट वस्त्र, धातु के धागे, भारतीय मुद्रा, कासेट्स टेप (cassettes tape) दूरदर्शन सेट, टेप रिकार्डर, टेली कम्प्यूटर, श्रंगार सामग्री, ब्लेड, दूरभाष, संगमक मशीनें, घड़ियां, रेडियो, ट्रांजिस्टर-कम-टेपरिकार्डर, नायलोन की रस्सी, मछली पकड़ने के नायलोन के जाले तथा विविध वस्तुएं पकड़ी गयी थीं।

गुजरात में तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही

1928. **श्री वेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विशेष रूप से गुजरात राज्य में तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) देश में तस्कर आयात किये गये और देश से बाहर तस्कर निर्यात किये गये माल के मूल्य की रकम बताना संभव नहीं है यद्यपि यह कहना संभव नहीं है कि गुजरात राज्य में तस्कर व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तथापि सम्पूर्ण पश्चिमी तट तस्कर व्यापार संबंधी कार्यवाहियों का सक्रिय केन्द्र बना हुआ है । लेकिन सोने का तस्कर व्यापार, जो सम्पूर्ण तस्कर-व्यापार का एक बड़ा भाग था, विदेशों में सोने के मूल्य में असामान्य वृद्धि के कारण हाल ही में बन्द हो गया है। दूसरी तरफ, संश्लिष्ट वस्त्रों का तस्कर-व्यापार बढ़ गया है।

(ख) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों तथा हवाई जहाजों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्र-तट पथा भू-सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। प्रभावी ढंग से मार्ग अवरुद्ध करने, रोकने आदि के लिए समय-समय अतिरिक्त लांचों तथा गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य की निगरानी के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता, तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ट अधिकारियों की तैनाती कर दी

गई है । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनको रोके रखने के कार्य को सुविधा-जनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

तस्कर व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने और समुद्र में तेज रफ्तार से चलने वाले जलयानों को प्राप्त करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिए कठोर सजा की व्यवस्था करने की दृष्टि से सीमाशुल्क अधिनियम के संगत उपबन्धों में संशोधन करने के निमित्त लोक सभा में एक विधेयक पेश कर दिया गया है ।

गुजरात राज्य में विशेष रूप से तस्कर-व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) 1 अप्रैल, 1971 से अहमदाबाद में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक पृथक समाहर्ता-कार्यालय बना दिया गया है।

(2) तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य के लिए और अधिक सीमाशुल्क प्रभाग कायम किये गये हैं, जिनके मुख्य अधिकारी सहायक समाहर्ता होंगे।

Foreign Exchange earnings by the Public and Private Sector Industries

1929. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by the public sector industries during each of the last three years;

(b) the amount of foreign exchange earned by the private sector industries during these years; and

(c) the measures taken by Government to minimise this difference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is possible.

Raw Materials imported by S.T.C. for Small Scale Industries

1930. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the raw material imported by the State Trading Corporation for small scale industries indicating the names of the countries during the last three years;

(b) the rate at which the imported raw materials were provided to the small scale industries; and

(c) the percentage of profit earned by the State Trading Corporation as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is possible.

मज़ूरी-पुनरीक्षण के बारे में सभी मंत्रालयों को गोपनीय पत्र का भेजा जाना

1931. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अन्य सभी मंत्रालयों को इस आशय का कोई गोपनीय पत्र परिचालित किया है कि मजूरी-पुनरीक्षण सम्बन्धी सभी निर्णयों को अगले वर्ष तक के लिए रोक लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो ऐसा पत्र भेजने का क्या उद्देश्य था ;

(ग) क्या इस पत्र के बारे में श्रम मंत्रालय से परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उस मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) जी नहीं। ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें अन्य मंत्रालयों को यह कहा गया हो कि वे मजूरी में पुनरीक्षण करने की किसी मांग को अगले वर्ष तक रोक रखें।

फिर भी, अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले स्फीतिकारी दबाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में सामान्य मजूरी का पुनरीक्षण करने के सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। किन्तु इस निर्णय के अनुसार सरकार की स्वीकृति से मजूरी बढ़ाने की मनाही नहीं है और वस्तुतः सरकार ने कई मामलों में इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान भी की है तथा इस प्रकार के निर्णय लेने में श्रम मंत्रालय का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया है।

"हांग कांग में भी राज्य व्यापार निगम की अनियमिततायें" सम्बन्धी शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1932. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1973 के 'इकोनोमिक्स टाइम्स' में "एस०टी०सी० मैस इन हांग कांग टू" (हांग कांग में भी राज्य व्यापार निगम की अनियमिततायें) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम (सुदूर पूर्व) हांग कांग का पुनर्गठन करने तथा इसके कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय किए गए है। स्थिति सुधारने की दृष्टि से इसके कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विभिन्न हवाई अड्डों, पर रेडियो तकनीशियनों तथा तकनीकी सहायकों के काम की शर्तें

1933. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो तकनीशियनों तथा तकनीकी सहायकों ने, जो कि विभिन्न हवाई अड्डों पर संचार तथा विमानों के भूमि पर उतरने संबंधी उपकरण रख-रखाव तथा मरम्मत आदि का विभिन्न

प्रकार का कार्य करते हैं, अपनी निन्दनीय कार्य-शर्तों तथा अपर्याप्त वेतन-ढांचे के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कार्य विषयक परिस्थितियों के संबंध में शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है तथा जहां संभव होता है उपचारी कार्यवाही की जाती है । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में वेतन-मान (सेलरी-स्ट्रक्चर) संबंधी प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है ।

भावनगर में बैंक आफ बड़ौदा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1935. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर में राष्ट्रीयकृत बैंक आफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों की कर्मचारी संघ विरोधी तथा शोषण की कथित नीति के विरोध में जून, 1973 में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या उनके द्वारा लगाए गये आरोपों की सरकार द्वारा जांच की गयी है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने तथा भविष्य में बैंक में हड़तालों से बचने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भावनगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा के पंचाट (अवार्ड) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचरियों ने जून 1973 में कुछ दिन के लिए काम करना बन्द कर दिया था। बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि भावनगर में कोई स्थानीय विवाद निपटारे के लिए नहीं है, परन्तु भावनगर में तथा बैंक आफ बड़ौदा की दूसरे स्थानों की कुछ शाखाओं में जो आन्दोलन हुआ था उसका कारण अखिल भारतीय कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से सम्बद्ध अखिल भारतीय बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारी समन्वय समिति के बीच प्रतिस्पर्धा का होना था ।

विमानों की कमी के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में बाधा

1936. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों की कमी के कारण 8 जुलाई, 1973 से विमान-सेवाओं को आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप किन-किन भागों पर प्रभाव पड़ा है और इंडियन एयरलाइंस को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) विमान-सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) (I) निम्नलिखित सेवाएं रद्द कर दी गई हैं :—

(1) बम्बई-भावनगर -बम्बई की दैनिक एच० एस-748 सेवा ;

(2) बम्बई-बेलगांव-बम्बई की दैनिक एच० एस-748 सेवा ;

(3) बम्बई-बंगलौर-बम्बई की दैनिक एच० एस-748 सेवा ;

(4) कलकत्ता-बागडोगरा -पटना की सप्ताह में तीन बार की कारवेल सेवा ;

(5) कलकत्ता-काठमाण्डू-कलकत्ता की सप्ताह में तीन बार की बोइंग 737 सेवा;

(6) कलकत्ता-मद्रास-कलकत्ता की सप्ताह में तीन बार की कारवेल सेवा ;

(7) कलकत्ता-बम्बई-कलकत्ता की दैनिक कारवेल सेवा ;

(8) कलकत्ता-सिलचर-इम्फाल-दीमापुर की सप्ताह में तीन बार की एफ-27 सेवा ;

(9) कलकत्ता-भुबनेश्वर-कलकत्ता की दैनिक एफ-27 सेवा ;

(10) दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद की दैनिक कारवेल सेवा ;

(11) दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली बोइंग/कारवेल दैनिक सेवा ;

(12) दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली की सप्ताह में एक बार की वाइकाउंट सेवा ;

(13) मद्रास-तिरुपति-हैदराबाद की दैनिक एच०एम-748 सेवा ;

(14) मद्रास-हैदराबाद-मद्रास की दैनिक एच० एस-748 सेवा ।

(II) निम्नलिखित मार्गों पर यथा निर्देशित रूप से आवृत्तियों में कमी कर दी गई है :—

(1) कलकत्ता-मोहनबाड़ी-कलकत्ता आवृत्ति को सप्ताह में 7 से घटाकर 5 कर दिया गया ;

(2) दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली आवृत्ति को सप्ताह में 7 से घटाकर 3 कर दिया गया ;

(3) दिल्ली-आगरा-जयपुर आवृत्ति को सप्ताह में 7 से घटाकर 4 कर दिया गया ;

(4) सीधे मद्रास-कोचीन-मद्रास तथा मद्रास-कोयम्बटूर-मद्रास को मिला कर मद्रास-कोयम्बटूर-कोचीन के रूप में परिचालित किया जाना ;

(5) मद्रास-बंगलोर-कोयम्बटूर-कोचीन को मद्रास-बंगलोर-मद्रास दैनिक के रूप में परिचालित किया जाना ;

(6) बंगलोर-कोचीन-बंगलोर सैक्टर को बम्बई-कोचीन-बम्बई सेवा की एक्सटेशन के रूप में परिचालित किया जाना।

विमान धारिता की हानि के आधार पर प्रति मास लगभग 80 लाख रुपये तक के राजस्व की हानि होने की आशंका है ।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि 3 कारवेल विमान 18 मास की अवधि के लिए "ड्राई लीज" पर प्राप्त किये जाएं। आशा है कि इनका परिचालन अक्तूबर और नवम्बर, 1973 से प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इन विमानों के प्राप्त होने तथा परिचालन में लग जाने पर उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट हानी में काफी कमी आ जायेगी ।

सामान्य बीमा निगम द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का पेश किया जाना

1937. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वी० मायावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम अपने कार्यकरण तथा प्रशासन के बारे में एक वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को पेश करेगा;

(ख) यदि हां, तो पहले प्रतिवेदन के कब तक पेश किए जाने की आशा है ; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन पर लोक सभा में विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के बाद भारत के विविध बीमा निगम के कार्य तथा स्थिति की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1973 के लिए होगी। यह रिपोर्ट 1974 में उपलब्ध होगी और कम्पनी अधिनियम 1956 में यथा अपेक्षित इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा।

1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शत्रु सम्पत्ति के लिए प्रतिकर

1938. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान के निष्क्रात व्यक्तियों को, शत्रु सम्पत्ति घोषित की गई सम्पत्ति के लिए अब तक कुल कितना मुआवजा दिया गया है ;

(ख) भूतपूर्व पाकिस्तान के दो भागों के ऐसे आवेदन पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है जो विचार के लिए अभी पड़े हुए हैं;

(ग) (1) पश्चिम पाकिस्तान तथा (2) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के उन निष्क्रांत व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको मुआवजा मिल चुका है ;

(घ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के उन निष्क्रांत व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 25 हजार से अधिक मुआवजा मिला है ; और

(ङ) पाकिस्तान के निष्काषितों के सभी, आवेदन पत्रों पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अब तक 2,40,34,325.36 रुपये की राशि अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में दी जा चुकी है।

(ख) अभी तक दावों संबंधी 5,200 आवेदन पत्र ऐसे पड़े है जिन पर विचार किया जाना बाकी है, उन में से 80 प्रतिशत भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से तथा 20 प्रतिशत पश्चिम पाकिस्तान से संबंधित है ।

(ग) उन 111 तथा 413 भारतीय राष्ट्रिकों/कंम्पनियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान मिले हैं जिनकी आस्तियां क्रमशः भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान तथा संपूर्ण पूर्वी पाकिस्तान में जब्त करली गई थीं।

(घ) 13 दावेदारों, जिनकी सम्पत्ति भूतपूर्व पूर्वी पास्कितान में जब्त कर ली गई थी, में से प्रत्येक को 25,000 से अधिक रुपये मिले।

(ङ) यथासंभव विचाराधीन दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संगठनों के मुख्यालयों के स्थान

1939. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संगठनों के मुख्यालय अधिकांश रूप में बम्बई में स्थित हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) बम्बई स्थित ऐसे कार्यालय कौन से हैं ;

(ग) क्या किसी ऐसे संगठन के मुख्यालय पूर्वी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमे के मुख्यालय को कलकत्ता में रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां। इनमें से बहुत से वित्तीय संस्थानों के अपने विधान हैं और इन संस्थानों के मुख्यालय अपने-अपने विधानों में इंगित स्थानों पर स्थित हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक सुविभा मार्गदर्शक क्षेत्र है।

(ख) (1) भारतीय रिजर्व बैंक
(2) भारतीय स्टेट बैंक
(3) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
(4) बैंक आफ इंडिया
(5) बैंक आफ बड़ौदा
(6) देना बैंक
(7) यूनियन बैंक आफ इण्डिया
(8) जीवन बीमा निगम
(9) कृषि पुर्नवित्त निगम
(10) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
(11) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया
(12) भारतीय जीवन बीमा निगम
(13) भारतीय सामान्य बीमा निगम

(ग) जी, नहीं। ये संस्थान जहां आवश्यक हो क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय खोलते हैं।

(घ) जी, नहीं।

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा राशियां एवं उनके द्वारा दिये गये ऋण

1940. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियां कितनी हैं ;

(ख) ऐसे बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में दिये गये ऋणों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें सुनी गयी हैं कि पूर्वी क्षेत्र में दिये गये ऋण जमा राशियों से बहुत कम हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमों और उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–5303/73]

(ग) और (घ) जी, हां, सरकार देश के विकासाधीन क्षेत्रों में जिनमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं ऋणों के उपयोग के निम्न स्तर से चिन्तित हैं। कुल मिला कर किसी क्षेत्र में ऋणों के उपयोग को अधिकतर आर्थिक क्रियाकलाप के सामान्य स्तर, उद्योगीकरण की मात्रा और संचार, बिजली आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं से जोड़ा जाता है। तथापि, बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों विशेषत: इन अपेक्षाकृत कम बैंकों वाले इन क्षेत्रों में ऋण की मात्रा बढ़ाने के लिए स्वयं ही सचेष्ट प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का सम्बन्ध है, पूर्वी क्षेत्र में जून 1969 से सितम्बर 1972 की अवधि के दौरान वृद्धि की दर 265.4 प्रतिशत थी जबकि कुल मिला कर सारे देश में यह दर 145 प्रतिशत थी।

भारतीय रुई निगम द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें

1941. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पिछले दो वर्षों में भारतीय रुई निगम द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताए हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रुई निगम के कार्यों की जांच करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो निगम की त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) भारतीय रुई निगम द्वारा की गई अनियमितताओं के विषय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। तथापि आन्ध्र प्रदेश स्थित निगम के तीन रुई सेलैक्टरों तथा दो उप-प्रबंधकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, हैदराबाद एक सेलैक्टर के विरुद्ध मामले की जांच कर रहा है और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की जांच स्वयं निगम द्वारा लिखे जाने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। सभी पांचों कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 1972 में रुई निगम के कार्यकरण की जांच की और रिपोर्ट से पता चला है कि निगम का कार्य सन्तोषजनक रहा है ।

'उलगम सूत्रम बलिभान' नामक फिल्म के निर्माता को दी गई विदेशी मुद्रा

1942. **श्री सी० चित्तिबाबू : क्या वित्त** मंत्री 'उलगम सूत्रम बलिभान' के निर्माता को विदेशी मुद्रा के आवंटन के बारे में 27 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने जांच कर ली है कि आवंटित की गई विदेशी मुद्रा का उस विशिष्ट उद्देश्य के लिये ही उपयोग किया गया है जिसके लिये उसका आवंटन किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : विदेश में जा कर स्थान विशेषकर शूटिंग करने के लिए फिल्म निर्माता को दी गयी 75,000 रुपये की राशि के व्यय का ब्यौरा पार्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक को दे दिया है । प्रत्यक्षतः पार्टी द्वारा दिया गया विस्तृत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक लगता है । भारतीय रिजर्व बैंक को जो ब्यौरा दिया गया है, उसे प्रवर्तन निदेशालय के पास भेज दिया गया है।

फिल्म कलाकारों की ओर करों की बकाया राशि

1943. **श्री सी० चित्तिबाबू : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन फिल्म कलाकरों के नाम क्या हैं जिनकी और प्रत्यक्ष करों की राशि बकाया है और उनकी अपनी आय तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों अथवा फर्मों के नि रिण के बारे में 1 जुलाई, 1971 और 31 मार्च, 1972 को उनकी कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) क्या फिल्म कलाकारों ने अपनी कर दायित्व की बकाया राशि के मामले को हल करने के बारे में सरकार को कोई पेशकश की है ; और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में बकाया राशि के भुगतान के बारे में उनसे कोई समझौता किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा गया है जिसमें ऐसे फिल्मी कलाकारों के नाम दिये गये हैं जिनकी तरफ 1 जुलाई, 1971 की स्थिति के अनुसार उनकी स्वयं की आय के निर्धारण के संबंध में और उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों अथवा फर्मों के कर-निर्धारण के संबंध में प्रत्यक्ष करों की रकम बकाया पड़ी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–5304/73]

जहां तक 31 मार्च, 1972 की करों की बकाया का संबंध है, आयकर आयुक्तों के इन कार्यक्षेत्रों के संबंध में अपेक्षित सूचना शून्य है—असम, दिल्ली-I, II और III, गुजरात-I, II और III, जयपुर, कानपुर-I, और II, केरल, लखनऊ, मध्य प्रदेश, नागपुर, उड़ीसा, पटियाला-I, और II और पूना I शेष कार्यक्षेत्रों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (घ) आयकर आयुक्तों के इन कार्यक्षेत्रों के संबंध में अपेक्षित सूचना शून्य है—असम, दिल्ली-I, II और III, गुजरात I, II और III, जयपुर, कानपुर I और II, केरल, लखनऊ, मध्य प्रदेश, नागपुर, उड़ीसा, पटियाला I और II और पूना आयकर आयुक्तों के शेष कार्यक्षेत्रों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं आदि पर करों की बकाया राशि

1944. **श्री सी० चित्तीबाबू :** क्या **वित्त** मंत्री तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं आदि की ओर बकाया करों के बारे में 27 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8493 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त जानकारी के एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना शीघ्र इकट्ठी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

Construction of Low Tariff Tourist Bungalows in Madhya Pradesh during 1973-74

1945. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some low tariff tourist bungalows are being constructed at a number of places in Madhya Pradesh during 1973-74 with a view to attract tourists there; and

(b) if so, the locations thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The Department of Tourism is putting up a youth hostel at Bhopal. The State Government proposes to construct tourist bungalows at Ujjain and Khajuraho; convert an available building into a tourist bungalow near Bahndhavgarh National Park and add 10 rooms to the tourist bungalow at Gwalior. The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking has added 40 rooms to its Travellers' Lodge at Khajuraho.

Crisis in Handloom Industry of Burhanpur City of East Nimar District

1946. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the handloom and powerloom industries of Burhanpur city of East Nimar District are facing a grave crisis as a result of abnormal rise in the prices of yarn produced by some mills of Maharashtra and Madhya Pradesh which were taken over by the National Textiles Corporation; and

(b) if so, whether Government propose to reduce the prices of yarn for the said industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मण्डल के पुनर्गठन की योजना

1947. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की कोई योजना है जिस से इस के कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) एयर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल (सेवा निवृत) की इण्डियन एयरलाइंस के अध्यक्ष तथा प्रबंध-निदेशक के रूप में नियुक्ति से निदेशक मंडल में कुछ परिवर्तन होंगे ।

पूर्वी यूरोपीय देशों से इस्पात और लौह-मिश्र धातु का आयात

1948. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की ऐसे पूर्वी यूरोपीय देशों से जो रुपए में अदायगी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस्पात और लौह-मिश्र धातु का आयात करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा किन दूसरे स्रोतों से देश की आवश्यकता की पूर्ती की जायेगी : और

(ग) ऐसे आयात का क्या मूल्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) स्टील तथा लौह-मिश्र धातुओं का आयात करते समय समुचित कीमतों पर अपेक्षित क्वालिटी के माल की प्राप्यता एक निर्णायक तथ्य होता है । इन्हीं दिनों ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व यूरोपीय देशों में घरेलू माल में वृद्धि हुई है । इसके साथ ही प्राप्यता में कमी का जो इस समय इन देशों सहित विश्व भर में चल रही है, यह परिणाम हुआ है कि आयात प्रत्याशित स्तरों पर नहीं पहुंचे । परन्तु पूर्व यूरोपीय देशों के अलावा ये माल संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापान पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि से भी आयात किया जा रहा है ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों से हुए कुल आयातों और निर्यातों के मूल्य नीचे दिये गये है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल आयातों का मूल्य	पूर्व यूरोपीय देशों से आयातों का मूल्य
1970-71	147.04	26.69
1971-72	237.57	30.42

TO BE ANSWERED ON THE 3rd AUGUST 1973

Constitution and Terms of Reference of the Board of Indian Airlines

1949. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the basis on which the Board of Indian Airlines is constituted and the term of office thereof and the authority which selects the members of the said Board along with the basis of selection thereof; and

(b) the functions of the said Board, the number of its sittings held and the amount spent thereon last year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Section 4 of the Air Corporations Act, 1953, provides that the Board of Directors shall consist of a Chairman and not less than 8 and not more than 14 other Directors, all to be appointed by the Central Government. While the Act does not lay down any particular qualifications for the Chairman or Directors, in making appointments Government takes into consideration all relevant factors including experience in the aviation field, business management, industry and administration. Under Section 5, the Chairman and other Directors shall ordinarily be entitled to hold office for periods specified in the Order of appointment, unless the appointment is terminated earlier by the Central Government. As a maettr of practice, the period is normally kept at two years.

(b) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Corporation vest in the Board of Directors. During the period 1st April, 1972 to 31-3-1973, 10 meetings of the Board were held and a sum of Rs. 3,229/- was spent in connection with such Board meetings by way of TA, DA and sitting fees of the members.

Expenditure on Administration of Eleven Corporations of Commerce Ministry

1950. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the amount spent annually on administration of the eleven Corporations of his Ministry referred to on page 9 of the Annual Report for the year 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) ; The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is possible.

उड़ीसा में अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट

1951. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वित** मंत्री उडीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क क्लेक्टोरेट के बारे में 2 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के लिये अलग उत्पादन शुल्क क्लेक्टोरेट स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार ने कतिपय प्रशासनिक उपाय करने का निर्णय किया है ताकि व्यापारियों तथा उद्योगों एवं राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप-समाहर्ता के वर्तमान पद को जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, अपर समाहर्ता के पद में बदला जा रहा है और इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले मामलों के बारे में कतिपय कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा रहा है जो वर्तमान में समाहर्ता में निहित हैं। प्रवर्तमान कलकत्ता तथा उड़ीसा समाहर्ता-कार्यालय के उड़ीसा एकक को राज्य में सभी अराजपत्रित पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की भर्ती वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के प्रयोजनों के लिये क्रमबद्ध तरीके से एक अलग स्वयंपूर्ण प्रशासनिक एकक बनाया जा रहा है जिससे उड़ीसा में सभी अराजपत्रित ग्रेडों के पदों को क्रमश: उड़ीसा के लोगों में से ही भरा जायेगा और तब तक राज्य में ही कार्य करेंगे जब तक वे अराजपत्रित पदों पर बने रहेंगे।

उड़ीसा में बांसपानी से जखपुरा तक रेलवे लाइन के संचालन से हानि लाभ के बारे में पत्तनों सम्बन्धी उप दल की बैठक में लिये गये निर्णय

1952. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री बांसपानी से जखपुरा आदि तक लाइन के उपयोग संबंधी लाभ हानि के आवश्यक कागजात तैयार करने में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई प्रगति के बारे में 23 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों संबंधी उप दल की प्रस्तावित बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के निर्णय क्या हैं विशेष रूप से बांसपानी से जखपुरा रेलवे लाइन चलाने के लाभ हानि के संबंध में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) बैठक 13 जुलाई, 1973 को हुई थी और उसकी रिपोर्ट अभी आनी है ।

मिल के बने सूती कपड़े के निर्यात में कमी

1953. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मिल के बने सूती कपड़े के निर्यात में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

States having scheme of Commercial Banks to finance Primary Agricultural Credit Societies

1954. Shri Chiranjib Jha :
Shri Prabhudas Patel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country where schemes of Commercial Banks to finance the primary agricultural credit societies are in operation;

(b) the reasons for not introducing such schemes in the remaining States; and

(c) the time by which such schemes are likely to be introduced in Bihar together with the names of places where these are proposed to be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The scheme of commercial banks financing primary agricultural credit co-operative societies was initially started in 1970 on an experimental basis in Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mysore and Haryana. The scheme has been further extended now to Orissa, West Bengal, Bihar, Jammu & Kashmir and Maharashtra States. The scheme would be extended to other States in consultation with the concerned State Governments. The areas where Central Co-operative Banks are weak or defunct are selected for such experiment.

(c) In Bihar, it is intended to introduce the scheme in five SFDA areas i.e. Purnea, Motihari, National Bettish, Bihar-Barh-Fatwah and Dinapur-Masaurhi in the districts of Purnea, Champaran and Patna and two MFAL areas i.e. Ranchi-Kunti and Sasaranm-Bhabua in the districts of Ranchi and Shahabad. The selection of societies for this purpose is already in progress.

Introduction of "Kisan Bachat Patra" Scheme in Uttar Pradesh

1955. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have since received details of the proposals to introduce "Kisan Bachat Patra" from the Government of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The details of the proposed Kisan Bachat Patra Scheme were received from the Government of Uttar Pradesh. According to these proposals, these certificates are to be made available only to Kisans in denominations of Rs. 50, Rs. 100, Rs. 500 and Rs. 1000. They are to carry simple interest at the rate of 8.5% per annum, which would be payable in lump on maturity and would be free of income tax. A maximum ceiling of Rs. 10,000 upto which only these Certificates can be held was also suggested. This scheme was duly examined and it was decided not to accept the same for the following reasons :—

(i) The rate of interest of 8.5% per annum simple free of incometax was very much on the high side and was out of alignment with the existing rate structure. Generally in regard to tax free securities the rate of interest payable has been only 5% per annum.

(ii) A new Certificate namely National Savings Certificate V Series is proposed to be issued with effect from the 1st October, 1973. Under this scheme interest would be payable along with the principal at the end of the 7 year period. The amount of the interest to be paid will be taxable in the year in which the certificate is encashed. Under this scheme a sum of Rs. 100 would grow to Rs. 166 at the end of 7 years, thus giving a return of 9.4% per annum simple interest (taxable). These certificates will be available in denominations of Rs. 10, Rs. 50 and Rs. 100. This scheme would broadly cover the requirements of the farmers also.

The Government of Uttar Pradesh have been informed accordingly.

स्वेच्छा से घोषित करने की योजना के अन्तर्गत बम्बई के चलचित्र निर्माताओं द्वारा बताई गई राशियां

1956. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से 1972 के दौरान बम्बई के चलचित्र गृह स्वामियों, निर्माताओं एवं स्टूडियों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से प्रकट करने की योजना के अन्तर्गत बतलाई गई आय आदि का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी स्वेच्छा से प्रकट की गई राशियों पर कितना कर निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

1971-72 के दौरान लघु उद्योगों और वास्तविक उपभोक्ताओं को जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य में वृद्धि

1957. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में लघु उद्योगों और वास्तविक प्रयोक्ताओं को जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो 1971-72 में इन सब मामलों में कुल कितने आयात लाइसेंस जारी किए गए और इन लाइसेन्सों का कुल मूल्य क्या है ;

(ग) 1970-71 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) क्या 1970-71 से 1971-72 तक रजिस्टर्ड निर्यातकों के संपूर्ति कोटे में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान जारी किए गये आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य और दो वर्षों के बीच अन्तर दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 5305/73]

(घ) पंजीयत निर्यातकों के लिए आयात नीति इम्पोर्ट ट्रेड पालिसी (खंड 2) में दी जानी जाती है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

कोवालम बीच पर पर्यटक होटल और पर्यटक कुटीरों की व्यवस्था करने की योजना

1958. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम में कोवालम बीच पर विदेशी और देश के पर्यटकों के लिए पर्यटक होटल और कुछ पर्यटक कुटीरों की व्यवस्था करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोवालम का एक अंतराष्ट्रीय समुद्र-तटीय विहार स्थल के रूप में विकास करने संबंधी प्रायोजना के भाग के रूप में, 40 कुटीरों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है तथा वे चालू हो चुकी है। 100 कमरों के एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं ये हैं :—एक समुद्र-तटीय केन्द्र, एक योग-व-मालिश केन्द्र, एक थियेटर तथा जल क्रीड़ा कार्यक्रम (एक्वाटिक स्पोर्टस्)। पांचवीं योजना के दौरान, कोवालम का एक अंतराष्ट्रीय समुद्र-तटीय स्थल के रूप में और आगे विकास करने के कार्य को हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

Contact Lost by Ground Communication Equipment with Plane carrying Prime Minister after its Take-off from Palam Airport

1959. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Birender Singh Rao :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan Times' dated the 7th July, 1973 under the caption "when Palam lost contact with Mrs. Gandhi's plane" to the effect that a plane carrying the Prime Minister, at the time of her departure for foreign tour, could not be contacted by ground communication equipments for an hour afer its take-off from Palam airport; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the remedial measures taken in this direction ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Delhi airport was in proper contact with the Prime Minister's aircraft from the time it took off on 14th June 1973 till it landed at Bombay airport.

Amount of Loans advanced by Nationalised Banks during the last six months

1960. Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the nationalised banks during the last six months; and

(b) the percentage of the said loans given in rural and urban areas respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) Aggregate outstanding advances of Public Sector Banks increased from Rs. 4500.5 crores as at the end of December, 1972 to Rs. 5334.3 crores by the end of June, 1973.

(b) The available information which relates to scheduled commercial banks (including the Public Sector Banks) is set out below :

Scheduled Commercial Banks' outstanding advances as at the end of June, 1972

	Advances	Percentage to total
	(Rs. crores)	
Rural	190.9	3.6%
Semi-urban	682.8	12.7%
Urban	1136.9	21.2%
Metropolitan	3356.5	62.5%
	5367.1	100.0

गुजरात में तस्करी के मामलों का पता लगाया जाना

1961. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1971-72 वर्ष के दौरान तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ; और

(ग) जब्त किए गए माल का कुल मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान गुजरात राज्य में तस्कर-व्यापार के पकड़े गये मामलों की संख्या 1402 थी।

(ख) तथा (ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 95 थी और पकड़े गये माल का कुल मूल्य 194 लाख रुपये था ।

रबड़ का निर्यात

1962. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितना निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970-71 से 1972-73 के दौरान (दिसम्बर, 1972 तक) कच्चे रबड़ के निर्यात (जिसमें संश्लिष्ट तथा रिक्लेमड शामिल है)

मात्रा मे० टन में
मूल्य हजार रुपये में

क्रमांक	विवरण	1970-71		1971-72		1972-73 (दिसम्बर, 72 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	प्राकृतिक रबड़ तथा उससे मिलता जुलता प्राकृतिक गोंद						
	(1) प्राकृतिक रबड़ (हेविया) . .	3	17	नगण्य	3	3	25
	(2) लेटेक्स उत्पाद हेविया को छोड़कर (बलाटा, गटापारचा आदि)	—	—	—	—	—	—
	(3) ट्प रबड़ शीक्रेस (अनिर्मित)	—	—	—	—	2	18
	(4) अन्य . . .	8	31	2	8	—	—
	योग	11	48	2	11	5	43
2.	संश्लिष्ट रबड़ तथा रबड़ प्रतिस्थापन .	—	—	—	—	—	—
3.	रिक्लैमड रबड़ . . .	259	330	692	895	643	870
4.	अनहार्डन रबड़ की बेस्ट तथा स्क्रेप .	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	270	378	694	906	648	913

वृत्तचित्रों का आयात-निर्यात कार्य करने हेतु प्राधिकरण

1963. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृत्त चित्रों का आयात और निर्यात कार्य भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के बजाय अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1972 में स्थापित उक्त भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के पास अब कोई और कार्य न रहने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं और इसमें क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फिल्मों के आयात निर्यात का कार्य और फिल्मों के कच्चे माल के आयात तथा वितरण का कार्य वाणिज्य मंत्रालय से सूचना

तथा प्रसारण मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भारतीय चलचित्र निर्यात निगम जोकि एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, भारतीय चलचित्रों के निर्यातक के रूप में कार्य करती रहेगी। तथापि इसका नियंत्रण राज्य व्यापार निगम से सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह आशा की जाती है कि यह काम राष्ट्रीय चलचित्र नीति के निर्धारण तथा कार्यन्वयन के, जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का दायित्व है, अभिन्न अंग के रूप में अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होगा।

काष्ठ के निर्यात में वृद्धि

1964. श्री राजदेव सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 के प्रथम नौ महीनों में निर्यात किया गया 8.07 करोड़ रुपये के मूल्य का काष्ठ 1971-72 के पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए निर्यात से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को आशा है कि वृद्धि का यह अनुपात आगामी वर्षों में यदि धीरे धीरे बढ़ा नहीं तो बना तो रहेगा ; और

(घ) क्या विदेशी बाजारों में हमारे जंगलों में उपलब्ध विशेष प्रकार के काष्ठ की मांग है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वृद्धि मुख्यतः, विगत वर्ष की तुलना में 1972-73 के दौरान रोजवुड के अधिक निर्यात होने की बजह से हुई।

(ग) जी ऐसा संभव नहीं है।

(घ) भारतीय रोजवुड की विदेशी बाजारों में काफी मांग है। यह बहुत ही धीमी गति से उगने वाली लकड़ी है तथा प्लाई वुड और बीनियर उद्योगों के लिए स्वदेशी बाजार में इसकी मांग है। इसे ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात, निर्यात के लिए उपलब्ध होने वाली फालतू मात्रा के अनुसार विनियमित किया जाता है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा और अधिक बोइंग 737 की खरीद

1965. श्री राजदेव सिंह :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने अपने विमानों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी योजना के अन्तर्गत कुछ और अधिक बोइंग 737 विमान खरीदने की सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या ट्रंक मार्गों में और विमान सेवा बढ़ाने और नये मार्ग चालू करने से विमानों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो नये मार्गों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डिन एयरलाइन्स ने अपने विमान-बेड़े की धारिता में वृद्धि के प्रयोजन से विभिन्न प्रकार के विमानों पर विचार किया है और सरकार को कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्तमान विमान-बेड़े में वृद्धि के प्रस्ताव मौजूदा मांगों पर बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आयोजित (प्लान) किये गये हैं।

रंगून न रुक कर कलकत्ता से पोर्ट ब्लेअर तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

1966. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का रंगून न रुक कर कलकत्ता से पोर्ट ब्लेअर तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सीधी विमान सेवा के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 16 मई 1973 से इण्डियन एयरलाइंन की कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के लिए सभी उडाने बिना रंगून में उतरे सीधे परिचालित हो रही हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विमान तेल पर लगाये गये अतिरिक्त शुल्क के कारण कलकत्ता होकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा का महंगा संचालन

1967. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल एयर आपरेटर्स की कमेटी के एक प्रवक्ता ने हाल ही में बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विमान इंधन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के कारण भारत में किसी अन्य हवाई अड्डे या किसी अन्य स्थान के बजाए कलकत्ता होकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा का संचालन अधिक महंगा पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस राज्य में विमानन इंधन (एविएशन फ्यूल) पर लगे उच्च बिक्री कर के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स परिचालकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ ने प्रतिवेदन दिये हैं। मामला पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) सरकार की यह प्रबल इच्छा है कि कलकत्ता हवाई अड्डे का महत्व बनाए रखा जाना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को इस हवाई अड्डे से होकर जाने वाली सेवाएं बंद नहीं करनी चाहिए।

पश्चिम यूरोप में शक्तिशाली शक्तियों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में सांझी नीति

1968. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में पश्चिम यूरोप की शक्तिशाली शक्तियों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों के बीच संबंध बनाने हेतु सांझी नीति बनाने पर उनका मंत्रालय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यूरोप में एकीकरण प्रवृति से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों द्वारा समान दृष्टिकोण अपनाने तथा उनके बीच सहयोग की आवश्यकता के प्रति भारत सचेत रहा है।

अंकटाड, गाट तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे कि राष्ट्र मंडल तथा इकाफे में, भारत यूरोपीय एकीकरण प्रवृति से उत्पन्न समस्याओं का उचित तथा न्यायपूर्ण हल निकालने के लिए जोर देता रहा है।

लगभग एकदशकपूर्व बने विकासशील देशों के समूह के गठन और बैठकों में भारत अग्रणी रहा है। 1967 का अल्जियर्स चार्टर और 1971 का लीमा घोषणा पत्र इसके साक्ष्य हैं।

विकासशील देशों के बीच सहयोग के और मार्गों का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं।

वर्ष 1973-74 के लिए वस्तुवार निर्यात लक्ष्य

1969. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय वर्ष 1973-74 के लिए वस्तुवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित करते समय विदेशी व्यापार ढांचे में नवीनतम परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1973-74 के लिए 1900 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य रखा गया है परन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित लक्ष्य वष 1972-73 के दौरान ही पूरा हो गया था और अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने की ताकत सख्त आवश्यकता है अतः मंत्रालय इस समय वष 1973-74 के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्य से अपेक्षाकृत ऊंचे लक्ष्य की सम्भाव्यता के बारे में विचार कर रहा है। महत्वपूण निर्यात वस्तुओं के संबंध में भी ऐसी संभाव्यताओं पर विचार किया जा रहा है ।

18 LSS/73—9.

लक्ष्यों पर विचार करते समय व्यापारिक पैटर्न की नई घटनाओं तथा परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा।

Deteriorating Efficiency of Employees of Air India

1970. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the efficiency of the employees of Air India is deteriorating day by day;

(b) if so, whether the employees posted at the Enquiry Counter of Air India at Palam airport do not give correct information to the visitors and whether a report was lodged with the Police post at Palam airport on 9th July, 1973 regarding the wrong information given to certain people about the arrival of morning flight from Belgium on the 8th July, 1973; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government against such inefficient employees who shirk work and bring a bad name to the Air India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) No Sir, not to our knowledge.

(c) Does not arise.

Devaluation of Dollar

1971. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is a steep fall in the value of dollar in the markets of various foreign countries; and

(b) if so, its adverse effect on the Indian currency and trade ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) A statement showing the changes in external value of U.S. Dollar with nine major currencies of the world between end January, 1973 (before the devaluation of U.S. dollar on 13th February, 1973) and July 24, 1973 is enclosed.

(b) As pound Sterling has appreciated by 6.19 per cent vis-a-vis the U.S. dollar since the end of January, 1973, Indian rupee the central rate of which continues to be designated in terms of pound sterling, has also appreciated to the same extent vis-a-vis the U.S. dollar. This would lead to cheaper imports from U.S.A., in rupee terms. In respect of exports to U.S.A., which account for less than 20 per cent of our total exports, our exporters would be realising slightly less in terms of rupees. However, since the German, French, Swiss, Netherlands, Belgium, Austrian & Japanese currencies have appreciated in relation to the U.S. dollar by a much higher extent than the Indian rupee, our exporters should gain a competitive edge. The appreciation of the Indian rupee in relation to the U.S. dollar, is, thus, not likely to effect our trade interests significantly.

STATEMENT

External value of U.S. Dollar

Country	Currency	Currency units per U.S. Dollar		Percentage depreciation of U.S. dollar on July 24, 1973 over end January, 1973.
		End of January 1973	July 24, 1973	
1. United Kingdom	Pound Sterling	0.420	0.394	6.19
2. Austria	Shilling	22.87	16.96	25.84
3. Belgium	Franc	43.83	35.06	20.01
4. France	Franc	5.026	4.039	19.64
5. West Germany	Deutche Mark	3.158	2.299	27.20
6 Italy	Lira	581.80	577.80	0.69
7. Netherlands	Guildar	3.180	2.559	19.53
8. Switzerland	Franc	3.623	2.804	22.61
9. Japan	Yen	301.20	264.25	12.27

SOURCE :—(1) International Financial Statistics—I.M.F.
(2) Financial Times, London.

Quantity and value of Smuggled Goods during last five-months

1972. Shri R. V. Bade :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled goods recovered in the country during the last five months;

(b) the value of Indian currency of the goods so recovered; and

(c) the number of persons against whom action has been taken during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The quantity and value of smuggled goods seized by the Customs authorities during the period from January to May, 1973 are as follows :—

	Quantity	Value Rs. lakhs (at Indian market rate)
1. Gold	529 Kgs.	120
2. Currency		45
3. Watches	1,28,339 Nos.	121
4. Synthetic yarn		38
5. Synthetic fabrics		525
6. Silver	3,581 Kgs.	22
7. Dangerous Drugs		44
8. Vehicles & Vessels		70
9. Other articles		454

(c) 789 persons were arrested in this regard. In all such cases, departmental adjudication proceedings are started under the Customs Act for confiscation of the smuggled goods and imposition of penalties on persons concerned. In addition, prosecutions in courts of law are launched in suitable cases.

रजिस्टर्ड निर्यात गृहों द्वारा गैर-परम्परागत वस्तुओं के आयात के एवज में अधिक मूल्य पर आयात-हकदारी का क्रय

1973. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि 1970-71 और 1972 में कुछ रजिस्टर्ड निर्यात गृहों ने कुछ छोटे निर्यातकों से गैर-परम्परागत वस्तुओं के आयात के एवज में अधिक मूल्य पर आयात-हकदारी खरीदी थी ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि आयात हकदारियों परिवर्तित की गई थी उन रजिस्टर्ड निर्यात गृहों द्वारा स्टैनलैस स्टील की चादरों और पोलिस्टर रेशों का आयात किया गया था ;

(ग) क्या रजिस्टर्ड निर्यात गृहों की इन आयातों से 200 से 300 प्रतिशत तक लाभ हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गत तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया द्वारा विदेशों से खरीदे गए विमान

1974. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए विदेशों से किस प्रकार के और कितने-कितने विमान खरीदे गए; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक प्रकार के विमान के लिये कितना-कितना मूल्य दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया ने विदेशों से निम्नलिखित विमान खरीदे थे। हरेक का मूल्य उसके सामने दिखाया गया है। भुगतान कई वर्षों में किए जाएंगे :—

	विमान	संख्या	कुल लागत (करोड़ रुपयों में)
इण्डियन एयरलाइन्स . .	बोइंग-737-200-सीरीज	7	22.82
एयर इण्डिया . .	बोइंग-747	4	77.87

25 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि वाले आयकरदाता

1975. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1971-72 के अन्त तक 25 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि वाले आयकरदाताओं के नाम और पते आदि क्या हैं;

(ख) उक्त तिथि को प्रत्येक आयकरदाता के नाम बकाया की कुल कितनी राशि थी; और

(ग) बकाया को वसूल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जिन निर्धारितियों की तरफ 31-3-1972 को कर की बकाया रकमें 25 लाख रु० और उससे अधिक थी उनके बारे में अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-5306/73]

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वे सभी उपाय किये गये हैं जिनकी कानून में व्यवस्था है। इनमें ये उपाय भी शामिल हैं :—

(1) कर अदा न करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाना।

(2) निर्धारिती को देय धन की धारा 226(3) के अन्तर्गत अभिग्रहण।

(3) धारा 226(4) के अधीन न्यायालयों में धन का अभिग्रहण।

(4) धारा 226(5) के अधीन चल सम्पत्ति का आसेध और विक्रय।

(5) धारा 222 के अधीन वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना।

(6) चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/विक्रय।

(7) दीवानी जेलखाने में निर्धारिती को कैद करना।

जिन अलग मामलों में कर की 10 लाख रु० से अधिक रकम बकाया है, उनकी छानबीन और समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है जिससे कि क्षेत्र अधिकारियों का, कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

करों की बकाया की समस्या को सुलझाने और एक दृढ़ नीति निर्धारित करने की दृष्टि से, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, आयकर आयुक्तों और अधिकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इस बातचीत के परिणामतः निम्नलिखित उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का विचार है :—

(1) आयकर अधिकारी और कर-वसूली अधिकारी संवर्ग को सुदृढ़ बनाना।

(2) अशोध्य मांगों को तेज गति से बट्टे-खाते डालने के लिए एक तन्त्र तैयार करना।

(3) पहले ही अदा किये गये करों के समायोजन, भूल सुधार सम्बन्धी आवेदनों के निपटान और अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने के कार्य में तेजी लाना।

(4) अपीलीय प्राधिकारियों से उन सभी अपीलों तथा संदर्भ याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध करना जिनमें मांग में बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों।

(5) अधिकारियों की सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के सदस्य (बजट), आयकर आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं ताकि इस समस्या को और विशेषकर ऐसे मामलों में जहां मांगों में बड़ी-बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों, सुलझाने में आयकर आयुक्तों का मांगदर्शन किया जा सके।

अधिकांश विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों द्वारा विदेश भेजी गयी रकम

1976. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री अधिकांश विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों के बारे में 1 सितम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों की वर्षवार प्रदत्त पूंजी, कुल आस्तियां कारोबार और लाभ क्या रहा;

(ख) इन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत इन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी धनराशि विदेश भेजी गयी;

(ग) क्या सरकार इनमें से कुछ कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आई०एफ०सी०, आई०डी०बी०आई० तथा अन्य सावधिक (टर्म) वित्त-पोषक संस्थाओं द्वारा जमा राशि, ऋण तथा अन्य रूप में विदेशी बैंकों को दी गयी राशि

1977. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षधार आई०एफ०सी०, आई०डी०बी०आई० तथा अन्य सावधिक (टर्म) वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा जमा राशि, ऋण तथा अन्य रूप में विदेशी बैंकों को कुल कितनी राशि दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय विकास बैंक का किसी भी विदेशी बैंक के पास जमा-खाता नहीं हैं किन्तु यह विदेशी बैंकों सहित और बैंकों को निर्यात-ऋणों तथा औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित पोषण और मशीनों सम्बन्धी हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधा प्रदान करता है पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (जुलाई—जून) के दौरान विदेशी बैंकों के लिए कुल मिलाकर क्रमश: 403.13 लाख रुपये, 475.05 लाख रुपये और 433.40 लाख रुपये की सुविधाएँ प्रदान की हैं ।

अन्य वित्तीय संस्थाएँ विदेशी बैंकों सहित और बैंकों को कोई भी ऋण स्वीकार नहीं करती या किसी अन्य रूप में सहायता प्रदान नहीं करती । किन्तु वे विदेशी बैंकों में कुछ जमा रकमें रखती हैं । सम्बन्ध दिनांकों को उनकी बकाया रकमें इस प्रकार थीं :—

संस्था का नाम	1970-71	1971-72	1972-73
		लाख रुपयों में	
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (30 जून को समाप्त वर्ष) .	65.00	14.00	27.00
यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया (30 जून को समाप्त वर्ष) .	0.16	0.05	0.25
भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम (31 दिसम्बर 1970, 1971 और 1972 को समाप्त वर्ष)	23.37	15.29	14.29

भारतीय जीवन बीमा निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सम्भव सीमा तक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Lifting Control on certain varieties of yarn

1978. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have lifted control on certain varieties of yarn;

(b) if so, the total production of yarn at the time of imposing control there on; and

(c) the total production thereof at the time of lifting the control ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Control on production, distribution and prices of cotton yarn was imposed on 13th March, 1973. Control on distribution of cotton yarn upto counts 17s was lifted on 21st June, and upto counts 35s with effect from 18th July, 1973. Production of presently decontrolled varieties during February and March, 1973, was 56.94 million kgs. and 59.54 million kgs. respectively. The total production of cotton yarn during June, 1973, was 74.90 million kgs. (provisional). Countwise breakdown of varieties of cotton yarn removed from distribution control at the time of relaxation orders is not available.

भारत और बर्मा के बीच लागू व्यापार करार

1979. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बर्मा के बीच इस समय कौन-कौन से व्यापार करार लागू हैं और उनकी अवधि कितनी-कितनी हैं; और

(ख) बर्मा से निर्यात तथा आयात व्यापार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बर्मा के साथ केवल एक व्यापार करार है। यह 27 मई, 1970 से लागू हुआ था और मूलतः 31-12-1971 तक वैध था। यदि संविदाकारी पक्षकारों में से कोई एक करार को समाप्त करने के आशय को नोटिस तीन महीने पहले ही नहीं देता है तो इसके अन्तर्गत स्वतः ही करार व इसकी अवधि इक वर्ष की अवधि तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था है। इस समय यह लागू है।

बर्मा में सभी आयात/निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। म्यानमा निर्यात आयात निगम एक मुख्य सरकारी संगठन है जो बर्मा के आयात निर्यात कार्य को सम्भालता है। बर्मा में किये जाने वाले सभी आयात विश्वव्यापी निविदाकों के माध्यम से किये जाते हैं। निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं के सम्बन्ध में भारत में व्यापार प्रधार किया जाता है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी व्यापार वर्ग को इन निविदाओं में यथासम्भव अधिकतम कम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उन्हें दीर्घकालिक तथा बल्क सप्लाई प्रबन्धों की व्यवस्था करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। आस्थगित भुगतान की शर्तें बर्मा को पूंजीगत माल के निर्यात के लिए भी लागू कर दी गई है। अन्य मदों के लिए अल्पकालिक वाणिज्यिक ऋण दिये जाते हैं।

भारत, बर्मा से अपनी आवश्यकताओं और बर्मा में प्राप्यता के अधीन चावल का आयात करता रहा है बर्मा से हमारे आयातों के विधि करार की सम्भाव्यताओं का भी पता लगाया जा रहा है।

विदेश मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में एक प्रतिनिधिमण्डल बर्मा गया था जिसने बर्मा सरकार के साथ विचार-विमर्श किये जिसके अन्तर्गत सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल थे।

रबड़ का आयात

1980. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार रबड़ का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्राकृतिक रबड़ का आयात लाइसेंसिग अवधि, अप्रैल 1973 से पूर्णतः रोक दिया गया है तथा अब हम प्राकृतिक रबड़ का निर्यात कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970-71 से 1972-73 (दिसम्बर, 1972 तक) के दौरान कच्चे रबड के ग्रायात (जिसमें सश्लिष्ट तथा रिक्लेमड शामिल है):—

(मात्रा मे० टन में)

क्रमांक	विवरण	1970-71	1971-72	1972-73 (दिसम्बर, 1972 तक)
1	**प्राकृतिक रबड तथा उससे मिलता जुलता प्राकृतिक गोंद :**			
1.	प्राकृतिक रबड़ (हेविया)	1824	405	234
2.	लेटेक्स उत्पाद हेविया को छोड़कर (बलाटा गटापारचा ग्रादि)	535	548	370
3.	क्रेप रबड़ शीट्स (ग्रनिर्मित) . .	145	36	—
4.	ग्रन्य	277	126	224
	योग	2781	1115	828
2.	संश्लिष्ट रबड़ तथा रबड़ प्रतिस्थापन .	5004	5856	4335
3.	रिक्लेमड रबड़ . . .	—	—	1
4.	ग्रनसर्डन रबड़ की वेस्ट तथा स्क्रैप .	1	3	—
	कुल योग	7786	6974	5164

राज्य में सूत की कमी की समस्या का समाधान करने के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

1981. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, बिहार शरीफ, गया, भागलपुर, गिरीडीह, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी ग्रादि बिहार के क्षेत्रों के बुनकर सूत की कमी के कारण बेरोजगार का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Sick Jute Mills taken over by Government

1982. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of sick Jute mills in the country;

(b) how many of them have been taken over by Government; and

(c) the time by which Government propose to takeover the remaining sick mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) No Jute mill has been declared as sick. The affairs of 3 mills in Bihar which were not working satisfactorily in the past were looked into by a Committee of Investigation. The report of the Committee is being examined in consultation with the State Government.

महाराष्ट्र के सावंतवाडी और खेड क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता का टैंकों की सफाई के लिये उपयोग

1983. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता के भाग को महाराष्ट्र की सांवतवाडी और खेड नगरपालिका परिषदों के क्षेत्राधिकार के अन्दर टैंकों को साफ करने के लिये उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राज्य व्यापार निगम को लाभ सुनिश्चित करने के लिये कास्टर आयल के निर्यात के बारे में नीति

1984. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि विश्व मार्केट में कास्टर आयल के भाव तेजी पर हैं, उस दशा में राज्य व्यापार निगम को लाभ सुनिश्चित करने हेतु क्या कास्टर आयल के सम्बन्ध में सरकार की नीति को नया रूप देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्तमान तेजी की स्थिति में कास्टर आयल के गैर-सरकारी निर्यातकों ने अत्यधिक लाभ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा इस प्रकार कमाये गए लाभ के कारणों की जांच करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अरण्डी का तेल निर्यात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति इस उद्देश्य को सामने रख कर बनाई जाती है कि देश के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक ग्रेड के अरण्डी के तेल के निर्यात को 18 सितम्बर, 1971 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया था । औषधीय तथा हाइड्रोजनीकृत अरण्डी के तेल का निर्यात व्यापार गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा किया जाता रहा । तथापि, गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा किये गये निर्यातों में कदाचार की शिकायतें आई । अतः सरकार ने 27 अप्रैल, 1973 से औषधीय तथा हाइड्रोजनीकृत अरण्डी के तेल के निर्यात को भी राज्य व्यापार

निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया राज्य निगम द्वारा रेण्डर प्रणाली से खरीदारियां करके अरण्डी के तेल का निर्यात किया जाता है ताकि सभी व्यापारी प्रतिस्पर्द्धा कर सकें ।

आसाम फ्लाइंग क्लब को हवाई जहाज प्रदान करने के लिये उठाये गये कदम

1985. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम फ्लाइंग क्लब के पास एक हवाई जहाज नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्लब को हवाई जहाज प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) आसाम फ्लाइंग क्लब के पास दो पुष्पक तथा एक टाइगर मॉथ विमान हैं जो कि फिलहाल कार्योपयोगी नहीं हैं । एक पुष्पक विमान 9-12-1972 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया । दूसरे पुष्पक तथा टाइगर मॉथ विमान के उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र की अवधि क्रमश: 15-9-1970 तथा 27-6-1972 को समाप्त हो गयी । क्लब उन्हें उड़ाने योग्य हालत में नही लायी है ।

क्लब के अनुरोध पर, नागर विमानन महानिदेशक ने एक सरकारी पुष्पक उन्हें अलाट किया है जो कि उसे शीघ्र ही वितरित कर दिया जाएगा ।

भारत द्वारा चाय के निर्यात पर रोक लगाये जाने के विरुद्ध सूडान द्वारा रुई के निर्यात पर रोक लगाया जाना

1987. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान सरकार ने रुई के निर्यात पर उस समय तक रोक लगा दी है जब तक भारत उस देश को चाय के निर्यात पर लगाई रोक को हटा नहीं लेता है;

(ख) भारत को रुई की कुल कितनी मात्रा सप्लाई करने को सूडान सहमत हो गया था और उसमें से वास्तव में सूडान ने कितनी मात्रा में सप्लाई करने को कहा है जिसकी सप्लाई के लिए भारत ने करार कर लिया है; और

(ग) वर्तमान कठिनाई दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूडान को भारतीय निर्यातों पर लगी अस्थायी रोक को ध्यान में रखते हुए, सूडान की सरकार ने रुई इस शर्त पर रिलीज की है कि भारत से चाय रिलीज हो ।

(ख) चालू व्यापार योजना के अन्तर्गत, भारत को 240 लाख पौंड मूल्य की रुई सप्लाई करने के लिए सूडान वचनबद्ध था । आज तक, भारत केवल 25 लाख पौंड मूल्य की रुई के लिए संविदा कर सका है ।

(ग) सरकार समस्या से अवगत है और ऐसी आशा है कि सूडानियों के साथ आगामी मध्यवधि वार्ताओं के दौरान इसका समाधान हो जाएगा ।

एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बम्बई में रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया के गवर्नर को ज्ञापन का दिया जाना

1988. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया के गवर्नर को 23 जून 1973 को बम्बई में एक प्रतिनिधि मंडल से एक ज्ञापन प्राप्त हुग्रा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या मांगे की गयी हैं ;

(ग) क्या इन मांगों के बारे में गवर्नर ने कोई ग्राश्वासन दिया है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो क्या ग्राश्वासन दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि जो एक प्रतिनिधि मण्डल 23 जून 1973 को गवर्नर से मिला था, उसमें ग्रखिल भारतीय रिजर्व बैंक ग्रधीक्षक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि थे । परन्तु इस प्रतिनिधि मण्डल ने गवर्नर को कोई ज्ञापन नहीं दिया है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते ।

विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस का ग्रधिक संख्या में कैरेवल विमान खरीदने का प्रस्ताव

1989. **श्री इसहाक सम्भली** : : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विमानों की कमी के कारण ग्रौर कैरेवल विमान खरीदने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस के सेवानिवृत होने वाले ग्रध्यक्ष ने इस बारे में ग्रपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ग्रौर इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) धारिता की ग्रापाती ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए सरकार ने इण्डियन एयरलाइंस के 18 महीने की ग्रवधि के लिये 'ड्राइलीज' पर विदेशों से 3 कैरेवल विमान प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव ग्रनुमोदन कर दिया है।

प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के ग्रायकर की बकाया राशि को बट्टेखाते डालने के लिये ग्रधिकार देना

1990. **श्री नवल किशोर सिन्हा** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों को ग्रागे से ग्रायकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डालने के ग्रधिक ग्रधिकार देने का निर्णय किया है ; ग्रौर

(ख) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ग्रौर प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर की अशोध्य बकाया को बट्टे खाते डालने के मामलों में सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड को पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार देने का निर्णय किया है।

(ख) इसकी मुख्य बातें यह हैं कि भिन्न-भिन्न आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में गठित क्षेत्रीय समितियों द्वारा, जिसमें तीन आयकर आयुक्त होते हैं—इनमें से एक अपर आयकर आयुक्त हो सकता है—किसी मामले में पूरी जांच किये जाने और बट्टे खाते डालने की सिफारिश किये जाने पर, बोर्ड के अलग-अलग सदस्य उस मामले में आगे जांच करने के बाद 10 लाख रु० से 25 लाख रु० तक की अशोध्य मांग को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति दे सकते हैं। पूरा बोर्ड 25 लाख रु० से 50 लाख के बीच के मामलों में इसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य हैं।

बैंक दर में वृद्धि और उत्पादन और उत्पादिता पर पड़े उसके प्रभाव के बारे में किया गया अध्ययन

1991. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1973 से बैंक दर को बढ़ा कर 7 प्रतिशत करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उत्पादन तथा उत्पादिता पर पड़े इसके प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मुद्रा विषयक कुछ अन्य समर्थक उपायों के साथ साथ 30 मई, 1973 से बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर जो 7 प्रतिशत किया गया है उसका उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकने के प्रयास के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के बीच तथा ऋणकर्ताओं में अपेक्षाकृत अधिक कड़े वित्तीय अनुशासन को लागू किया जा सके।

(ख) और (ग) जी नहीं। 1972-73 के व्यस्त मौसम में ऋण का जो असाधारण प्रसार हुआ, वह मुद्रा उपलब्धि बढ़ाने तथा मूल्यों पर दबाव डालने का एक महत्त्वपूर्ण सहायक कारण था। रिजर्व बैंक द्वारा इन उपायो को अपनाने का उद्देश्य यह था कि वाणिज्यिक बैंक ऋण के अधार में कटौती करके उपलब्ध पूर्ति पर मुद्रा संबंधी कुल साधनों के दबाव को घटाया जाये तथा अत्यधिक ऋण सहायता से कुछ उद्योगों द्वारा वस्तुसूचियों में अत्याधिक वृद्धि करने जैसे अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए धन के लगाये जाने को, जिससे मूल्यों में वृद्धि होती है, रोका जा सके। इसलिए यह महसूस किया गया है कि इन उपायों का प्रभाव उत्पादन पर पड़ने की बजाय अवांछनीय प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर अधिक पड़ेगा।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

1992. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में और उनके द्वारा की जा रही जनता की सेवा में सुधार करने के लिये बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) विशेष रूप से समयोपरि मजूरी को कम करने, लाभ को बढ़ाने और परिचालन-लागत को कम करने संबंधी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कीं है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंकों की कार्यचालन पद्धति और कार्यप्रणाली, जिसमें ग्राहकों की सेवा भी शामिल है, के संबंध में बैंकिंग आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा की जाने वाली जांच का काम काकी आगे बढ़ चुका है। आशा है कि अधिकांश सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय बहुत जल्दी लिया जायेगा ।

मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि

1993. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान उसके गत वर्ष की तुलना में धन की सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उपरोक्त वृद्धि में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना भाग है ; और

(ग) इस वृद्धि का मुद्रा स्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गत वर्ष के स्तर की तुलना में 1972-73 में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 1147 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

(ख) बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिए गए शुद्ध ऋणों में 1291 करोड़ रुपये की और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को जिसमें सरकारी क्षेत्र के गैर-विभागीय उपक्रम शामिल है, दिये गए शुद्ध ऋणों में 36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

(ग) मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि से अर्थ व्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों के बढ़ने की आशंका है यदि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धिता बढ़ा कर प्रतिपूर्ति नहीं की जाती ।

नई बचत योजनाएं लागू करना

1994. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ नई बचत योजनाएं लागू करने का है ;

(ख) यदि हां; तो उनका सारांश क्या है ; और

(ग) वर्तमान योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा ही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार ने हाल रही में दो नयी बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(1) पहली अगस्त से एक 2 वर्षीय डाकघर सावधि जमा योजना शुरू की गई है जिस पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से कर देय ब्याज दिया जायेगा ; और

(2) पहली अक्टूबर, 1973 से 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किए जायेंगे जिनके परिपक्व होने पर मूल पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से कर देय ब्याज दिया जायेगा ।

(ग) चालू अल्प बचत प्रतिभूतियों को युक्तिसंगत बनाने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से निम्न निर्णयों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है :—

(1) पहली अप्रैल, 1973 से 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि योजना पर व्याज की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.3 प्रतिशत कर दी गई है ।

(2) पहली अक्टूबर, 1973 से 5 वर्षीय और 15 वर्षीय बढ़ने वाली सावधिक जमा योजनाएं वापस ली जा रही हैं । इसके बाद नियमित रूप से बचत करने वालों के लिये 3 योजनाएं उपलब्ध होंगी अर्थात् 5 वर्षीय आवर्तक जमा योजना, 10 वर्षीय बढ़ने वाली सावधि जमा योजना और 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि योजना ।

सूखा ग्रस्त राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

1995. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सूखा ग्रस्त राज्यों को अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है; और

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि सूखा सहायता कार्य के लिए आबंटित धनराशियों का उचित तथा पूरी तरह प्रयोग हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) राज्यों की सरकारें सहायता कार्यों के लिए निर्धारित रकमों का उचित ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त उत्तरदायी है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह यह सुनिश्चित करती है कि केन्द्रीय सहायता का जो उपयोग किया जाये उस व्यय की राशि को महालेखाकार द्वारा प्रभावित किये जाने पर ही अन्तिम रूप दिया जाये ।

विवरण

सूखा सहायता व्यय के लिए चालू वित्त वर्ष (1973-74) में दी गयी वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	ऋण	अनुदान	जोड़
1. आंध्र प्रदेश . .	4.00	3.00	7.00
2. गुजरात . .	10.00	7.75	17.75
3. महाराष्ट्र . .	35.00	15.00	50.00
4. मैसूर . .	10.00	—	10.00
5. उड़ीसा . .	0.05*	0.05*	0.10*
6. राजस्थान . .	8.00	2.00	10.00

*1972-73 में तूफान और सूखा संबंधी सहायता के व्यय की बकाया राशि ।

एकाधिकारियों द्वारा कृत्रिम कमियां पैदा करके असंतोष फैलाने का कथित प्रयास

1996. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकारियों और अन्य निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा जान-बुझकर उत्पादन में हेर-फेर करने तथा कृत्रिम कमियां पैदा करके बड़े पैमाने पर असंतोष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है ; और ।

(ख) यदि हां, तो एकाधिकारियों और निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के समाज-विरोधी कार्यों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ वस्तुओं की कमी पैदा हो गयी है, जिसका मुख्य कारण देश के अधिकांश भागों में वर्षा के न होने के परिणामस्वरूप कृषि जन्य कच्चे माल का उत्पादन कम होना और बिजली की कटौतियां किया जाना है जिसका औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है । ऐसी स्थिति में, एकाधिकारवादी और अन्य निहित स्वार्थों वाले लोगों को माल की पूर्ति को चालाकी से प्रभावित करने तथा और अधिक कृत्रिम कमी पैदा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

(ख) कमियों को घटाने और एकाधिकारवादियों को समाज-विरोधी क्रियाकलाप करने से निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं जिनमें कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनाज का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जारी किया जाना ;

(ii) आयातों और अपेक्षाकृत अधिक देशी उत्पादन के कार्यक्रमों के द्वारा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना ;

(iii) मूल्य और वितरण पर नियंत्रणों को लागू करके अत्यौवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का यथोचित मूल्यों पर समान वितरण करना ; और

(iv) ऋण की उपलब्धता पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा वायदे के सौदों पर रोक लगाकर सट्टे के उद्देश्य से स्टाक करने और बजार को चालाकी से प्रभावित करने को निरुत्साहित करना ।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलटों को समय-समय पर शारीरिक स्वस्थता की जांच करना

1997. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ एवीएशन मैडीसीन, बंगलौर ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को बार-बार यह परामर्श दिया है कि विमान में उड़ानों की सुरक्षा के हित में विमानन चिकित्सा के क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर पायलटों की शारीरिक स्वस्थता की जांच करवानी चाहिए ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ने इस परामर्श को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयर-लाइन्स दोनों ही कार्पोरेशनों का कथन है कि उन्हे उक्त संस्थान से ऐसा कोई परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस में निजी एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

1998. **श्री शशि भूषण : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इंडियन एयरलाइन्स में कितनी गैर-सरकारी एजेंसियां हैं ;

(ख) क्या पहले इंडियन एयरलाइन्स की इंदौर की एक गैर-सरकारी एजेंसी को छात्रों को दी जाने वाली रियायत के अन्तर्गत बड़े यात्रियों को विमान से भेजती थी ;

(ग) क्या इस घटना की सरकार ने जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या इस गैर-सरकारी एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सात प्राइवेट एजेंसियां इंडियन एयरलाइन्स के लिए सात स्टेशनों पर सामान उतारने-चढ़ाने (हैंडलिंग) का काम करती हैं। इनके अलावा 31-7-73 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के पास 130 बिक्री अभिकर्ता हैं जो कारपोरेशन की ओर से पैसेंजरों की बुकिंग करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच पड़ताल के पश्चात्, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने निम्नलिखित कदम उठाए :—

(i) एजेंसी की नियुक्ति को 19 अगस्त, 1973 से समाप्त कर दिया गया।

(ii) समस्त जालसाजी का मूल्यांकन तथा जांच करने के लिये एक पूरी लेखा-परीक्षा जांच की गयी।

(iii) 10 अक्टूबर, 1972 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई।

(घ) हैंडलिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कारपोरेशन के लिए, ऐसे स्थानों पर जहां कि परिचालन की आवृत्तियां कम हैं, कार्यालय खोलना वित्तीय दृष्टि से अत्यधिक अलाभप्रद होगा।

इंडियन एयरलाइंस में बिना टिकट यात्रा

1999. **श्री शशि भूषण : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इंडियन एयरलाइन्स में बिना टिकट यात्रा हुई है ;

(ख) क्या कुछ व्यक्ति इंडियन एयरलाइन्स में बिना टिकट यात्रा करते हुए हाल ही में पकड़े गये थे ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) 24 मार्च, 1972 से अब तक इंडियन एयरलाइन्स के विमानों पर बिना टिकट यात्रा करने की तीन घटनायें प्रकाश में आई हैं। प्रत्येक मामले का विवरण और उस पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) 24 मार्च, 1972 को एक व्यक्ति ने कलकत्ता से गौहाटी तक इंडियन एयरलाइन्स उड़ान आई० सी०–205 पर बिना टिकट यात्रा की। गौहाटी में वह पकड़ा गया और उसे विमानक्षेत्र सुरक्षा पुलिस के हवाले कर दिया गया।

(2) 19 दिसम्बर, 1972 को एक हिप्पी ने गोआ से बम्बई तक इंडियन एयरलाइन्स उड़ान संख्या आई० सी०–164 पर एक वैध टिकट पर यात्रा की किन्तु वह बम्बई में विमान से नीचे नहीं उतरा। क्योंकि इसी विमान द्वारा बम्बई से बंगलौर की उड़ान संख्या आई0 सी–107 परिचालित की गई वह बम्बई में बिना पकड़े इस सेवा पर यात्रा करने में सफल रहा। बंगलौर में वह पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

(3) 19 फरवरी, 1973 को एक व्यक्ति ने उड़ान संख्या आई० सी–460 पर बम्बई से इन्दौर की यात्रा की। इन्दौर में परगामी (ट्रांजिट) विराम के दौरान वह विमान से नीचे नहीं उतरा तथा विमान में बैठा पाया गया। प्रस्थान घोषणा से ठीक पूर्व वह विमान से निकल कर सीमांत (टर्मिनल) भवन में जाना चाहता था लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उसने बम्बई से इन्दौर तक की यात्रा बिना टिकट की थी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों के अन्तर्गत खाद्यान्न व्यापारियों को ऋण दिया जाना

2000. **श्री शशि भूषण :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों के अन्तगर्त खाद्यान्न व्यापारियों को 93 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है ;

(ख) खाद्यान्न व्यापारियों को ऋण देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मान्यताप्राप्त बड़े खाद्यान्न व्यापारियों को कितना ऋण दिया गया है तथा उनकी संख्या कितनी है और प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) यह ऋण कितनी अवधि तक के लिये दिया गया है तथा उसकी ब्याज दर कितनी है ; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस सम्बन्ध में अन्य बैंकों को भविष्य के लिये कोई मार्ग निदेशक सिद्धान्त दिये हैं और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) खाद्यान्न के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू होते हैं। 1972-73 के दौरान इन्हें काफी कठोर

18LSS/73—10

कर दिया गया था। नवम्बर, 1972 से शुरू किये गये विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) खाद्यान्न पर दिये जाने वाले ऋणों के लिए अनुमत सीमा का आधार 1972-73 में बैंक-वार से बदल कर पार्टी-वार कर दिया गया । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि बैंक अन्य ऋणकर्ताओं की अप्रयुक्त ऋण सीमाओं को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ एक पार्टियों को अधिक ऋण देने की पेशकश न कर सकें।

(2) अधिकतम सीमा जो पहले कुल औसत ऋण का 110 प्रतिशत थी (गेहूं को छोड़कर धान और अन्य खाद्यान्नों पर दिये जाने वाले) और जिसे पिछले वर्ष की 2 महीनों की तुल्य अवधि में बैंक ने बरकरार रखा था, प्रत्येक पार्टी के लिये कम कर दी गयी है ; अब अधिकतम सीमा उस पार्टी के लिये, पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिये बकाया के उच्चतम स्तर पर 100 प्रतिशत है। जहां तक गेहूं का संबंध है, कृपया नीचे पैरा 6 और 7 देखिए।

(3) नयी पार्टियों को भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना ऋण नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार मौजूदा पार्टियों के ऋण के स्तर में वृद्धि करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को खाद्यान्नों पर सावधानी से ऋण देने की नीति का अनुसरण करने की सलाह दी थी ताकि ऋणकर्त्ताओं को अनुचित रूप से स्टाक रोक रखने से रोका जा सके।

(5) अप्रैल, 1973 में खाद्यान्नों पर बैंक ऋणों पर न्यूनतम मार्जिन को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही इन ऋणों पर ब्याज की न्यूनतम दर भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी।

(6) मई, 1973 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उन व्यापारियों को छोड़कर, जिनके पास स्टाक रखने के लिये संबंधित सरकार से प्राप्त लाइसेंस हों, किसी भी थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी पर गेहूं की प्रतिभूति पर कोई ऋण बकाया न रहे।

(7) मई, 1973 में, मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित बैंकों से 20,000 रुपये से अधिक ऋण सीमाओं की विशेष समीक्षा करने के लिये कहा गया था।

खाद्यान्न के प्रत्येक बड़े व्यापारी को दिये गये ऋण की रकम के संबंध में, बैंकों में प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार बैंकों के लिये अपने अलग-अलग खाते-दारों के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मणिपुर में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में वृद्धि का समाचार

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"मणिपुर में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में कथित तेजी जिसके परिणामस्वरूप 17 जवान और 2 नागरिक मारे गये।"

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : महोदय, सरकार सुरक्षा बलों पर नागा विद्रोहियों द्वारा हिंसक आक्रमणों से चिन्तित है। 1 जुलाई, 1973 से मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर घात लगा कर आक्रमण करने की चार घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों के 17 व्यक्ति मारे गये और 14 घायल हुए। दो नागरिक भी मारे गये। मुठभेड़ के दौरान नागा विद्रोहियों की ओर हुए हताहतों की संख्या मालूम नहीं है।

प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा शुरु की गई कार्यवाही चल रही है। मणिपुर सरकार को, जो आसूचना एजेंसियों और सुरक्षा बलों सहित नागा विद्रोहियों की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा ग्रामीणों को संतोषजनक संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है, हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं मृत जवानों और नागरिकों के परिवारों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

नागा विद्रोहियों की समस्या हमारे सामने गत कई वर्षों से है। चीन से शत्रुता होने के बाद उसने हमारे यहां के नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। हाल ही में वहां पर प्रशिक्षण लगभग 800 नागा स्वचालित शस्त्रों सहित भारत में धुस आए हैं। हमारे गुप्तचर विभाग और अन्य विभाग यह पता क्यों नहीं लगा पाए कि ये लोग हमारे देश में धुसने वाले हैं। ये नागा लोग दो-दो अथवा तीन-तीन की टोलियों में ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं। प्रशासन इस स्थिति से अवगत क्यों नहीं है। मंत्री महोदय को यह जानकारी क्यों नहीं है कि उस मुठभेड़ में कितने नागा मारे गये। इस मुठभेड़ से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय क्यों नहीं अपनाये गये। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए नागालैंड सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इन देश-द्रोहियों से सरकार बार-बार बातचीत क्यों करती है? क्या सरकार ने फिजो नागा नेता को भारत वापस भेजने के लिए ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है? क्या चीन से यह विरोध प्रकट किया गया है कि नागा विद्रोहियों के प्रशिक्षण देकर वह शत्रुता पूर्ण कार्य कर रहा है?

श्री उमाशंकर दीक्षित : ऐसा पता लगा है कि लगभग 100 से 150 नागा विद्रोही नागालैंड-बर्मा सीमा पर छिपे हुए हैं और वे दो-दो या तीन-तीन की टोली बना कर येनसिंह जिले से होकर नागालैंड में घुस रहे हैं। यहां से वे मणिपुर के उत्तरी भाग में भी जा रहे हैं। यहां का क्षेत्र ऐसा है विशेषकर वर्षा ऋतु के बाद कि वहां सैनिक तरीके की सीधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह भी सच है कि कुछ नागा लोग चीन गये थे। वे वहां से लौट आये हैं और बर्मा सीमा पर छिपे हुए हैं। वे वहां से नागालैंड में प्रवेश कर रहे हैं। जुलाई में वे मणिपुर की ओर भी बढ़े। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि नागा सरकार और नागा जनता उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे रही है।

जहां तक ऐसी घटनाओं का संबंध है जिनमें जवान आदि मारे गये, 10 जुलाई, 27 जुलाई, 31 जुलाई और अगस्त 1973 को चार घटनाएं घटी जिनमें विभिन्न सुरक्षा बलों के 17 जवान तथा दो नागरिक मारे गये और 14 जवान घायल हुए। ऐसी सूचना मिली कि एक नागा विद्रोही भी मारा गया था। आसाम राइफल्स सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने मिलकर संगठित प्रयास किया और

नागा विद्रोहियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गई। समाचार पत्र की खबर है कि 10 नागा विद्रोही मारे गये किन्तु मणिपुर सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं मिल पायी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या आपको जानकारी है कि कुछ नागा विद्रोहीयों को चीन में प्रशिक्षण दिया गया ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमारी जानकारी के अनुसार बर्मा सीमा के आस-पास जो 100 या 150 नागा विद्रोही लुक छिप कर घूम रहे हैं, उन्होंने चीन में प्रशिक्षण पाया है।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Sir, from the statement of the Minister it appears that Government has completely failed in dealing with Naga hostiles. They could not put an end to the activities of Naga hostiles. I would like to know the circumstances in which these Naga people attacked our jawans and killed them; whether compensation was paid to the families of those who were killed by Naga hostiles; and whether the arms captured from these people bear chinese marking ? Is it a fact that there is a body called United National Front, which is making anti-India propaganda in Tribal areas and no action is being taken against it ?

Shri Uma Shankar Dixit : The situation is not so serious as has been narrated by the hon. Member. I think hon. Member is not aware of the type of terrain there and the type of battle which takes place there. It is such a terrain that no direct confrontation can take place there. In hilly areas jeeps of jawans move having sufficient gap in between. These Nagas make guerilla type attack either on the first jeep or the last jeep and after attacking they hide in the terrain. This is the difficulty.

It is fact that the arms captured from these Naga hostiles bore Chinese marking. I would like to tell the hon. Members that we are not taking it lightly. According to the information received from Manipur and Nagaland, from 1st January to 31st May, 1973 in Manipur 95 Nagas were arrested and 38 surrendered and in Nagaland 594 Nagas were arrested and 385 surrendered. The over all picture is not so disappointing and dark as the hon. Member understands. As regards anti-India propaganda, nobody is making such a propaganda in Nagaland. As regards the compensation to the relatives of those killed in such action, it is definitely paid to them, though details in respect thereof are not available with me.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : If the border security is tightened with the cooperation of Government of Burma, the activities of Nagas on the border can be fully checked. So our government should make strong border security arrangement with the help and cooperation of Government of Burma on 250 mile long border in the North and on 150 mile Arakan border.

I want to know whether the Military intelligence is working with full force in the State or not ? The Government should clarify its policy in this regard. The Military should be made more effective there.

The villagers of the state are giving full Cooperation to the Government . In case our Military intelligence works with the cooperation of Burma Government, such type of incident might have been reduced.

Shri Uma Shankar Dikshit : The hon. member has given a very useful suggestion. It may be that these incidents may be connected with the dates of the election. But much importance should not be given to this matter I assure the hon. Member that our full force is there to face any eventuality. The situation is fully under control now and we need not worry.

I assure the hon. Member that such incident would be reduced in future.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अप्रैल, 1973 से चीन से पर्याप्त प्रशिक्षण और शास्त्रास्त्र प्राप्त कर लगभग 800 विद्रोही नागा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं ? इससे यह विदित होता है कि उनकी शक्ति काफी बढ़ गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त आंकड़े ठीक हैं ?

सरकार ने यह विदित होने के बाद कि विद्रोही नागा भारत में प्रवेश कर गये हैं, क्या कार्यवाही की है जिससे वे घात लगाकर हमारे जवानों और नागरिकों पर हमला न कर सकें ?

सरकार द्वारा मारे गये नागाओं की संख्या न बता सकना समझ में नहीं आता।

माननीय मंत्री ने अभी एक प्रेस विज्ञप्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि विद्रोही नागाओं से हुई मुठभेड़ में 10 विद्रोही नागा मारे गये। यदि 10 व्यक्ति एक स्थान पर मारे जाते हैं, तो इसको नियमित लड़ाई कहा जा सकता है और घात लगा कर आक्रमण करना नहीं। अतः इस बारे में मंत्री महोदय को और अधिक जानकारी एकत्र करनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने चीन से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि चीन द्वारा नागाओं को प्रशिक्षण देने के बावजूद भी हम चीन से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए इतने अधिक इच्छुक क्यों हैं ? माननीय मंत्री ने विद्रोही नागाओं द्वारा चीन से लाये जाने वाले साहित्य का उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में चीन से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध कभी भी स्थापित नहीं हो सकते ?

जहां तक पादरियों का संबंध है वे नागालैंड में स्वायत्तशासन की मांग कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने नागाओं के दिमाग में यह धारणा उत्पन्न की है कि नागालैंड एक स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये। हमें इन पादरियों पर नजर रखनी चाहिए।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया था कि मणिपुर नागालैंड की सीमाओं पर 1,300 से 1,500 तक विद्रोही नागाओं ने प्रवेश किया था। वे दो तथा तीन के झुन्ड में आये थे।

जहां तक नागाओं को चीन में प्रशिक्षण देने का संबंध है मैं इस संबंध में सब तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर चुका हूं। चीन द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को मित्रता की कार्यवाही नहीं कहा जा सकता। यदि माननीय सदस्य को इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिये, तो वह इस बारे में विदेश मंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण बहुत समय पूर्व दिया गया था और विद्रोही नागा छोटे-छोटे झुन्डों में आ रहे हैं और हम उनके विरूद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

पादरियों की गतिविधियों के बारे में हम जांच कर रहे हैं। हमें इस बारे में पूरी जानकारी है और हम इस मामले में ढील से कोई काम नहीं ले रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : ADJOURNMENT MOTION

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You have not permitted to discuss regarding the Loco Employees strike because perhaps the Railway Minister is going to make a statement in this regard. But our difficulty is that you will not allow us to ask question on

his statement. The present strike is because the Railway Minister has not fulfilled his assurances given to the employees. The services of hundreds of Railway Employees are being terminated. There is going to be a break in their services we should be allowed to raise a discussion on his statement. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : We will see it later on.

The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra) : It is not correct to say that the strike has been caused because the Government has not fulfilled the assurances given to them. (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye (Banka): A calling Attention Should be allowed on this subject.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने समझौता करने का पूरा प्रयास किया है। माननीय मंत्री जब तक इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं कर देते कि कर्मचारियों का गिरफ्तारी नहीं की जायेगी तब तक किसी समझौते पर पहुंचना सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिये कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जायेगा और किसी व्यक्ति को भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। उन्हें पहले उक्त नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और इसी कारण वह डरते हैं। अतः माननीय मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह क्यों मान लेते हैं कि मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं। यदि माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस विषय पर आज चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इतने अधीर क्यों हैं। इस संबंध में एक प्रक्रिया है। मैं इसको बाद में देखूंगा। मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता।

स-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम अधिसूचनाओं के अन्तर्गत वित्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 315(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ सां॰ नि॰ 325(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5286/73]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा॰ सां॰ नि॰ 355(ङ), और 359 (ङ), जो भारत के राजपत्र, क्रमशः दिनांक 20 और 24 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ सां॰ नि॰ 655, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा॰ सां॰ नि॰ 699, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा॰ सां॰ नि॰ 726, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5287/73]

(3) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 747 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 की अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 1455 में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5288/73]

(4) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1957 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी॰ ओ॰ एम॰ 209 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी। तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश साधारण विक्रय-कर नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5289/73]

(5) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाघों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) आंध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (मादक द्रव्यों की अधिकतक मात्रा का परिवहन) नियम, 1972 जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी॰ ओ॰ एम॰ 676 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) ग्रांध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (शक्तियां ग्रौर कर्त्तव्य) नियम, 1972 जो ग्रांध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर, 1972 में ग्रधिसूचना संख्या जी० ग्रो० एम० 1094 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) ग्रांध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (शक्तियों का प्रत्यायोजन) नियम, 1972 जो ग्रांध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 ग्रक्तूबर, 1972 में ग्रधिसूचना संख्या जी० ग्रो० एम० 1095 में प्रकाशित हुए थे।

(घ) ज्ञापन संख्या 1711-ई2/1970-22 जो ग्रांध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुग्रा था तथा जिसके द्वारा ग्रांध्र प्रदेश विदेशी शराब ग्रौर भारतीय शराब नियम, 1970 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त ग्रधिसूचनाग्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5290/73]

(6) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) ग्रधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों (हिंदी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 29 मार्च, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(26)/72-फिन(जी) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 15 जून, 1973 में प्रकाशित हुग्रा था।

(दो) ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(68)/72-फिन० (जी) जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 4 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिल्ली विक्रय-कर नियम, 1951 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 7 मई, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(59)/72-फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(68)/72-फिन० (जी) जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिल्ली विक्रय-कर नियम, 1951 का शुद्धिपत्र दिया गया है ग्रौर जिसके द्वारा दिनांक 4 मई, 1973 के शुद्धिपत्र संख्या एफ० 4(68)/72-फिन० (जी) को रद्द किया गया है।

(पांच) दिल्ली विक्रय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(55)/69-फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) दिल्ली विक्रय-कर (पांचवां संशोधन) नियम. 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या एफ० 4(80)/71-फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5291/73]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति का प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति (गजेंद्रगडकर समिति) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5292/73]

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) खुले नारियल जटा रेशे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1927 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल जटा चटाइयों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 1928 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मानव केशों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1929 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नारियल जटा रेशे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1930 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1931 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5293/73]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1973

(2) आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973

(3) उड़ीसा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973

सभा पटल पर रखे गये पत्र–जारी

Papers laid on the Table—contd.

बेरोजगारी सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बेरोजगारी संबंधी समिति के प्रतिवेदन (खंड 1 और 2) की एक प्रति।

(2) बेरोजगारी संबंधी समिति के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश (हिंदी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपयुक्त मद (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ स्न्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5294/73]

सदस्यों को गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

(सर्व श्री एम० एम० जोसेफ और वरके जार्ज)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक कोट्टायम, केरल से 2 अगस्त, 1973 को एक बेतार संदेश से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

"कि लोक सभा के सदस्य सर्वश्री एम० एम० जोसेफ और वरके जार्ज को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोट्टायम, केरल द्वारा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 21 और 23 के अधीन जारी किये गये निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के कारण केरल पुलिस अधिनियम की धारा 57 के अधीन, 2 अगस्त, 1973 को क्रमश: 11.00 और 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया।"

(अंतर्बाधाएं)

भारतीय रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE. CURRENT STRIKE SITUATION ON THE INDIAN RAILWAYS

अध्यक्ष महोदय : श्री ललित नारायण मिश्र। **(अंतर्बाधाएं)** : मैंने प्रक्रिया की उपेक्षा कर माननीय मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध किया है। श्री मधु लिमये आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको इन सब बातों में शामिल नहीं होना चाहिये।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि कर्मचारियों के एक छोटे से वर्ग की गैरकानूनी और आकस्मिक कारवाई के कारण यात्री और माल दोनों तरह का रेल यातायात एकाएक अस्त-व्यस्त हो गया है।

यह घटना दिल्ली जं० पर 1 अगस्त की शाम को हुई/कुछ लोको कर्मचारी, जो बाहरी व्यक्तियों के साथ समूहों में काम कर रहे थे और जो छुरों से लैस थे, कई शंटिंग इंजनों पर चढ़ गये और उन्होंने कर्मीदल को आग गिराने के लिए बाध्य किया । इस से यार्डो में संचलन रुक गया और इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियां तुरन्त रद्द करनी पड़ीं तथा अन्य गाड़ियों को असाधारण रूप से विलम्ब हुआ।

आधी रात को रेलों पर अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के शेडों में लोको कर्मचारी एकाएक कुछ स्थानों पर कुछ इंजनों से आग गिराने लगे और सामूहिक रूप से काम से गैरहाजिर हो गये।

यह गैर-कानूनी हड़ताल एकाएक बिना किसी तात्कालिक कारण के और रेल प्रशासन को किसी भी स्थान पर बिना कोई नोटिस या सूचना दिये की गयी है। सदन को मालूम है कि आज अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अनाज, पेट्रोल और कोयला जैसी परम आवश्यक वस्तुओं का और उद्योगों तथा इस्पात कारखानों को कच्चे माल का परिवहन अधिक से अधिक तेज बनाये रखने की बड़ी जरूरत है। इससे रेलों के और साथ ही सरकार के वित्तीय साधनों को समान रूप से क्षति पहुंचती है।

जिस तरीके से इस कार्रवाई की योजना बनाकर इसे अमल में लाया गया है और इसमें जिस दर्जे की धमकी और जोर जबर्दस्ती का प्रयोग किया जा रहा है जाहिर है कि उसका उद्देश्य राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को पंगु बनाना है जो निश्चय ही कर्मचारियों के हित में नहीं है।

भारत रक्षा नियम लागू हैं। सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि दृढ़ता से और विनिश्चय के साथ काम लें ताकि वर्तमान तनावपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में रेल परिवहन सामान्य स्तर पर आ जाये ।

मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे रेलों के प्रमुख परिवहन उद्योग को सामान्य स्थिति में लाने के काम में सरकार का साथ दें।

मैं सच्चे और निष्कपट भाव से रेल कर्मचारियों से अपील करता हूं, जिनमें अधिकतर राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य के बारे में पूर्णतः जागरूक हैं, कि वे दृढ़ संकल्प के साथ काम करें ताकि उनका उद्यम राष्ट्र की सेवा में सुचारु रूप से और कुशलतापूर्वक चालू रहे ।

स्थगन प्रस्ताव—अनुमति नही मिली

MOTION FOR ADJOURNMENT—LEAVE REFUSED

लोको संगचल कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण रेल सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I rise on a point of order. I gave notice for adjournment motion which has not been admitted by you. The hon. Minister has not mentioned anything as to why the Loco Workers have gone on Strike. He has deliberately misled the House. You may please give an opportunity to discuss this matter.

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे का अथवा साढ़े तीन बजे का समय निश्चित किया जाये।

श्री सेझियान (कुम्बोकोणम) : साढ़े तीन बजे तो गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि चर्चा को सोमवार तक स्थगित कर दिया जाये तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मजदूर संघों के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपने चर्चा के लिये कहकर बहुत अच्छा किया है। आपके लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : सोमवार ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि सोमवार को चर्चा रखी जाये। अब कल वाली चर्चा को पूरा किया जायेगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने कहा है कि हड़ताल बिना नोटिस तथा भड़काने वाली कार्यवाही पर की गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस समय स्थिति बहुत नाजुक तथा कठिन है। मैं मजदूर सघों के नेताओं से मिला हूं। बातचीत चल रही है। आज श्रम मंत्री बातचीत कर रहे हैं। अतः कुछ तथ्य बताना लोक हित में नहीं होगा। चर्चा सोमवार को ही की जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि किसी को परेशान नहीं किया जायेगा। उनके वक्तव्य से स्थिति और गम्भीर हो गई है।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : All should be invited for talks irrespective of the recognition to a union.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I rise on a point of order. The hon. Minister has levelled certain allegations against the employees in his statement. We have given answer to these allegations. Now, Sir, when you were asking for fixing time for discussion the Members sitting on the other side were opposing it. The hon. Speaker has the right under the same very rule under which the hon. Minister has made his statement to allow the Members for asking questions as an exceptional case. If you cannot permit us like this then discussion should be held immediately and the lunch hour should be done away with.

अध्यक्ष महोदय : जब तक मंत्री महोदय न हों, तब तक चर्चा का कोई लाभ नहीं। वह मजदूर सघों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा हो सकती है।

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि चर्चा आज होनी चाहिये। **(व्यवधान)** आपने कहा था कि दो बजकर तीस मिनट पर चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उस समय मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय मंत्री का कहना है कि वह मजदूर संघों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह आज व्यस्त है अतः सदन में उपस्थित नहीं हो सकते। परन्तु आप कार्यसूची की मद संख्या 12 को देखें। उनके नाम पर एक विधेयक है। हम चाहते हैं कि विधेयक पर दो बजे चर्चा आरम्भ हो और दो बजकर तीस मिनट पर समाप्त हो । अतः यह कहना कि मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हो सकते, ठीक नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : क्या आप बेचारे मंत्रियों को सुविधा अथवा असुविधा को देख कर ही कार्य किया करेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : आज हमें गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रेलों की स्थिति के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बातचीत का सफल होना महत्वपूर्ण हैं। परन्तु आप मंत्री महोदय को सदन में उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत सुविधा अथवा असुविधा का प्रश्न नहीं है।

हमें चिन्ता केवल इस बात की है कि रेलवे की खराब स्थिति कर प्रभाव साधारण व्यक्ति पर न पड़े। सरकार को बातचीत के लिए उचित अवसर दीजिए। (**अन्तर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मजदूर संघों के नेताओं से बातचीत के लिए मंत्री महोदय को समय दिया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is wrong you are changing your decision under pressure from the hon. Minister.

अध्यक्ष महोदय : जब वह वहां उपस्थित नहीं रह सकते तो मैं समय किस प्रकार निश्चित कर सकता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If you now allow discussion we will walk out in protest.

Mr. Speaker : I am ready but the hon. Minister is not available. He wants to have negotiations with workers.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मद 12 पर जो चर्चा होने वाली है उसमें इस विषय का पूरी तरह उल्लेख किया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवन्तुपूजा) : उनके नाम पर विधेयक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं। वह यहां पर उपस्थित होंगे। वह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य मंत्री को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब स्थगन प्रस्ताव दिया गया था तो मैंने उसे स्वीकार करने की बात कही थी, आप उस समय कुछ और समय चाहते थे, मैंने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चर्चा कर सकते हैं परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि वह कुछ बातचीत कर रहे हैं अतः वह कुछ समय चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उचित रवैया अपनायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You may either give us an opportunity for discussion or allow us for asking clarification from the hon. Minister.

Mr. Speaker : I will not allow it. You can have discussions after the hon. Minister is free from negotiations.

श्री योगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं आपके विनिर्णय के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय की कोई बात नहीं है। मैं श्री बाजपेयी को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति देने को तैयार नहीं हूं। मैंने श्री बाजपेयी को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

श्री सी० एम० स्टीफन : परन्तु वह इसे प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है, तो मैं स्थगन प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह आधे मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान आपके द्वारा कही गई परस्पर विरोधी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने अभी-अभी कहा है कि आप स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने को तैयार हैं। यदि पचास सदस्य इसके पक्ष में हो जाते हैं, तो साढ़े तीन बजे इसे लेना पड़ेगा। इससे आपकी इस बात का उल्लंघन होता है कि माननीय मंत्री को बातचीत के लिए समय देने के लिए चर्चा को एक घण्टे तक सीमित रखा जाये। परन्तु यदि स्थगन प्रस्ताव ले लिया जाता है तो इस पर चर्चा समाप्त होने तक माननीय मंत्री को सदन में उपस्थित रहना पड़ेगा। तब उन्हें बातचीत के लिए समय नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : आप अपनी बात को कैसे बदल सकते हैं।

श्री योगेन्द्र झा : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री केवल मान्यता प्राप्त मजदूर संघों से ही बातचीत करेंगे? दूसरे मैं यह आश्वासन चाहता हूं जब तक बातचीत चल रही है किसी को परेशान नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)

श्री एल० एन मिश्र : हम प्रत्येक उस व्यक्ति से बातचीत करने को तैयार हैं जो इस समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मैं इस व्यवस्था में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं किसी भी व्यक्ति से मिलने को तैयार हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर लिया जाता कि केवल मंत्री महोदय इस समस्या को हल नहीं कर सकते और यहां पर ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रम संगठनों से सम्बद्ध हैं और जो स्पष्टीकरण चाहते हैं तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जो समस्या को हल करने में सहायक होंगे। आपको नियमित रूप से इस बारे में निर्णय लेना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह आपकी बात कहें।

श्री पीलू मोदी : हम इस प्रकार 45 मिनट का समय नष्ट कर चुके हैं। यदि माननीय मंत्री हमसे कुछ व्यक्तियों के विचारों को सुन लेंते, तो इससे उनके अपने विचारों को बल मिल सकता था। अब स्थिति यह है कि रेल मंत्री कहते हैं कि आज शाम को उनके पास समय नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विकल्प उनके समक्ष रखा था। यदि माननीय मंत्री उपस्थित हो सकते हैं तो वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पीलू मोदी : आप मुझे स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति देंगे अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाजपेयी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर लें फिर मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move for leave to introduce adjournment motion to discuss services situation arising out of the large scale disruption of railway services due to mass absenteerious by Loco running staff.

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे इस प्रस्ताव पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसके पक्ष में कुल 38 सदस्य ही हैं।

Shri Madhu Limaye : The way the hon. Minister has indulged is contempt of the House. We do not like it and walk out from the House in protest.

इसके पश्चात् श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये।

Shri Madhu Limaye and some other hon. Members then left the House.

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में आम प्रथा यह रही है कि यदि आप किसी सदस्य को किसी मामले विशेष पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं तो आप मंत्री महोदय को पहले ही अपना वक्तव्य देने की अनुमति नहीं देते थे। इस मामले में भी मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, वक्तव्य के पश्चात चर्चा अथवा कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति देना तथा बाद में स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देना ठीक ही है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय को सुनने के पश्चात संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

6 अगस्त, 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लोक सभा सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

Statement to be made by the Minister of Parliamentary Affairs in Government Business in Lok Sabha during week commencing 6th August, 1973

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 6 अगस्त 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य निपटाया जायेगा :

(1) आज की कार्यसूची में आगे ले जाये गये किसी भी मद पर विचार ।

(2) (1) दिल्ली बिक्री कर विधेयक, 1973।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार तथा पास करना ।

(3) विधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1973 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार तथा उसका पास किया जाना ।

Mr. Speaker : The way in which both sides are behaving, democracy will be in jeopardy.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : It was announced in the last session that Government will introduce a Bill to curb defections. I would like to know as to when the same will be introduced?

श्री एस० एम बनर्जी : वेतन आयोग के प्रतिवेदन और केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आकाशवाणी के 'स्पाटलाइट' कार्यक्रम में बने स्थित आकाशवाणी के प्रतिनिधि ने जर्मन जनवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति मिस्टर वालटर उलब्राइट की मृत्यु के सम्बन्ध में बोलते हुए केवल इतना कहा था कि उन्होंने 'बर्लिन वाल' का निर्माण करवाया था जबकि उसने पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति की भरपूर प्रशंसा की थी। यह एक गंभीर मामला है। जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। अतः सूचना और प्रसारण मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए अन्यथा उस देश के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं।

श्री समर गुह : (कंटाई) : मैंने पश्चिम बंगाल को चावल का कोटा सप्लाई न किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रस्ताव की कल के लिए अनुमति दी है।

श्री समर गुह : केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को प्रति मास दिये जाने वाले चावल को 20,000 से घटाकर 17,000 टन कर दिया । जुलाई में राज्य में केवल 9,000 टन चावल पहुंचा था । क्या खाद्य मंत्री इस गंभीर खाद्य स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे ?

श्री पी० जी० मावलंकार (अहमदाबाद) : विधि मंत्री को आगामी सप्ताह में एक वक्तव्य देना चाहिए कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थान कब तक भरे जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की अनुमति दी है।

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether he will be allowed to discuss the situation arising out of result by P.A.C. in Uttar Pradesh under rule 193 or 184 ?

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। वह किसी विषय को सभा के कार्य में सम्मिलित करवाने की मांग कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० राघुरामैया) : माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उन्हें सम्बन्धित मंत्रियों को बता दूंगा ।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : It is a usual reply of Minister of Parliamentary Affairs.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में इन सब मामलों पर चर्चा की जाती है आप ने मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग की है तो वह मंत्री महोदय से बातचीत करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

31वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति के बारे में

RE: FOOD SITUATION IN WEST BENGAL

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री समरगुह ने इस मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। पहले पश्चिम बंगाल को प्रतिमास 35,000 टन चावल भेजा जाता था। बाद में इसे घटा कर 20,000 टन कर दिया गया। अब उसमें पुनः कटौती करके 17,500 टन कर दिया गया है। वास्तव में गत मास में पश्चिम बंगाल में 9000 टन चावल पहुंचा है। आप मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए कहें कि राशन की दुकानों से पश्चिम बंगाल की जनता को किस प्रकार चावल उपलब्ध कराने का उनका विचार है ।

18 LSS/73—11

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मेरे विचार में इस मामले में घबराने की कोई बात नहीं है। वस्तुतः हम पश्चिम बंगाल को 1,50,000 टन से लेकर 1,60,000 टन तक चावल भेजते रहे हैं, इस महीने में 1,52,500 टन चावल देना निर्धारित किया गया है और हम इतनी मात्रा में चावल राज्य सरकार को अवश्य भेजेंगे अतः इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-assembled after lunch at five minutes past fifteen of the clock.

[उपा-अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr Deputy Speaker in the Chair]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBEKS' BILLS AND RESOLUTIONS

29 वां प्रतिवेदन

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन से, जो 1 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 29वें प्रतिवेदन से, जो 1 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

किसान डाक्टरों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: PEASANT DOCTORS

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० जी०एस० मेलकोटे के किसान डाक्टरों के बारे में संकल्प पर चर्चा की जायेगी।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : जब प्रधान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में किसान डाक्टर योजना की घोषणा की थी तब समस्त देश ने उसका स्वागत किया था। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस संकल्प पर विचार करें तो पता चलेगा कि अशोक के शासन काल में मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशुओं की चिकित्सा की भी व्यवस्था थी, आज ऐलोपैथिक डाक्टरों का कहना है कि भारत में प्राचीन डाक्टरों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं

किया है, जैसाकि वे कहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये कितने तथाकथित डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं । योजना आयोग का कथन है कि चिकित्सा व्यवस्था पर किये जाने वाले खर्च का 80 प्रतिशत भाग शहरी जनता पर खर्च किया जाता है। 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता चिकित्सा व्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जनसाधारण को स्वास्थ्य के बारे में यदि कोई लाभ उपलब्ध है तो आज ग्रामों में चिकित्सा करने वाले देशी चिकित्सकों के पूर्वजों के वहां बसे होने के कारण मिल रहा है । यदि हमारा देश पराधीन न होता तो देश चिकित्सक भी अपनी चिकित्सा पद्धति में सुधार कर सकते थे। अब ऐसे डाक्टरों की संख्या लगभग `3,00,000 है। यह कहा गया है कि 40,000 आधुनिक डाक्टर बेरोजगार हैं।

ऐसी बात नहीं कि सरकार उनको रोजगार देना नहीं चाहती परन्तु वे ग्रामों में बसने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वहां पर उनके लिए आवास की और सड़कों की सुविधाएं तथा विचार विनिमय करने के लिए मित्र नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही फिजिशियन प्रशिक्षित हो जाते हैं और ग्रामीण जनता की सेवा करते हैं । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के ये फिजिशियन अकुशल हैं? मैंने प्राचीन भारतीय पद्धति का भलीभांति अध्ययन किया है। उनकी चिकित्सा करने की पद्धति बहुत अच्छी है। चीन में डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में दो या तीन वर्ष तक रहते हैं और यदि उन्हें किसी बीमारी का ग्रामीण इलाज अच्छा प्रतीत होता है तो वे अनुसन्धान सम्बन्धी कालेजों में आकर उसका अनुसंधान करते हैं और यदि वह इलाज ठीक साबित हो जाये तो फिर वे उसका अपने देश में भी और विश्व में भी प्रचार करते हैं। आज एटम को अणुमात्र बताया जाता है परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताया जा सकता। 7000 वर्ष पूर्व भारत ने उस अणु के स्वरूप की भी व्याख्या की थी । सर्वप्रथम न्याय शास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए । इसमें प्राचीन भारतीय विज्ञान का उल्लेख है, पश्चिमी विज्ञान का नहीं । जो प्रतिभा भारत के प्राचीन चिकित्सकों की थी वह अब नहीं है। प्राचीन भारत में यह सदा कहा जाता रहा है कि मन, अहम और प्रतिभा आधुनिक किस्म के भौतिकीय अणु की दृष्टि से अणु हैं। इस सूक्ष्म अणु को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। अणु का सिद्धांत वर्ष 1660 के आसपास व्यक्त किया गया। आज से 7000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में बताया जाता था कि विश्व में अणु ही अणु हैं । फिर उन्होंने बताया कि अणु ही अन्तिम चीज नहीं है। अणु के भी छोटे भाग होते हैं । ये सब बातें योग विद्या में बताई गई हैं। मैं आधुनिक डाक्टरों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने रोगों की चिकित्सा करने के लिए योग विद्या के तरीके अपनाये हैं? ज़्यूरिच, स्विटजरलैंड की एक महिला डाक्टर लिटकसे ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया था और उसने मुझे अपनी रिपोर्ट की एक प्रति भेजी थी । उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पतालों का निरीक्षण किया था। जो रोगी सुप्रसिद्ध अस्पतालों में इलाज करवा कर स्वस्थ नहीं हो सके वे अब आयुर्वेदिक अस्पतालों में इलाज करवा कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं । उनका कहना है कि उन्होंने स्वयं केरल में पंचकर्म पद्धति देखी है । वह चाहती हैं कि भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सक स्विटजरलैंड जायें और उन्हें पंचकर्म पद्धति से अवगत करायें । वह अपने देश के डाक्टर भारत में भेजने को उत्सुक हैं ताकि वे इस पद्धति को सीख सकें। यहां तक कि हमारे राष्ट्रपति भी केरल में अपना इलाज करवाने के लिए गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आधुनिक अनुसंधानकर्ता इसे पद्धति का अनुसंधान क्यों नहीं करते । मैंने राष्ट्रपति से बात की है। उनका कहना है कि पंचकर्म पद्धति से उन्हें नया जीवन मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें वादविवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

डा० जी० एस० मेलकोटे : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब लोगों को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से लाभ नहीं पहुंचता, वे आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करवाते हैं परन्तु वे इस पद्धति को श्रेय नहीं देना चाहते। मैंने 5-6 वर्षों तक इस पर अनुसंधान किया है और लगभग 6000 या 7000 रोगियों की चिकित्सा की है। मैं आधुनिक डाक्टरों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस पद्धति का अनुसंधान करेंगे ?

यदि ठीक ढंग से योग के अनुशासन का पालन किया जाये तो अनेक रोग दूर हो सकते हैं। प्राचीन भारत को विज्ञान की पूरी जानकारी थी, परन्तु संस्कृत न पढ़ने के कारण हम लोग अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं। यदि संस्कृत की पुस्तकों का अध्ययन किया जाये और अनुसंधान किया जाय तभी उनसे लाभ उठाया जा सकता है। आज सारी धनराशि आधुनिक डाक्टरी पर खर्च की जा रही है और पता नहीं, वह कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा। आधुनिक डाक्टर केवल रोग का पता लगा सकते हैं और वह जानकारी भी प्रायः गलत सिद्ध होती है। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति मूल तत्वों पर आधारित है। पहले रोग के मूल कारणों का पता लगाया जाता है। आज के डाक्टर केवल शरीर देखते है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यकरण की ओर वे कोई ध्यान नहीं देना चाहते। वे व्यक्ति की चिकित्सा कीटाणुओं के सिद्धांत पर करते हैं। परन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी हमारे आधुनिक डाक्टर गांवों तक नहीं पहुंच पाये हैं।

गांवों में बसे हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह आगे और अनुसंधान कर सके और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का भी ज्ञान प्राप्त कर सके ताकि ग्रामीण जनता को पूरा लाभ पहुंच सके।

प्राचीन भारत का ज्ञान महान था। यदि हम स्वतंत्र होते तो हमने उसका समस्त विश्व में प्रचार किया होता। हमें वैद्यों की कठिनाइयों को समझना चाहिए और उन्हें आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी भी देनी चाहिए और इसके साथ ही उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। हम पश्चिमी देशों से अपने ज्ञान को पुनः प्राप्त करना पसन्द करते हैं परन्तु हम अपने देश में ही उपलब्ध जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहते। विदेशी लोग हमारे ज्ञान को अच्छा बताते हैं परन्तु हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प का समर्थन करे कि देशी चिकित्सकों को अधिकतम सहायता दी जानी चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसात) : ग्रामीण जनता के लिये किसान डाक्टरों का विचार समस्त विश्व में लोकप्रिय होता जा रहा है। चीन में किसान डाक्टरों को देशी चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि देशी चिकित्सा पद्धति का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है। इससे वहां की ग्रामीण जनता को विशेष लाभ पहुंचा है।

भारत में भी देहातों में डाक्टरों की भारी कमी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डाक्टरों को देहातों में भेजने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु ऐसा करने में वह असफल रही है। फिर देहातों में जाने वाले डाक्टरों को पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं की जातीं।

भारत में ऐलोपेथी चिकित्सा पद्धति का बोलबाला है। परन्तु एम०बी०बी०एस० करने वाले डाक्टर विभिन्न कारणों से देहाती क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। यदि सरकार देहातों में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की सहायता करे तो उससे देहातों के लोगों को काफी लाभ पहुंच सकता है। ऐलोपेथिक औषधियां बहुत महंगी हैं जबकि आयुर्वेदिक औषधियां सस्ती हैं और पर्याप्त मात्रा में मिल सकती हैं और उनके प्रयोग से देहाती लोगों को काफी लाभ पहुंच सकता है। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं इस संकल्प का भरपूर समर्थन करता हूं। हमारे देहातों में चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है। प्रशिक्षित चिकित्सा स्नातक वहां जाना ही नहीं चाहते। प्रतिवर्ष लगभग 500 डाक्टर देश छोड़ कर विदेशों में जा रहे हैं और स्थाई रूप से वहीं बस जाते हैं। हमें अपने देहाती भाइयों के लिये सस्ती चिकित्सा पद्धति का विकास करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये हमें देहातों में काम करने वाले वैद्यों को प्रशिक्षित करना होगा। हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। सरकार को आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अनुसंधान कार्य के लिये सब प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिये। उन्हें नई चिकित्सा पद्धति में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। अगर यह संभव नहीं है तो हमें ग्रामीण वैद्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर सरकार इसके लिए धनराशि मंजूर नहीं करती तो अन्य व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने के लिए आगे नहीं आयेंगे। आयुर्वेदिक औषधियां काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो निकट भविष्य में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अलावा अन्य किसी प्रकार की प्रणाली भारत में अस्तित्व में नहीं रहेगी।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (अलुबेरिया) : ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक और युनानी चिकित्सा प्रणाली हजारों वर्षों से प्रचलित है। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस प्रणाली से क्या लाभ है। कृषक डाक्टर ग्रामीण जनता की सहायता कर सकते हैं।

हमारे देश में एलोपैथिक या विदेशी औषधियों को ही मान्यता मिलती है। हमें अपने विगत अनुभव से लाभ उठाना चाहिए और देशी चिकित्सा प्रणाली का वैज्ञानिक आधार पर विकास करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति हीनभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। समय की कसौटी पर जो औषधियां खरी उतरती रही हैं उन्हें ग्रामीण जनता के लाभार्थ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देशी औषधियों का विकास करने के लिए प्रत्येक राज्य में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। बिना ज्यादा धनराशि खर्च किये और उचित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने चिकित्सा विज्ञान में विकास कर सकते हैं।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I rise to support the resolution brought forward by Dr. Melkote regarding provision of medical facilities to the rural population.

I belong to a constituency where there are nine lakhs of tribal people, and no doctor is available within a radius of forty miles. There is no arrangement of Ayurvedic system of medicines. Ayurvedic medicines can cure many diseases.

There are no volunteers in our country who can take up this job and serve the people in the rural areas. The doctors who come out of the colleges do not go to rural areas. It should be compulsory for the doctors to serve the rural population for at least two years.

The Vaidyas should be given monetary help by the Government and they should also be given some kind of compulsory education for two or three years in a medical college.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Generally all the hospitals are in big cities, but there is not a single hospital in an area of 15-20 miles in rural areas. The government has made the laws that the persons admitted to a medical college, would have to work in rural areas for a period of two years. The doctors in Govt. service should be confirmed only after they have served in rural areas for a period of five years.

The 80 per cent of the population resides in the rural areas, but 90 per cent of the doctors are in the urban areas.

Now we find that the Vaids in rural areas have also started practising allopathic system of medicine, because allopathic system is more paying as they get ten or twelve rupees per injection. I request that government should take sincere steps to provide adequate medical facilities to the rural population. The doctors should be promoted keeping in view their performance in ru ral areas for five years. When a hospital is opened in rural areas, there should be adequate provision of medicines.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : It is an open secret that a person is appointed doctor only after the Minister has received illegal gratification from that persons. There is no provision of hospitals or doctors for the peasants in the Villages within radious of ten to twelve miles.

Whenever schemes are formulated for the farmers in the villages, the money meant for those schemes is mis-appropriated by a few persons of the village in collusion with the officers. The farmers die for want of medical facilities. The government should open Ayurvedic dispensaries in a large number in the village.

The medically qualified persons belonging to the Scheduled Castes/Tribes are not appointed to the post of doctor. If the Government is unable to open hospitals in a large number, at least an Ayurvedic dispensary should be opened in every Panchayat headquarter.

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : डा० मेलकोटे का कृषक-चिकित्सक से क्या तात्पर्य है मेरी समझ में नहीं आया। देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां हैं, परन्तु अंग्रेजों के आने के बाद एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय हो गई है।

आजादी से पहले भारत सरकार ने चिकित्सा प्रणाली के बारे में एक भोर समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 100 बीमारियों में से 8 बीमारियों का किसी भी चिकित्सा प्रणाली से इलाज किया जा सकता है और कुछ बीमारियों का केवल सर्जरी से ही इलाज किया जा सकता है। अगर डा० मेलकोटे का आशय यह है कि देशी चिकित्सा प्रणाली का विकास किया जाय जिससे डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकें, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु उनके संकल्प का आशय यह नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों अर्थात् आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक प्रणालियों के कालेज हैं परन्तु उनमें आपस में समन्वय नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में भारतीय औषधियों के एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। एलोपैथिक औषधियां काफी कीमती होती हैं और प्रत्येक नागरिक उन्हें नहीं खरीद सकता। देशी चिकित्सा प्रणाली की औषधियां सस्ती और जन-सुलभ होती हैं। सभी एलोपैथिक कालेजों में विभिन्न औषधि प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। योगाभ्यास का अध्ययन भी सभी कालेजों में लागू किया जा सकता है।

आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कोई मान्य औषधि कोश भी नहीं है। भारत सरकार ने भी इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया है। एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में उपयोग आने वाले उपकरण काफी महंगे होते हैं और कृषक डाक्टर से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतने अधिक महंगे उपकरण खरीदे। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह देशी चिकित्सा प्रणाली और एलोपैथी एवं अन्य प्रणालियों के बीच समन्वय करे ताकि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देशी प्रणाली का उपयोग कर सकें।

मैं डा० मेलकोटे के प्रस्ताव की भावना की सराहना करता हूं परन्तु उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि वह वर्तमान डाक्टरों की ही नियुक्ति चाहते हैं। इन डाक्टरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन प्रणालियों में अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई है। देशी चिकित्सा प्रणाली अथवा देशी डाक्टरों की योग्यता में सुधार किये बिना अखिल भारतीय स्तर पर देशी चिकित्सा प्रणाली का सुधार नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे देशी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करने वाले चिकित्सकों का गावों में उपयोग करने सम्बन्धी योजना के बारे में बोल रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : देश में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों अर्थात् एलोपैथिक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर तैनात किये जायें उनका व्यवहार जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण जनता अधिकांशतः निरक्षर होती है और वह नहीं जानती कि किस औषधि का किस प्रकार सेवन करें। सरकार को पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में अस्पताल खोलने चाहिए।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : 80 per cent of the rural population is still deprived of the modern medical facilities, because the doctors do not like to go to the country side. We have failed to provide medical facilities to the rural population through the allopathic system of medicines.

The Vaids in the villages have been giving treatment to the rural population at a very low cost. The Government should extend monetary help to these Vaids so that they may serve the people better.

The Vaids can diagnose the disease by feeling the pulse of the patient, but they are not equipped with necessary facilities to produce medicines. The Government should provide them necessary facilities. The village Vaids should also be associated with the Ayurvedic colleges.

The Health Centres have been opened in every Block, but the medicines supplied to these Health Centres are sold in the market. 75 per cent of the rural population is not in a position to purchase medicines from the market.

The Government do not have resources to provide medical facilities through allopathic system of medicines, because it is very costly.

The indigenous system of medicines is very cheap and it is within easy reach of everyboby in the village. If we take the help of indigenous system of medicine, it would reduce pressure on the present hospitals.

Shri M. C. Daga (Pali) : The indigenous system of medicine can be more effective, if government provides necessary help to the Vaids. The rural population has their confidence in these Vaids. They have been doing this work with the spirit of service to the people from generation to generation.

The aim of the present doctors is to earn money as quickly as possible. They do not like to live in rural areas, since facilities of modern living such as Cinema, Television etc. are not available there.

Though the Government have opened Primary Health Centres in the villages, there are no competent doctors and not even the necessary medicines. I, therefore, support the resolution of Dr. Melkote that Vaids should be prepared for this work, so that rural population can be benefited.

श्री के० चिक्कलिंगैया (माण्डया) : अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त थी। नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में यह प्रणाली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परन्तु अब इस प्रणाली को प्रोत्साहन न दिये जाने के कारण इसकी अवनति होती जा रही है। इसमें अब त्रुटियां भी आ गई हैं, जैसे कि प्रक्रियाओं का मानकीकरण नहीं किया गया है।

मेरे विचार में देशी चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग से जनता को काफी लाभ होगा। ग्रामीण जनता को इस चिकित्सा प्रणाली में पूर्ण विश्वास है। इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वैद्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें समुचित सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I rise to support the Resolution moved by Dr. Melkote. During the twenty five years of independence, a great deal has been done for the people living in villages. Before the doctors are sent to villages, they must be trained pathologically and biologically. The 13th Chapter of the Mudaliar Committee lays much emphasis on the indigenous system of medicine. The hon. Minister should pay attention to it so that medical aid can be extended to the poor people in villages.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री रामकंवर : खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही वाद-विवाद में कोई दूसरी बार भाषण नहीं दे सकता है।

श्री रामकंवर : Mr. Deputy Speaker...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री रामकंवर : * *

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं डा० मेलकोटे को यह संकल्प लाने और अनेक सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

मैं भिन्न-भिन्न सदस्यों द्वारा कही गई सभी बातों के बारे में नहीं बोलूंगा, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में देशी चिकित्सा पद्धति के पक्ष में एक मत व्यक्त किया गया है। आज हमारे देश में जो देशी चिकित्सा पद्धति है, उसे काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिये मैं डा० मेलकोटे को हार्दिक बधाई देता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम नगरीय क्षेत्रों तथा महानगरों में मेडिकल कालेज औषधालय और अस्पताल खोलने जैसा आधारभूत ढांचा तैयार करने में सफल हुए हैं परन्तु हम सदैव चिंतित रहे हैं कि हमें किस प्रकार और कितना जल्दी गांवों में भी उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करनी चाहिये।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

जुलाई, 1972 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ सम्मेलन के पश्चात प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई।

फिर नवम्बर, 1972 में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ परामर्श किया गया और हमने सिद्धांततः यह स्वीकार किया कि देशी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त वैद्यों को गांवों में लगाया जाये।

डा० रानेन सेन ने गांवों में प्रचलित लोकप्रिय टोटका का उल्लेख किया और कहा कि हमारी माताएं और दादियां इसका प्रयोग करती हैं और उसका कई तरीकों से प्रभाव भी पड़ता है। इससे इस बात को बल मिलता है लोग आयुर्वेद में विश्वास करते हैं।

मैं सभा तथा डा० रानेन सेन को सूचित करता हूं कि पश्चिम बंगाल में 286 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें से 43 एक डाक्टर वाले हैं और 243 दो डाक्टर वाले ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में किसान डाक्टर लगाये जायेंगे ? यह संकल्प है. . .

श्री ए० के० किस्कू : मैं उसके बारे में कहने जा रहा हूं ।

हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने की अवस्था में हैं। हम देश की ग्रामीण जनता को चिकित्सा सहायता देने संबंधी नया अध्याय आरम्भ करने वाले हैं । परंतु मेरा कहना है कि चाहे हम देशी चिकित्सा पद्धति अथवा होम्योपैथी लागू करें हमें उसी आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत कार्य करना है जो हमने तैयार किया है । इसी बात पर हमने योजना आयोग के साथ काफी चर्चा की। यह कहना अच्छा है कि हमें गांवों में आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के डाक्टर भेजने चाहिएं परंतु हमें ऐसी नीति प्रतिपादित करनी है कि इसे किस प्रकार समेकित किया जाये ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि शायद आधुनिक चिकित्सा में ऐसी बात है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुकूल न हो । ठीक है ऐसा है। परंतु हम इस पर बल देना चाहते हैं। हमने लगभग 10 लाख रुपये मंजूर किये हैं । 21 भिन्न-भिन्न राज्यों के 29 ब्लाकों में हम इसे लागू करने जा रहे हैं परंतु इसे लागू करने से पहले यह आवश्यक है कि हमें अनुभव हो तथा हम इसे किस प्रकार से लागू करें, इसके लिये सुस्पष्ट नीति बनाई जाए ।

देशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस संसद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये भारतीय परिषद् के बारे में विधेयक पारित किया है उसके द्वारा हम समूचे देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं ।

गांवों में 10,000 की जनसंख्या के पीछे एक सब-सेंटर बनाया जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर कार्य कर सकें।

मैं डा० मेलकोटे से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : जब प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसान डाक्टरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तो इस पर लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया था। इसके बाद इस वर्ष फरवरी में प्रो० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक गोष्ठी हुई।

आरंभ में ही भारतीय मेडिकल एसोसियेशन तथा कुछ अन्य द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर प्रहार किया गया। हमने सोचा था कि इस दिशा में कुछ किया जायेगा परंतु हमें यह जानकर निराशा हुई कि अब उच्च अधिकारी यह बात कर रहे हैं कि सारी चीज योजना आयोग द्वारा समाप्त हो गयी है।

विरोधी पक्ष और इस पक्ष की ओर से मेरे संकल्प का समर्थन करने के लिये मैं सभी को धन्य-वाद देता हूं। जब मैंने देशी चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया तो मेरे दिमाग में होम्योपैथी सिद्ध, और योग तथा आयुर्वेद पद्धतियां थीं। ये डाक्टर जो गांवों में जाकर बस गए हैं वे उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनका उपयोग कैसे किया जाये, यह प्रश्न है। योजना आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में 19 ब्लाक स्थापित करने संबंधी वर्तमान विचार एक अशक्त विचार है। हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि इसे प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि ऐसी परिस्थितियों में देशी डाक्टर आगे आयेंगे और स्वयं को प्रशिक्षित करके पाइलट परियोजना के अन्तर्गत अच्छा कार्य करेंगे। मंत्री महोदय के आश्वासन पर मैं संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : OWNERSHIP OF NEWSPAPERS AND NEWS AGENCIES.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि देश में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व को विसम्बद्ध करने और उनका लोकतंत्रात्मक ढंग से विकेन्द्रण करने के लिये तुरंत उपाय किये जायें।"

मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले से घोषित राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की जाए तथा सरकार ने समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के विकेन्द्रण में जिस सुस्ती का परिचय दिया है, उसे वह दूर करे।

25 जुलाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 504 का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन की जांच की जा रही है।

अब हमने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में लम्बी कहानी सुन ली है जो समाचार-पत्रों को उद्योग में एकाधिकारी स्वार्थों से विसम्बद्ध करने के मार्ग में रोड़ा अटका रहा है।

मैं यह संकल्प यह सुनिश्चित करने के लिये लाया हूं कि कम-से-कम सरकार यह कहेगी कि इस वाद-विवाद के समाप्त होने पर और इस सत्र के स्थगित होने से पूर्व वह यह विधेयक लाएगी जो कई दिनों से बन रहा है।

1954 में प्रेस आयोग ने इस मामले की जांच की और श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा उठाई गई मांगों के कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अच्छा होगा यदि समाचार-पत्रों के मालिक का कोई और स्वार्थ नहीं होगा। इसका एक उपाय हो सकता है कि प्रबंध का हस्तांतरण किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को कर दिया जाए।

इस बारे में सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों के बावजूद भी आज यही विचित्र विलम्ब हो रहा है। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और इस विलम्ब के लिये उन्हें उत्तरदायी होना पड़ेगा।

मैं मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। दो वर्ष पूर्व श्री गोखले ने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अट्ठाहरवें वार्षिक अधिवेशन में एकाधिकार समाप्त करने की वांछनीयता पर बोलते हुए कहा था कि एकाधिकार की ओर जो रुख है, उसे बदलना चाहिये।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने एक बार कहा था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने स्वयं को सार्वजनिक ट्रस्ट में बदलने की प्रतिज्ञा की है और अलग भवन बनाने के लिये 55 लाख रुपये का ऋण लिया है। फिर भी प्रेस आयोग की सिफारिश का कोई उत्तर नहीं दिया है और सरकार यह सोच रही है कि उस सिफारिश के क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जाए।

प्रेस आयोग की बहुत-सी ऐसी सिफारिशें हैं, जिन्हें केवल उसी समय याद किया जाता है जब मंत्रियों को कोई घोषणा करनी होती है वरना उन्हें याद ही नहीं किया जाता है।

एक समय प्रेस जनता की थी जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था और देश के कार्य की भावना से काम करना पड़ता था—बाद में यह एक व्यवसाय बन गया परन्तु पत्रकारिता एक व्यवसाय बन जाने का आशय यह तो नहीं होना चाहिये कि एकाधिकारी स्वार्थों की सेवा में पत्रकारिता में गिरावट आए।

मामले का तथ्य तो यह है कि प्रेस का नियंत्रण अवांछनीय हाथों में है जो देश तथा जनता की भावना का आदर नहीं करते हैं।

आज हमारे देश में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और इससे सम्बद्ध अन्य पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ग्रुप, 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप, 'स्टेटससमैन', 'हिन्दु', 'अमृत बाज़ार पत्रिका' और 'आनन्द बाज़ार पत्रिका' जैसे बड़े-बड़े समाचार-पत्र व्यवसाय बने हुए हैं।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि किस प्रकार डालमिया जैन ने बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी को लोगों के धन से उस धन में गड़बड़ी करके टाइम्स आफ इंडिया समाचार-पत्र शृंखला को अपने हाथ में लिया।

ये ऐसे समाचार-पत्र हैं जो हमारे देश में जनमत को बदलते हैं। प्रेस आयोग ने कहा है कि इन एकाधिकारियों का प्रेस पर जो नियंत्रण है, वह समाप्त होना चाहिये।

भारतीय प्रेस में एकाधिकार की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई तथा दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या और उनकी बिक्री (सरकुलेशन) में भी वृद्धि हुई।

बिक्री ही केवल इस एकाधिकार का परिचायक नहीं है अपितु लघु समाचार-पत्रों सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सात बड़े समाचार-पत्र 38.8 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज़ और 33 प्रतिशत नेपा अखबारी कागज़ की खपत करते हैं।

बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों के विरुद्ध जब धोखा-धड़ी आदि के मुकदमे भी चलाये जाते हैं तो वे साफ-साफ बच निकलते हैं क्योंकि उनके पास अतुल धनराशि है। वे बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों को अच्छा वेतन देते हैं। सभी पत्रकारों को अच्छा वेतन नहीं मिलता है।

प्रेस ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके पास पैसा है और उनके प्रधान सम्पादक अच्छे लेख नहीं लिख सकते हैं। ऐसा सब कुछ हो रहा है और पत्रकारिता का कुछ ही लोगों के हित में इस्तेमाल हो रहा है। इस पुस्तक में दस्तावेज़ों का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में गत कुछ वर्षों के दौरान देश की प्रमुख आर्थिक तथा राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए इस पुस्तक ने सिद्ध कर दिया है कि एकाधिकार प्रेस किस प्रकार रिपोर्टिंग करता है और वे तथ्यों को किस प्रकार तोड़-मरोड़ कर लोगों के सामने रखते हैं। विभिन्न दलों के माननीय सदस्य इस हेतु यथाशीघ्र कानून बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर देना चाहते हैं। सरकार अभी अपने हितों का ध्यान रखते हुए बड़े-बड़े एकाधिकार प्रेसों पर चोट नहीं पहुंचाना चाहती। यही कारण है कि सरकार अनेक घोषणाओं के बावजूद भी गत कई वर्षों से इसके सम्बन्ध में कानून नहीं बना रही। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहता हूं कि वह इस कानून को शीघ्रातिशीघ्र बनाए। इसमें अधिक विलम्ब नहीं डाला जाना चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोछरा) : मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहता हूं कि प्रो० मुकर्जी ने एक माननीय सदस्य का ज़िक्र किया था और अध्यक्ष-पीठ की ओर से कोई आपत्ति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि देश में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व को विसम्बद्ध करने और उनका लोकतंत्रात्मक ढंग से विकेन्द्रण करने के लिये तुरन्त उपाय किये जाएं।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में :

"स्वामित्व को विसम्बद्ध करने और उनका लोकतंत्रात्मक ढंग से विकेन्द्रण करने" के स्थान पर "लोकतंत्रात्मक तथा राष्ट्रीय नियंत्रण और प्रबन्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सामयिक है। सरकार इस बारे में कानून बनाने की घोषणा कई बार कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी इसे अभी तक सभा में पेश नहीं किया गया।

गुजरात में पुलिस वल को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता*

FINANCIAL ASSISTANCE FOR MODERNISATION OF POLICE FORCE IN GUJARAT

उपाध्यक्ष महोदय : अब सायं आधे घंटे की चर्चा पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैंने गुजरात में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिये वित्तीय सहायता के बारे में प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसी कारण मैं यह आधे घंटे की

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half-an-Hour Discussion.

चर्चा उठा रहा हूं। यह समस्या गुजरात ही नहीं बल्कि सभी राज्यों से सम्बन्धित है। यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसे नहीं भूलना चाहिये। पुलिस बल को आधुनिक बनाने की प्रणाली उदार तथा मानवीय होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस हेतु एक विस्तृत योजना बनानी चाहिये।

एक पुलिस कमीशन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अपराधों की संख्या संबंधी आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। इस बारे जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, वह गुजरात की भी हो सकती है।

पुलिस और जनता के बीच के सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस को देश की मुख्य धारा के साथ बहने सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। गुजरात में पुलिस की संख्या बहुत कम है।

थाने में टेलीफोन लगाया जाना चाहिये। पुलिस को बहुत कम वेतन मिलता है जबकि महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात की पुलिस को आधुनिक बनाने सम्बन्धी गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री पी० जी० मवलंकर (अहमदाबाद) : पुलिस बल को आधुनिक बनाने हेतु किसी योजना को तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि पुलिस का वर्तमान स्थिति में क्या योगदान होना चाहिये।

क्या पुलिस को इतनी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलता है कि वह प्रदर्शनकारियों का सामना मनोवैज्ञानिक ढंग से कर सके ? पुलिस लोगों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर सकती है ? क्या पुलिस बल को आधुनिक बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें ऐसा प्रशिक्षण मिले कि वे लोगों को अपना मित्र तथा पथ-प्रदर्शक समझे ?

पुलिस को आधुनिक बनाते हुए धन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिये। पुलिस के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिये।

Shri M. C. Daga (Pali) : How many challans were filed by the police particularly in Gujarat under Section 109 of the Cr. P.C. and what was their out come ? Our police is functioning like a police of 50 years back to create panic and make money.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sometime police is ordered to resort to firing and later on cases are filed against the policemen and not against who issued the orders.

Police force can not form unions. Then how can they solve their multifarious problems. I appeal to the Government that the police should be allowed to form the unions.

A minimum of Rs. one thousand per month should be paid to the policeman in order to eradicate corruption there. Police should also be provided with the modern weapons.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कई माननीय सदस्यों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो कि इस चर्चा के क्षेत्र से बाहर हैं। हम कोई पुलिस के कार्यकरण के बारे में सामान्य चर्चा नहीं

कर रहे हैं और न ही यह गुजरात की पुलिस के संबंध में की जाने वाली सामान्य चर्चा है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है और गुजरात पुलिस से संबंधित प्रश्न उस राज्य की विधान सभा में पूछे जाने चाहियें। पुलिस बल के विकास के लिये बृहद् योजना बनाई गई है लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने लोगों का चालान हुआ या कितने गिरफ्तार किये गए।

यह भी कहा गया है कि पुलिस इन्स्पैक्टरों की भर्ती कांग्रेस द्वारा की जाती है। ऐसी निराधार बातें कहना उचित नहीं है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के बारे में भी सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं। यद्यपि पुलिस राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार सभी राज्य सरकारों को उनके पुलिस बल के आधुनिकीकरण के मामले में सहायता कर रही है।

माननीय सदस्य श्री प्रसन्न भाई मेहता ने हमें पुलिस बल के लिये बृहद् योजना तैयार करने के लिये अनुरोध किया है। पर बृहद् योजना बनाना राज्य सरकारों का काम है क्योंकि उनकी क्या दिक्कतें हैं, वह कैसे विकास कार्यक्रम बनाएं तो उनके राज्य की पुलिस की स्थिति सुधरेगी, इस बात की जानकारी जितनी अच्छी तरह से राज्य सरकारों को हो सकती है उतनी केन्द्र सरकार को कैसे हो सकती है ?

श्री मावलंकर ने पुलिस कर्मचारियों के वेतन की बात उठाई है। यह भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में राज्य सरकार ही निर्णय करती है।

सरकार यह महसूस करती है कि पुलिस के आदमियों का दृष्टिकोण जनसाधारण के प्रति उनका रवैया, आन्दोलनों आदि के प्रति उनकी विचारधारा और उनका समूचा दृष्टिकोण हमारे लोकतांत्रिक ढांचे तथा परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिये। इसके लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी प्रो० एम० एस० गोरे हैं। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है और जब इस पर विचार किया जाएगा, तभी हम इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे।

जहां तक पुलिस संघ का संबंध है कुछ राज्य सरकारें किसी न किसी प्रकार के संघ बनाने की अनुमति दे रही हैं, जिनके संविधान सामान्यतया राज्य सरकारों से अनुमोदित होते हैं। अतः इससे प्रत्येक राज्य द्वारा अनुमोदित संविधानों में अन्तर होता है और आज कोई एक-समान स्थिति नहीं है। आधुनिकीकरण के संबंध में योजना 1969-70 में शुरू की गई थी। यह योजना 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत सहायता के आधार पर है। इसका उद्देश्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को प्रोत्साहन देना है। यह योजना पिछले तीन-चार वर्षों से चल रही है और अपने सीमित संसाधनों द्वारा हम सभी राज्यों की सहायता कर रहे हैं। यह योजना मुख्यतः पुलिस वालों की गतिमयता और संचार में सुधार करने के लिये तथा इसकी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी योग्यता के आधुनिकीकरण के लिये बनाई गई है। गुजरात सरकार को इस योजना के अंतर्गत 84.75 लाख रुपये की राशि, जिसमें 1973-74 के आवंटन शामिल हैं, पहले ही दी गई है। किन्तु पिछले आवंटनों के उपयोगीकरण के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है इसलिये अभी तक हमने यह राशि नहीं दी है। उपयोगीकरण के प्रमाण-पत्र के मिलने पर चालू वर्ष की सहायता 32 लाख रुपये होगी। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिये बजट का कुल आवंटन 8 करोड़ रुपये है। किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण वित्त मंत्रालय से इस वर्ष इस योजना के लिये 6.5 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से वह हमेशा इस राशि में वृद्धि करते रहे हैं और यदि

इस वर्ष अभाव के कारण कमी की है तो मैं इसके लिये उनसे शिकायत नहीं करूंगा। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हम उनसे ज्यादा मांग नहीं सकते।

वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के लिये जीपें भी खरीदती है। वह संचार के प्रयोजन के लिये बतौर उपकरण की सप्लाई का प्रबन्ध भी करती है। केन्द्र सरकार राज्य वैधिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिये कुछ आधुनिक मदों का आयात भी करती है। 31-3-73 तक गुजरात सरकार को उपलब्ध की गई वस्तुओं का मूल्य 9.5 लाख रुपये की 40 जीपें, 18 लाख के बेतार उपकरण और राज्य वैधिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिये 3.4 लाख रुपये है। 1973-74 में गुजरात सरकार के लिये 15 लाख रुपये की 34 जीपें और बेतार उपकरण प्राप्त करने का विचार है।

राज्यों को वृहद् योजना बनाने देने का उद्देश्य उनकी विकासीय योजनाओं में सहायता करना है और हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम उनके आवर्ती खर्चों के लिये सहायता नहीं देंगे। केन्द्रीय सहायता का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा नए उन उपकरणों की खरीद के लिये किया जाना चाहिये जो कि राज्य की पुलिस के पास उपलब्ध नहीं। केन्द्र द्वारा धन दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अपने बजट में पुलिस की देख-रेख के लिये आवंटित की गई राशि में कमी न की जाए अन्यथा इससे कुछ लाभ नहीं होगा। अब तक राज्यों को सहायता किसी क्रमानुसार नहीं दी जाती रही है लेकिन अब हम उनके द्वारा किये गए खर्चे के अनुसार सहायता का क्रम निर्धारित कर सकते हैं लेकिन यह सब कुछ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गुजरात सरकार ने 2 करोड़, रुपये की बृहद् योजना बनाई है। इसमें अनेक मदों का समावेश किया गया है पर कई एक मदों को जो कि आधुनिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सम्मिलित नहीं किया गया और अगर यह मदें हमारी आधुनिकीकरण की परिधि में आ जाती हैं तो निश्चय ही हम गुजरात सरकार की कुछ और सहायता कर सकते हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली कुछ अन्य सहायताओं के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिये कलकत्ता, हैदराबाद तथा दिल्ली में चिकित्सा संबंधी वैधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सन्देहास्पद दस्तावेज़ों की जांच के लिये कलकत्ता, हैदराबाद और शिमला में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। 1970 में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् एक अपराध शाखा और वैधिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं में राज्यों को सहायता देने के लिये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में पुन: एक पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष पुलिस के इन्स्पैक्टर जनरल और डी० आई० जी० की कांफ्रेंस भी बुलाते हैं आन्दोलनकर्ताओं के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में भी उल्लेख किया गया है। हम पुलिस के आदमियों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि वह आन्दोलनकर्ताओं के साथ नरमी से पेश आएं और शक्ति का प्रयोग न करें और इसके बावजूद हिंसा होती है तो उसके कुछ परिणाम अवश्यम्भावी हैं। मेरे विचार में कोई भी पुलिस का आदमी इनका स्वागत नहीं करता और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये कोई और चारा जब उसके पास नहीं रह जाता तभी वह उनका सामना करने के लिये तथा शक्ति का प्रयोग करने के लिये बाध्य हो जाता है।

जहाँ तक केन्द्र द्वारा पुलिस आवास के लिये दी गई सहायता का संबंध है राज्यों को 31-3-1973 तक पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत 50.74 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए थे। 1973-74 के लिये

बजट प्रावधान 4.5 करोड़ रुपए है जो कुल मिलाकर 55.24 करोड़ रुपए बनता है। 1973-74 के लिये गुजरात राज्य के लिये 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को पहले ही दी गई है। इसके बावजूद भी पुलिस आवास की कमी है।

एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र अपने सीमित संसाधनों द्वारा पुलिस की जितनी भी सहायता करे पर जब तक राज्य सरकारें उस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। सदन के समक्ष जो मैंने आँकड़े प्रस्तुत किये हैं वह इस बात के साक्षी हैं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है। केन्द्रीय सरकार पुलिस बल के आधुकिकीकरण तथा राज्य में पुलिस के लिये आवास संबंधी समस्या को हल करने हेतु कदम उठा रही है और राज्य सरकारों की सहायता से केन्द्रीय सरकार पुलिस कर्मचारियों की अन्य शिकायतों को दूर करने में मदद दे सकती है।

[इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 अगस्त 1973/15 श्रावण 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थागित हुई।]

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 6, 1973/ Sravana 15, 1895 (Saka).]

MGIPRRND—18 LSS/73—Sec. VI—26-10-73—490.

PLS 48.XXIX.10.73.(N)
490

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1973